[2019] 16 एस. सी. आर. 672

भारत का संघ

वी.

एकीकृत दूरसंचार का संगठन

भारत के सेवा प्रदाता ETC.ETC।

(सिविल अपील सं। 6328–6399 2015)

24 अक्टूबर, 2019

[अरुण मिश्रा, एस. अब्दुल नजीर

और एम. आर. शाह, जे. जे.]

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885–सरकार द्वारा दिया गया लाइसेंस समझौता। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए भारत–परिभाषा सकल राजस्व–1994 में दूरसंचार क्षेत्र का उदारीकरण–लाइसेंस सेवा प्रदाताओं को जारी किया गया हर साल देय निर्धारित लाइसेंस शुल्क–चूंकि, निर्धारित लाइसेंस शुल्क बहुत अधिक था, इसलिए लाइसेंसधारियों को निर्धारित लाइसेंस शुल्क से राजस्व साझाकरण शुल्क में स्थानांतरित करने का विकल्प दिया गया था–समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) को लाइसेंस शुल्क के रूप में निर्धारित किया गया था जिसे 2013 में घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया था–सेवा प्रदाताओं ने यह सुनिश्चित किया कि वे सहमत "एजीआर" के आधार पर भी लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करें–विभाग ने मांगें उठाई–2003 में। दूरसंचार ऑपरेटरों ने इसे चुनौती देते हुए दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) के समक्ष याचिका दायर की अंततः, आदेश द्वारा टी. डी. एस. ए. टी. दिनांकित हुआ। 30.08.2007 अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया गया कि ए. जी. आर. में केवल भारत संघ में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई लाइसेंस गतिविधियों से प्राप्त राजस्व शामिल होगा और अन्य वी. एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया ने [2011] 14 एससीआर 657 के रूप में रिपोर्ट किया जिसमें भारत संघ द्वारा अपील की अनुमति दी गई थी और आदेश दिनांकित था। 30.08.2007 अलग कर दिया गया था–दूरसंचार ऑपरेटरों ने फिर से टीडीएसएटी से संपर्क किया मांगें–ए. जी. आर. की परिभाषा के तहत शामिल/बहिष्कृत वस्तुओं के विशिष्ट शीर्ष पर विचार करने वाले विवादित आदेश द्वारा टी. डी. एस. ए. टी.–आयोजितः सकल राजस्व की संविदात्मक परिभाषा बाध्यकारी है–सकल राशि, परिभाषा के अनुसार, सकल राजस्व है, बिना सेट–ऑफ के, दी गई छूट सहित ध्यान में रखा जाना है। अनुज्ञप्तिधारियों ने यह प्रस्तुत करने का व्यर्थ प्रयास किया कि विचार किए जाने वाले राजस्व को अनुज्ञप्ति के तहत गतिविधियों से प्राप्त किया जाएगा; जबकि पक्षों के बीच 2011 के उपरोक्त निर्णय में कहा गया है कि अनुज्ञप्ति से परे की गतिविधियों से राजस्व को प्राप्त किया जाना चाहिए। समायोजित सकल राजस्व में शामिल, बाध्यकारी है–प्रस्तुत करना यह भी है कि अनुबंध लेखांकन की प्रयोज्यता को मान्यता देता है मानक–यह केवल लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए है–जब समझौते में वित्तीय शर्तें समझौते के खंड 19.1 द्वारा शासित सकल राजस्व की परिभाषा के रूप में स्पष्ट हैं, लेखा मानक–9 (ए. एस.–9) की परिभाषा इसे प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है जो कि विभाग का एक सामान्य स्टैंड है। दूरसंचार (डी. ओ. टी.) स्पष्ट है कि सकल राजस्व को समझौते में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है–इसके अलावा, सभी छूट और कमीशन आदि

लाइसेंस शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से सकल राजस्व का हिस्सा हैं–विदेशी मुद्रा लाभ को भी सकल राजस्व के हिस्से के रूप में गिना जाना है–इसके अलावा, टी. डी. एस. ए. टी. के रुख को निम्न में अनुमोदित किया गया है – टी. डी. एस. ए. टी. को इस हद तक अलग रखा जाए कि यह राजस्व के विपरीत है–इसके अलावा, नकारात्मक शेष राशि राजस्व का एक हिस्सा है और इसे सकल राजस्व की परिभाषा के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले सकल राजस्व से नहीं काटा जा सकता है। इसके अलावा, निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को साझा करने के कारण लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त पूरी राशि को एजीआर पर काम करते समय सकल राजस्व में गिना जाना चाहिए–टीडीएसएटी द्वारा दर्ज किए गए विपरीत निष्कर्ष को अलग रखा जाए–विलंब शुल्क को भी सकल राजस्व की परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है और इस तरह, इसकी गणना इसके हिस्से के रूप में की जानी चाहिए–टीडीएसएटी का पता लगाना, अलग रखा जाए–रोमिंग शुल्क और पीएसटीएन पास–थ्रू शुल्क से लाभ के संबंध में, टीडीएसएटी द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष, कुछ शर्तों के आधार पर डीओटी के विपरीत है, अलग रखा गया है–इसके अलावा, सकल राजस्व की परिभाषा गैर–वापसी योग्य जमा को कवर करने के लिए काफी व्यापक है। गैर–वापसी योग्य के संबंध में टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष जमा जो राजस्व का हिस्सा नहीं है, अलग रखा जाता है–लाइसेंस शुल्क की मांग के संबंध में जहां स्पेक्ट्रम नहीं दिया जाता है, निष्कर्ष वीडियोकॉन एंड एस. टेल के मामले में टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा अभिलिखित ब्याज और लाइसेंस से अर्जित लाभांश के साथ सहमति है और गैर–लाइसेंस गतिविधियों को भी लाइसेंस शुल्क के निर्धारण के लिए सकल राजस्व का हिस्सा बनना होगा इसके अलावा, खराब ऋणों के संबंध में, टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा निष्कर्ष उचित हैं–अंतर कॉर्पोरेट ऋण से ब्याज आय को लाइसेंस शुल्क निर्धारित करने के लिए सकल राजस्व में शामिल किया जाना चाहिए–साथ ही, डी. ओ. टी. ने [2019] 16 एस. सी. आर. की आय को सही तरीके से शामिल किया है। सी. यू. जी. लाइसेंस–टी. डी. एस. ए. टी. के तहत आई. पी. पंजीकरण से लाइसेंसधारी भारती एयरटेल के मामले में भी सही माना गया है कि राजस्व केबल लैंडिंग स्टेशन से सकल राजस्व में शामिल किया जाना है – इसके अलावा, योग्यता के आधार पर फिर से सभी प्रस्तुतियाँ की गई हैं जांच की गई, न्यायपालिका/रचनात्मक न्यायपालिका की याचिका से अप्रभावित न्यायपालिका और उठाए गए प्रस्तुतिकरणों में कोई योग्यता नहीं पाई गई है–ब्याज और जुर्माना उचित रूप से लगाया गया है–राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 – राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999–दूरसंचार नियामक भारतीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997–ss. 11 (1) (क), 14 (क) (i) आर/डब्ल्यू 14 (क) (1), 18 कंपनी अधिनियम, 1956–एस. एस. 3 , 211 (3 ए)–(3 सी)–एक समाज के लिए क़ानूनों की व्याख्या; एजुस्डेम जेनरिस–समाज का सिद्धांत भारत का रचनात्मक न्यायिक संविधान–कला। 14 और 39 सेवा कर अधिनियम, 1994 एस. 67 आय कर अधिनियम, 1961 – s. 80 IA (2 ए)।

दूरसंचार कानून–राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999 – के उद्देश्य–चर्चा की गई।

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 – एस. 4–दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सरकार द्वारा लाइसेंस समझौता प्रदान किया गया। सकल राजस्व के तहत भारत की परिभाषा–लाइसेंसधारियों की याचिका कि राजस्व को लाइसेंस के तहत परिभाषित नहीं किया गया है और इस प्रकार, मेले पर जोर दिया गया है मूल्यांकन विधि अर्थात इंड ए. एस.–18 और ए. एस.–9 लेखा मानक–कंपनी अधिनियम, 1956–एस. एस. के लिए प्रासंगिक नहीं है। 211 (3 ए) और (3 सी) – सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949।

कंपनी अधिनियम, 1956–एस. 211 (3 ए) और (3 सी)–लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अनुशंसित मानक–प्रासंगिकता और मौलिक अंतर ए. एस.–9 और ए. एस.–18 के बीच–चर्चा–चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 एसएस। 11 (1) (क)–लाइसेंस शुल्क पर ट्राई की सिफारिशें अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा देय केंद्र सरकार द्वारा विचार–विमर्श।

कंपनी अधिनियम, 1956–एस। 211 – के अधीन दायित्व कंपनियाँ–आयोजितः s.211 कंपनी यूनियन ऑफ इंडिया v के दायित्व से संबंधित है। भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन लेखांकन मानकों का पालन करने के लिए–यदि वे पालन नहीं करते हैं, तो इसे अपने लाभ और हानि खाते में, विचलन, इस तरह के विचलन के कारणों और वित्तीय प्रभाव का खुलासा करना होगा।

सिद्धांत/सिद्धांत–अनुबंध पेशेवर वाणिज्यिक अनुबंधों का नियम–दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सरकार द्वारा लाइसेंस समझौता प्रदान किया गया। भारत सरकार–अनुज्ञप्ति की याचिका कि सभी प्राप्तियां समायोजित सकल राजस्व (ए. जी. आर.) का हिस्सा नहीं होंगी और गैर–अनुज्ञप्ति प्राप्त गतिविधियों से प्राप्त राजस्व ए. जी. आर. का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था और अनुबंध नियम के अनुसार अनुज्ञप्ति समझौते के खंड 19.1 और 19.2 की निर्माता के खिलाफ व्याख्या की जानी चाहिए और ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अनुज्ञप्ति प्राप्तकर्ताओं के लिए अनुकूल होः विरोध प्रस्ताव का नियम वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि समझौते में सकल राजस्व की परिभाषा में कोई अस्पष्टता या संदेह नहीं है। सिद्धांत/सिद्धांत असहनीय का सिद्धांत सौदेबाजी–दूरसंचार क्षेत्र–वाणिज्यिक में लागू सेवा प्रदाताओं को दिए गए अनुबंध लाइसेंसों में सेवा प्रदाताओं द्वारा हर साल देय एक निश्चित लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया जाता है–निर्धारित लाइसेंस शुल्क से राजस्व साझाकरण शुल्क में स्थानांतरण आयोजितः माइग्रेशन पैकेज नीति, 1999 की शुरुआत के बाद, दूरसंचार क्षेत्र की शर्तों में तेजी से वृद्धि हुई है और शर्तों को दमनकारी नहीं कहा जा सकता है जैसा कि लाइसेंसधारियों की ओर से प्रस्तुत किया गया है–यह नहीं कहा जा सकता है कि डीओटी एक प्रमुख स्थिति में था, या पूरी तरह से असमान और असमान था। सौदेबाजी की शक्ति–वाणिज्यिक अनुबंधों के मामले में, असहनीय सौदेबाजी का सिद्धांत एक बार लागू नहीं होता है। लाभ लिया गया है, लाइसेंसधारी अनुबंध की वैधता या बाध्यकारी प्रभाव से इनकार नहीं कर सकते हैं।

डी. ओ. टी. को अनुमति देते हुए लाइसेंसधारियों की अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 इन रेः सकल राजस्व की परिभाषा 1999 की दूरसंचार नीति में निश्चित लाइसेंस शुल्क से राजस्व साझाकरण आधार व्यवस्था में एक आदर्श बदलाव आया था। यह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए फायदेमंद था। इसके तहत नई व्यवस्था में, केंद्र सरकार ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत विशेषाधिकार को टीएसपी के साथ साझा किया। यह उच्च लाइसेंस शुल्क के खिलाफ एक राहत के रूप में आया, जो [2019] 16 एस. सी. आर. हुआ करता था। 1999 की नीति के तहत आरोपित। प्रवास पैकेज में यह शर्त थी कि राजस्व के बंटवारे के बारे में कोई विवाद नहीं उठाया जाएगा। लेखांकन के क्षेत्र में विशेषज्ञों से परामर्श किया गया था, और यह उनकी सलाह थी कि वास्तविक आंकड़े सरल और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए ताकि राजस्व बंटवारे की एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा सके जो उतनी कठिन और मुकदमेबाजी वाली न हो। राजस्व को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, और समावेशी तरीके से व्याख्या की समस्याओं को पैदा न करने और लेखांकन बाजीगरी से बचाने के लिए। सकल राजस्व को खंड 19.1 में उल्लिखित विशिष्ट मदों और किसी भी अन्य विविध राजस्व को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, जिसमें व्यय आदि की संबंधित मदों के लिए कोई कटौती नहीं है। सभी लाइसेंसधारियों ने प्रवास पैकेज को स्वीकार कर लिया है और समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह लाइसेंसधारियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहन साबित हुआ है जैसा कि सकल राजस्व के आंकड़ों से स्पष्ट है। ऊपर वर्णित उनके द्वारा अर्जित। जब पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत, सकल राजस्व

और एजीआर दिया गया है जिसका अर्थ उस प्रारूप और अनुलग्नक के साथ जोड़ा गया है जो अनुबंध का हिस्सा है। प्रारूप परिशिष्ट में निहित है अनुलग्नक–II जो उस समझौते का हिस्सा है जिसमें अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की जानी है। सकल राजस्व के खंड 19 का अर्थ और ऊपर उल्लिखित प्रारूप प्रबल होना चाहिए। [पैरा 44] [726–एफ–एच; 727–ए–बी]

1.2 एस. के. सिंथेटिक्स पर भरोसा करते हुए उचित मूल्यांकन विधि को अपनाने के लिए प्रस्तुत किया गया निवेदन गलत धारणा पर आधारित है। ए. एस.–9 पर लागू विधि। ए. एस.–9 और समझौते में सकल राजस्व की परिभाषा से छुटकारा पाने के लिए तर्क तैयार किया गया है। आई. सी. ए. आई. ने वर्ष 1985 में ए. एस–9 राजस्व मान्यता मानक जारी किया। प्रारंभिक वर्षों में, यह केवल स्तर–1 उद्यमों के लिए अनुशंसित था, लेकिन 1.4.1983 से सभी उद्यमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। उद्यम का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में परिभाषित किया गया है। आई. एन. डी. ए. एस.–18 व्यवस्था को बाद में पेश किया गया है। ए. एस.–9 में, राजस्व मान्यता "नाममात्र" मूल्य पर है; जबकि आई. एन. डी. ए. एस.–18 में, राजस्व मान्यता "उचित" मूल्य पर है। वस्तु–विनिमय लेनदेन इंड ए. एस.–18 में शामिल हैं। जबकि यह पहलू ए. एस.–9 में शामिल नहीं है। ए. एस.–9 राजस्व मान्यता में, ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है, जबकि आई. डी. ए. एस.–18 में, ब्याज आय को एक प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। ए. एस.–9 राजस्व को भारत संघ बनाम के रूप में मान्यता देता है। भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन पूर्ण सेवा विधि या प्रतिशत पूर्णता विधि के अनुसार, जबकि आई. एन. डी. ए. एस.–18 केवल पूर्णता विधि के प्रतिशत के अनुसार राजस्व को मान्यता देता है। इस प्रकार, एक बुनियादी अंतर है। उचित मूल्य अवधारणा का एएस–9 में कोई स्थान नहीं है। जिनका रखरखाव किया जाना है और सकल राजस्व के निर्धारण के लिए जमा किया जाना है। ए. एस.–9 राजस्व मान्यता शासन में कहा गया है कि राजस्व की राशि को नकद, प्राप्य या प्राप्त अन्य प्रतिफल के सकल प्रवाह से मापा जाएगा। उचित मूल्यांकन की कोई अवधारणा नहीं है। इस प्रकार, लाइसेंसधारी इसी तरह की आपत्तियाँ उठा रहे हैं जो उन्होंने पहले उठाई हैं और इस न्यायालय द्वारा उन पर विचार नहीं किया गया था और जिन्हें खारिज कर दिया गया था। फिर से सटीक रूप से, वही प्रयास प्रस्तुत करके किया जाता है; राजस्व को एएस–9 में परिभाषित किया जाना चाहिए, न कि समझौते का खंड 19.1, प्रस्तुत करना न्यायालय के निर्णय के विपरीत है, जैसा कि 2011 के फैसले के पैरा 48 में अभिनिर्धारित किया गया है, जो पक्षकारों के बीच न्यायपालिका के रूप में कार्य करता है। राजस्व का अर्थ स्पष्ट है कि यह सकल राजस्व होना चाहिए, और लाइसेंस शुल्क उसी का प्रतिशत होगा। इस प्रकार, लाइसेंसधारियों ने यह प्रस्तुत करने का व्यर्थ प्रयास किया है कि जिस राजस्व पर विचार किया जाना है वह लाइसेंस के तहत गतिविधियों से प्राप्त होगा; जबकि 2011 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि लाइसेंस से परे की गतिविधियों से प्राप्त राजस्व को समायोजित सकल राजस्व में शामिल किया जाना है, बाध्यकारी है। अन्यथा भी योग्यता के आधार पर उठाया गया निवेदन आधारहीन है। सकल राजस्व की संविदात्मक परिभाषा बाध्यकारी है। जब इस बारे में एक संविदात्मक परिभाषा है कि सकल राजस्व क्या होगा जो राजस्व और कुल राजस्व भी होगा, तो लेखा ए. एस.–9 के रूप में उल्लिखित राजस्व परिभाषा को नियंत्रित नहीं कर सकता है। लेखा पद्धति में राजस्व की सामान्य परिभाषा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। सकल राजस्व की संविदात्मक परिभाषा। लेखा मानक ए. एस.–9 यह स्पष्ट करता है कि यह दिशानिर्देशों के रूप में है, यह व्यापक नहीं है और [2019] 16 एस. सी. आर. का स्थान नहीं लेता है। लेखांकन का अभ्यास। यह केवल एक ऐसी प्रणाली निर्धारित करता है जिसमें खातों को बनाए रखा जाना है। लेखांकन मानक यह स्पष्ट करते हैं कि यह लेखांकन के लिए एक सीधा सूत्र प्रदान नहीं करता है, बल्कि केवल लेखांकन को बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। व्यवस्थित तरीके से लेखा पुस्तकें। की धारा 211 कंपनी अधिनियम, 1956 लेखा मानकों का पालन करने के लिए कंपनी के दायित्व से संबंधित है।

यदि वे इसका पालन नहीं करते हैं, तो इसे अपने लाभ और हानि खाते, विचलन, इस तरह के विचलन के कारणों और वित्तीय प्रभाव में प्रकट करना होगा। [पारस 61,65, 67] [736 – एच; 737–ए–एच; 738–ए–एच; 739–ए–सी–ई; 740–सी–डी]

1.3 समझौते में सकल राजस्व की परिभाषा स्पष्ट है। समायोजित सकल राजस्व कैसे प्राप्त किया जाए भी स्पष्ट है। यह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है कि अनुबंध में राजस्व को परिभाषित नहीं किया गया है। एक बार जब सकल राजस्व को परिभाषित किया जाता है, कोई भी इससे अलग नहीं हो सकता है और समझौते के लिए राजस्व को ही अर्थ दिया जाना है। समझौते में दिए गए प्रावधान के अनुसार, बिना निर्धारित किए लाइसेंस शुल्क के निर्धारण के लिए समग्र राजस्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसी को परिभाषित किया गया था भारत संघ बनाम। ऑस्पी (2011)। प्रस्तुतिकरण यह है कि अनुबंध लेखांकन मानकों की प्रयोज्यता को मान्यता देता है। यह केवल लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए है। कुछ हद तक, यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि स्पष्टता, एकरूपता, और निश्चितता; लेखा मानक वित्तीय शर्तों के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं। हालांकि, जब समझौते में वित्तीय शर्तें समझौते के खंड 19.1 द्वारा शासित सकल राजस्व की परिभाषा के रूप में स्पष्ट होती हैं, तो लेखा मानक–9 की परिभाषा इसे प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है जो एक सामान्य है। प्रस्तुतिकरण हालांकि आकर्षक है, लेकिन फिर से 'सकल राजस्व' की परिभाषा से छुटकारा पाने के लिए एक कठोर प्रयास है। इससे पहले परिभाषा की वैधता पर सवाल उठाया गया था ताकि सकल राजस्व के अर्थ को सीमित किया जा सके कि राजस्व को ए. एस.–9 के माध्यम से लाइसेंस के तहत गतिविधियों तक कैसे सीमित रखा जाए। द यूनियन ऑफ इंडिया v. भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन डी. ओ. टी. द्वारा 2003 में दायर उत्तर में दिए गए बयान पर निर्भरता रखी गई है कि सकल राजस्व की परिभाषा ए. एस.–9 के अनुरूप है, यह समझाने के तरीके से है और इसमें दी गई सकल राजस्व की परिभाषा को बदलने का प्रभाव नहीं हो सकता है। समझौता। समझौते में परिभाषा स्पष्ट, स्पष्ट और संदेह के दायरे से परे है, और सकल राजस्व की परिभाषा में कोई भ्रम नहीं है, जो लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति का आधार है। लाइसेंसधारियों ने अप्रत्यक्ष तरीके से परिभाषा से बाहर निकलने का व्यर्थ प्रयास किया है, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। प्रत्यक्षतः पक्षकारों के बीच 2011 के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ये शीर्ष सकल राजस्व का हिस्सा हैं। [पारस 76 , 79] [748 – एफ–एच; 749–ए–बी; 752–सी–ई] जनरल एस्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड v. चंदमुल जैन, ए. आई. आर 1966 एस. सी. 1644: [1966] एससीआर 500; एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लिमिटेड वी. सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड (2009) 7 एससीसी 696: [2009] 10 एस. सी. आर. 373–संदर्भित।

1.4 यह नहीं कहा जा सकता है कि डी. ओ. टी. ने एक ही मुकदमे के विभिन्न चरणों में असंगत रुख अपनाया है। उनका रुख स्पष्ट है कि समझौते में सकल राजस्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। दलों ने विभिन्न समावेशनों पर सहमति व्यक्त की है समझौता किया और 1999 की नीति के तहत स्वेच्छा से राजस्व–साझाकरण व्यवस्था में बदल गए हैं और यह 2003 और 2005 में दायर याचिकाओं में अनुरोध किए गए रुख और राहत से स्पष्ट है। लाइसेंसधारक समझौते में विशेष रूप से शामिल वस्तुओं के बारे में जानते थे। टी. एस. पी. व्याख्या के लिए सहमत हुए और इसे स्वीकार कर लिया जैसा कि 2011 के फैसले में इस अदालत ने कहा था। लाइसेंसधारक असंगत रुख अपना रहे हैं, इससे पहले उन्होंने यह रुख अपनाया है कि जिन सभी मदों से संबंधित विवाद उठाए गए हैं, उन्हें सकल राजस्व की परिभाषा में अवैध रूप से शामिल किया गया था, परिभाषा को अधिकार से बाहर, अमान्य घोषित किया जा सकता है और इसे निरस्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि लाइसेंस के तहत गतिविधियों से प्राप्त राजस्व को सकल राजस्व में शामिल नहीं किया जा सकता है।

इस न्यायालय द्वारा 2011 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सकल राजस्व में गैर–अनुज्ञप्ति गतिविधियों से उत्पन्न राजस्व शामिल होगा। लाइसेंसधारियों को अनुमोदन और खंडन करने और असंगत रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वे ए. एस.–9 के अनुसार सकल राजस्व में शामिल नहीं हैं। उनके द्वारा उठाई गई दलीलों को बल देने के बजाय लिया गया रुख, उनके अपने हितों के खिलाफ काउंटर और विद्रोह करता है और [2019] 16 एस. सी. आर. में मार्ग प्रशस्त करता है। डी. ओ. टी. का समर्थन। निवेदन में कहा गया है कि परिभाषा व्यापक नहीं है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसे खारिज कर दिया गया है। खंड 22.1, 22.2 और 22.3 सेवा के लिए स्वतंत्र खाते बनाने, रखने और प्रस्तुत करने के लिए लाइसेंसधारी पर दायित्व डालते हैं। खंड 22.1 और 22.2 के तहत, लाइसेंसधारक को तिमाही रिकॉर्ड बनाए रखना होता है। लेखाओं का लेखापरीक्षा की जानी चाहिए और खंड 22.3 में दिए गए प्रावधान के अनुसार, लाइसेंसकर्ता या टी. आर. ए. आई. द्वारा इन्हें मंगाया जा सकता है। सकल राजस्व का प्रारूप समझौते में परिभाषित सकल राजस्व की परिभाषा का समर्थन करता है। खंड 22 अनुज्ञप्तिधारक पर गतिविधियों के अभिलेख और वित्तीय स्थिति जैसे अन्य मामलों को बनाए रखने का अधिकार रखता है। समझौते के खंड 18.1 को भी लागू किया गया है। प्रस्तुतिकरण में कहा गया कि एक एकल कंपनी 5 अलग–अलग सेवा क्षेत्रों के लिए 5 लाइसेंस रख सकती है; डीओटी द्वारा सुझाए गए एजीआर का पालन नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह 5 गुना की दर से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में समाप्त हो सकता है। चूंकि लाइसेंस शुल्क एक से अधिक बार नहीं लिया जा सकता है, इसलिए जमा करने के लिए कोई जगह नहीं है। यह वह नहीं है जिसका परिभाषा में विचार किया गया है। लाइसेंस शुल्क की गणना करते समय, सकल राजस्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए विशेष लाइसेंस जिसके लिए यह निर्धारित किया जा रहा है। यह तर्क बिना किसी मूलभूत तथ्यों के एक काल्पनिक आधार पर उठाया गया था, इसलिए इसे उठाया जा सकता है और इसे सीमा पर खारिज कर दिया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों का न्यासी है और नागरिकों के लाभ के लिए इसे रखने के लिए बाध्य है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत उप–सेवा के लिए समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य है। देश में सभी संसाधनों का एकमात्र भंडार होने के नाते, सरकार के पास लाइसेंस की उन शर्तों को निर्धारित करने की भी विशेष शक्ति है जिन पर वह इसके साथ भाग लेती है।

संसाधनों पर अनन्य अधिकार। सरकार को अपने मूल्यवान अधिकारों के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने का प्रयास करना होगा और उन्हें फेंक नहीं सकता है, और इसमें कोई मनमानी नहीं होगी। [पारस 83–86] [754–G–H; 755–A–C–F–H; 756–A–F]

सुजुकी परसरामपुरिया सूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम।

महेंद्र पेट्रोकेमिकल्स का आधिकारिक परिसमापक

लिमिटेड (2018) 10 एससीसी 707: [2018] 12 एससीआर 906;

जल महल रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। केपी शर्मा

(2014) 8 एससीसी 866; ए. पी. डेयरी विकास

निगम संघ बनाम। बी. नरसिम्हा रेड्डी (2011) 9 एससीसी 286 [2011] 14 एससीआर 1; पुनः:

भारत का प्राकृतिक संघ v. भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन

संसाधन आवंटन (2012) 10 एस. सी. सी. 1: [2012] 9 एस. सी. आर. 311; उड़ीसा राज्य और अन्य। वी. हरिनारायण जयस्वाल और अन्य। (1972) 2 एससीसी 36: [1972] 3 एससीआर 784; हर शंकर बनाम। आबकारी और कराधान आयुक्त (1975) 1 एस. सी. सी. 737: [1975] 3 एससीआर 254; ए. पी. बनाम की सरकार आनाबेशाही वाइन एंड डिस्टिलरीज (पी) लिमिटेड (1988) 2 एस. सी. सी. 25 [1994] 2 एस. सी. आर. 67; उड़ीसा राज्य बनाम। नारायण प्रसाद (1996) 5 एससीसी 740: [1996] 5 पूरक। एससीआर 465; एम. पी. बनाम राज्य के. सी. टी. ड्रिंक लिमिटेड (2003) 4 एस. सी. सी. 748: [2003] 2 एस. सी. आर. 574; पंजाब राज्य बनाम देवांस मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड (2004) 11 एस. सी. सी. 26: [2003] 5 पूरक। एस. सी. आर. 930 को संदर्भित किया गया।

1.5 धारा 4 (1) के तहत दिया गया लाइसेंस अनुबंध की प्रकृति का होता है। वहाँ सकल राजस्व के प्रावधानों के बारे में था

दोनों पक्षों के बीच सर्वसम्मति थी। लाइसेंसधारक इसके लिए बाध्य हैं क्योंकि उन्होंने लाइसेंस समझौते को लागू कर दिया है। जिन लाइसेंसधारियों ने लाइसेंस के तहत लाभ उठाया है, वे ले जाते हैं कुछ दायित्व। इस उद्देश्य के लिए प्रवास पैकेज के लाइसेंस के तहत लाभ लेते समय लाइसेंसधारी दायित्व का निर्वहन करने के लिए बाध्य है। माइग्रेशन पैकेज नीति, 1999 की शुरुआत के बाद, दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। लाइसेंसधारियों की ओर से प्रस्तुत किए गए नियमों और शर्तों को दमनकारी नहीं कहा जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि डीओटी एक प्रमुख स्थिति में था, या पूरी तरह से अधिकृत था।

असमान और असमान सौदेबाजी की शक्ति। वाणिज्यिक अनुबंधों के मामले में, असहनीय का सिद्धांत

माइग्रेशन पैकेज के संबंध में सौदेबाजी लागू नहीं होती है। एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के बाद, लाइसेंसधारी अनुबंध की वैधता या बाध्यकारी प्रभाव से इनकार नहीं कर सकते हैं। [पारस 88, 89, 90, 91, 92] [757–एच; 758–बी; 759–ए; 760–बी–एफ–जी; 761–सी–डी]

सहायक आबकारी आयुक्त और अन्य। वी. आइज़ैक पीटर्स और ओआरएस। (1994) 4 एससीसी 104: [1994] 2 एससीआर 67; श्याम टेलीलिंक लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2010) 10 एससीसी 165: [2010] 12 एस. सी. आर. 927; भारती सेल्युलर लिमिटेड बनाम भारत संघ (2010) 10 एससीसी 174: [2010] 12 एससीआर 725; एस. के. जैन बनाम हरियाणा राज्य (2009) 4 एससीसी 35: [2008] 17 एस. सी. आर. 1378; कावेरी कॉफी ट्रेडर्स, मैंगलोर बनाम। हॉर्नर रिसोर्स 67 एस (इंटरनेशनल) कंपनी लिमिटेड (2011) 10 एससीसी 420: [2011] 12 एससीआर 473; आर. एन. गोसैन बनाम

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यशपाल धीर एयर 1993 एससी 352: [1992] 2 पूरक। एससीआर

257 पर भरोसा किया।

खरदाह कंपनी लिमिटेड बनाम। रेमंड एंड कंपनी (इंडिया) प्रा. लिमिटेड [1963] 3 एस. सी. आर. 183; केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम बनाम। ब्रोजो नाथ गांगुली (1986) 3 एस. सी. सी.

156 : [1986] 2 एस. सी. आर. 278–संदर्भित।

2.1 पुनः में – छूट और कमीशनः

इसके बिना सकल राजस्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए खर्च की संबंधित वस्तुओं के लिए कोई छूट। इस प्रकार, परिभाषा के अनुसार, सकल राशि, सकल राजस्व है, बिना किसी सेट–ऑफ के, दी गई छूट सहित ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पार्टियाँ शुरू से ही समझती थीं कि सकल

राजस्व में छूट, कमीशन, छूट आदि शामिल नहीं हैं और 2011 में इसके लिए की गई विशिष्ट चुनौती को स्वीकार नहीं किया गया था। अब एक बार फिर परिपथ विधि द्वारा सकल राजस्व की परिभाषा को फिर से लिखने का अस्वीकार्य प्रयास किया गया है। 'सकल राजस्व' की परिभाषा ए. एस. 9 से स्वतंत्र है क्योंकि ए. एस.–9 में राजस्व की परिभाषा परिभाषा को नियंत्रित नहीं कर सकती है। अनुज्ञप्ति समझौते के खंड 19.1 में। ए. एस.–9 में जिसे परिभाषित किया गया है वह राजस्व है, जबकि लाइसेंस शुल्क के लिए सकल राजस्व राजस्व है। यह कहना सबसे बड़ा भ्रम होगा कि जबकि सकल राजस्व को समझौते के खंड 19.1 में परिभाषित किया गया है, लाइसेंस समझौते में राजस्व को परिभाषित नहीं किया गया है। जिसे सकल राजस्व के रूप में परिभाषित किया गया है, वह वास्तव में राजस्व की व्यापक परिभाषा है और इसे लाइसेंस के लिए राजस्व की परिभाषा के रूप में लिया जाना चाहिए।

समझौता। की कठोरता से बाहर निकलने का प्रयास किया गया है

ए. एस.–9 में राजस्व की परिभाषा पर बैंकिंग द्वारा सकल राजस्व की परिभाषा भारत संघ में पिछले निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए है। ऑस्पी (2011)। सकल राजस्व के रूप में

समझौते में परिभाषित किसी भी तरीके से ऊपर उल्लिखित प्रस्तुत करने के आधार पर कमजोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ए. एस.–9 केवल लेखांकन की विधि और विशिष्ट परिभाषा के लिए है।

राजस्व यानी लाइसेंस समझौते के तहत सकल राजस्व प्रबल होना चाहिए। 'सकल राजस्व' वह राजस्व है जो 2011 के निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है जिसके निर्धारण के लिए पक्षकार बाध्य हैं –

लाइसेंस समझौते और भारत संघ की परिभाषा के तहत लाइसेंस शुल्क v.

ए. एस.–9 में राजस्व नियंत्रित नहीं हो सकता है। डी. ओ. टी. की ओर से दायर हलफनामे पर भरोसा करना पूरी तरह से गलत है। सकल राजस्व की परिभाषा का क्या अर्थ है, अंत में 2011 के फैसले के माध्यम से अंतर–पक्षों को सुलझा लिया गया है। इस प्रकार, गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उचित मूल्य की अवधारणा लेखा मानक–9 का आधार नहीं है। उचित मूल्य आई. एन. डी. ए. एस.–18 की परिचालन अवधारणा है। ए. एस.–9 में, राजस्व मान्यता नाममात्र मूल्य पर है और दोनों के बीच मौलिक अंतर है।

लेखांकन मानक। इस प्रकार, नाममात्र मूल्य को एएस–9 के लिए प्रासंगिक मान के रूप में लिया जाना चाहिए। ए. एस.–9 व्यवस्था के तहत, राजस्व मान्यता को सकल प्रवाह के रूप में मापा जाएगा।

भारत सरकार द्वारा कौन सी परिभाषा तैयार की गई है, जिस पर लाइसेंसधारियों द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है क्योंकि यह पहले की निर्धारित शुल्क व्यवस्था की तुलना में उनके लिए फायदेमंद थी। उन्होंने अपने द्वारा अर्जित राजस्व को प्रतिशत के आधार पर साझा करने की नई व्यवस्था की ओर रुख किया है। सकल राजस्व की परिभाषा के पीछे उद्देश्य है और यह लंबे समय तक चलने वाले अभ्यास का परिणाम था और इसे पहले ही बरकरार रखा जा चुका है, और इस प्रश्न को अप्रत्यक्ष तरीके से फिर से नहीं खोला जा सकता है। व्यापार छूट को सकल राजस्व से केवल इस आधार पर नहीं काटा जा सकता है कि वे लागत में कमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर लाइसेंसधारियों की निर्भरता प्रस्तुत किया गया मार्गदर्शन नोट कि छूट एक आपूर्तिकर्ता द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के सूची मूल्य से दी गई कटौती है, सकल राजस्व की परिभाषा के कारण कोई लाभ नहीं है। राजस्व के खिलाफ समझौते के खंड 19.1 के तहत व्यापार छूट की अनुमति नहीं है क्योंकि खर्चों को जमा करने की अनुमति नहीं है। नकद छूट के संबंध में, यह स्पष्ट है कि नकद छूट का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। यह ग्राहकों के लिए एक प्रोत्साहन है। ग्राहक नकद छूट की राशि में कटौती करने के बाद भुगतान करता है, यदि वह इकाई और ग्राहक के बीच समझौते के अनुसार इसका लाभ उठाने के लिए पात्र है। ए. एस.–9 के तहत, सकल राशि पर राजस्व को मान्यता दी जाती है और नकद छूट को एक खर्च के रूप में माना जाता है जब विक्रेता को भुगतान शुद्ध प्राप्त होता है और छूट की अनुमति नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यदि ए ने 90 दिनों की क्रेडिट अवधि में जेड को Rs.1000 के लिए सामान बेचा है, लेकिन यदि जेड 50 [2019] 16 एस. सी. आर. के भीतर भुगतान करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुछ दिनों में, ए द्वारा 10 प्रतिशत की नकद छूट प्रदान की जाएगी। यह उचित रूप से सुनिश्चित है कि जेड 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करेगा। ए. एस. व्यवस्था में, राजस्व को Rs.100 0 पर दर्ज किया जाना चाहिए, और जब जेड Rs.900 का भुगतान करता है, तो Rs.100 की नकद छूट की राशि को व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह ए. एस.–9 के तहत सकल राशि के रूप में मान्यता प्राप्त राजस्व का प्रभाव है। मात्रा–आधारित छूट के संबंध में, ए. एस.–9 व्यवस्था के तहत, राजस्व को प्राप्त या प्राप्य सकल राशि पर मान्यता दी जाती है।

ग्राहक। हालांकि, व्यापार छूट और प्राप्त मात्रा छूट का मूल्य सकल राजस्व से नहीं काटा जा सकता है।

खंड 19.1 में परिभाषा के कारण। ग्राहक की छूट मुफ्त कॉल के रूप में भी हो सकती है, कुछ मुफ्त मिनटों का एस. एम. एस. मूल्य। डी. ओ. टी. ने मुफ्त कॉल, एस. एम. एस., वी. ए. एस. मिनट/डेटा के गैर–राष्ट्रीय राजस्व पर लाइसेंस शुल्क की मांग की है। जब ये राशियाँ स्वीकार्य रूप से अभिदाता पर ज्ञापन के रूप में उठाए गए चालान में दिखाई देती हैं, तो यह सकल राजस्व होता है। यह सकल राजस्व का हिस्सा है और इसकी कटौती नहीं की जा सकती है। यही बात है। इसका उद्देश्य इसे मुकदमेबाजी और लेखांकन बाजीगरी से मुक्त बनाने और लेखांकन बाजीगरी के चंगुल से लाइसेंस शुल्क के मुक्त निर्धारण के लिए परिभाषा तैयार करना था। अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग, कमीशन और पूर्व–भुगतान वाउचर की बिक्री पर वितरकों को दी जाने वाली छूट सकल राजस्व का हिस्सा है और इसकी कटौती इस प्रकार नहीं की जा सकती है –

राजस्व की परिभाषा और ए. एस.–9 मानकों के कुछ नोटों पर निर्भरता रखना; जबकि वे स्पष्ट रूप से इसमें शामिल हैं सकल राजस्व की परिभाषा। [पारस 107–108,113–117] [765–F–H; 766–A–F; 768–F–H; 769–A–H]

भारत संघ बनाम। बॉम्बे टायर्स इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड (2005) 3 एस. सी. सी. 787; बिक्री कर उपायुक्त (कानून), राजस्व बोर्ड (कर), एर्नाकुलम बनाम। एम/एस। आडवाणी ओरलिकॉन (पी) लिमिटेड (1980) 1 एस. सी. सी. 360: [1980] 1 एससीआर 931; एम/एस। यूनाइटेड एक्सपोर्ट्स बनाम। आयकर आयुक्त, दिल्ली (2009) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2566; आई. एफ. बी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। केरल राज्य (2012) 4 एससीसी 618: [2012] 4 एस. सी. आर. 802; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मद्रास बनाम। एडिसन एंड कंपनी लिमिटेड (2016) 10 एससीसी 56: [2016] 9 एस. सी. आर. 591; सदर्न मोटर्स बनाम की स्थिति

कर्नाटक और ओआरएस। (2017) 3 एससीसी 467; माया

उपकरण प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ के अतिरिक्त आयुक्त v.

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन

वाणिज्यिक कर और अन्य। (2018) 2 एससीसी 756: [2018]

2 एस. सी. आर. 250–लागू नहीं होता।

2.2 पूर्व–भुगतान विकल्पों के बारे में, राजस्व और लाइसेंस शुल्क के विवरण का प्रारूप अनुबंध के परिशिष्ट ।। में निहित है। ।। में पूर्व–भुगतान विकल्पों के मामले में, पूर्व–भुगतान किए गए सिम कार्डों की बिक्री का प्रावधान है, जिसमें उसमें लगाए गए घटकों का पूरा मूल्य भी शामिल है।

मोबाइल सामुदायिक फोन सेवा से प्राप्त सभी घटकों के पूर्ण मूल्य सहित राजस्व पर विचार किया जाना चाहिए, सभी कमीशन और छूट आदि सहित फ्रेंचाइजी/पुनर्विक्रेताओं से प्राप्त राजस्व को सकल राजस्व का हिस्सा बनाना होगा। पार्टियों ने सकल राजस्व का भुगतान करने के लिए कैसे समझा और सहमति व्यक्त की है, यह 22.7.2001 दिनांकित पत्राचार और पत्र और लाइसेंस समझौते में उल्लिखित अंतिम परिभाषा से स्पष्ट है।

खंड 19.1 और सरकार द्वारा टी. आर. ए. आई. की सिफारिशों को अस्वीकार करना। टी. डी. एस. ए. टी. ने यह ठहराने में गलती की है कि यदि छूट कम बिलिंग के रूप में है, तो सकल राजस्व में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। इसका मतलब है उल्लंघन करना

सकल राजस्व की परिभाषा जहाँ किसी कटौती की अनुमति नहीं है। डी. ओ. टी. द्वारा यह उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है कि सहमत शुल्कों से अधिक छूट व्यवसाय को बढ़ाने के लिए समग्र वाणिज्यिक रणनीति का हिस्सा है, और इसलिए, ये छूट इस तरह की हैं खर्च। खंड के तहत खर्चों को शुद्ध करने की अनुमति नहीं है।

19.1 लाइसेंस समझौते के तहत सकल राजस्व से। इसी तरह, टी. डी. एस. ए. टी. ने कमीशन और छूट के बारे में एक निष्कर्ष रखने और देने में गलती की है यदि चालान रियायती मूल्य पर है, जो Rs.100 के बजाय Rs.90 पर है। इसी कारण से, टी. डी. एस. ए. टी. की खोज टिकाऊ नहीं है। टीडीएसएटी ने लाइसेंसधारियों के मामले को खारिज कर दिया है। जहाँ बिल अधिक राशि के लिए है और छूट अलग से दी गई मात्रा छूट के रूप में है, वहाँ बिल की राशि को राजस्व के रूप में लिया जाना चाहिए, और छूट को व्यय के रूप में माना जा सकता है। खोज के उस हिस्से को परेशान नहीं किया जाता है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पर दी जाने वाली सभी छूटों और कमीशनों के लिए, और पूर्व-भुगतान किए गए वाउचर की बिक्री पर वितरकों के लिए, व्यापार छूट, ग्राहकों की छूट और मात्रा में छूट सकल राशि का हिस्सा हैं। राजस्व। लाइसेंसधारियों की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि छूट की पेशकश का उपयोग अक्सर दीर्घकालिक/अवधि में व्यवसाय बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये अपरिहार्य हैं क्योंकि 8 से 10 संचालक एक ही भूगोल में उच्च [2019] 16 एस. सी. आर. पर काम कर रहे थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिस्पर्धी मूल्य। छूट व्यवसाय को जीवित रखने और बढ़ाने और राजस्व बढ़ाने में मदद करती है। इस प्रकार यह लाभ अर्जित करने के लिए खर्च की प्रकृति में है और इस विधि से यह स्वीकार किया जाता है कि व्यवसाय

वृद्धि हुई है और राजस्व में वृद्धि हुई है, इसलिए व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक रणनीति का हिस्सा होने के कारण, इसे व्यय की प्रकृति में माना जाना चाहिए और इसे सकल राजस्व से नहीं काटा जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न रूपों के लिए दावा

लाइसेंसधारियों की ओर से उठाई गई छूट, कमीशन, पूर्व-भुगतान वाउचर, सद्भावना माफी आदि को अस्वीकार कर दिया जाता है और टीडीसैट के निष्कर्ष को इस हद तक दरकिनार कर दिया जाता है कि यह डीओटी द्वारा लिए गए रुख के विपरीत है और यह माना जाता है कि सभी छूट और छूट

कमीशन आदि, जैसा कि चर्चा की गई है, लाइसेंस शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से सकल राजस्व का हिस्सा हैं। [पारस 118,119,120-122] [770-A-H; 771-A-B]

3. पुनः में – विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव से होने वाले लाभः

विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से होने वाले लाभ को एजीआर की गणना में लिया जाना चाहिए और यही वास्तविक राजस्व है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से लाभ

इसे संचय के आधार पर जोड़ा जाना चाहिए। यदि बाद में, राशि को उपकरण की खरीद या रोमिंग के निपटान पर खर्च करना पड़ता है

विदेशी मुद्रा में शुल्क, जो एक लाभ भी है और इसके परिणामस्वरूप

आर्थिक लाभ और सकल राजस्व का निर्धारण करते समय इसका हिसाब रखा जाना चाहिए क्योंकि देयता में कमी लाभ होगी। जो भी खर्च हो, चाहे वह बढ़ा हो या घट गया हो, उसका हिसाब रखा जाना चाहिए क्योंकि यह सकल राजस्व का हिस्सा है। सकल राजस्व की परिभाषा में, कोई अन्य

विविध राजस्व को शामिल किया जाता है, और जब एक बार वस्तु को बैलेंस शीट या लाभ और हानि खाते में दिखाना होता है, तो जाहिर है, इसे सकल राजस्व के लिए, यहां तक कि एक काल्पनिक आंकड़े के रूप में भी गिना जाना चाहिए। एक बार जब राशि प्राप्य हो जाती है, तो इसे सकल राजस्व के हिस्से के रूप में लिया जाना चाहिए। टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए इसके विपरीत निष्कर्ष को इस प्रकार दरकिनार किया जा सकता है। चाहे उपकरण की खरीद के लिए राशि का भुगतान किया गया हो, इसका लेखा–जोखा रखना होगा और बैंकिंग लेनदेन की तारीख पर खर्च किए गए मूल्य के अनुसार इसका लेखा–जोखा होना चाहिए, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से होने वाले लाभ को सकल राजस्व की गणना में जोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा, वह लाभ जो भारत का संघ v है।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन

उपार्जित को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। जहाँ विदेशी मुद्रा के मूल्यवृद्धि के कारण लाभ या हानि होती है, वहाँ इस तरह के लाभ या हानि को व्यवसाय या हानि से लाभ का हिस्सा बनाना पड़ता है। चाहे वह व्यापार के कारण लाभ हो या हानि या परिसंपत्ति के कारण, इसे लाभ और हानि खाते का हिस्सा बनाना पड़ता है, इस प्रकार, इसे सकल राजस्व के लिए लेखा देना पड़ता है। विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव होना चाहिए

खाते में उस समय के लिए लेखा किया जाता है जब राशि है

विदेशी मुद्रा का भी सकल राशि के रूप में हिसाब रखा जाना चाहिए। रसीद, जो सकल राजस्व है। [पारस 128–129] [773–E–H; 774 A–C]

4. पुनः में – शेयरों की बिक्री पर मौद्रिक लाभः

लाइसेंस समझौते में सकल राजस्व की परिभाषा को देखते हुए, प्रत्येक राशि जो इसके बही मूल्य से अधिक है

वर्तमान परिसंपत्ति और जो लाइसेंसधारी कंपनी के पास आती है, उसे बिना जमा किए सकल राजस्व की गणना के लिए विचार किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए कारण कि शुद्ध बही मूल्य से अधिक और उससे अधिक कोई लाभ, यानी जब बिक्री की आय मूल खरीद लागत से कम होती है, लेकिन परिसंपत्तियों के शुद्ध मूल्य से अधिक होती है, तो उसे सकल राजस्व से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

स्वीकार किया जाए। चालू वर्ष के लिए सकल राजस्व का निर्धारण पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी भी वर्ष के लिए सकल राजस्व को प्रारंभिक विवरण और वर्ष के अंत में समापन विवरण के आलोक में माना जाता है। विचाराधीन वर्ष में बही मूल्य से अधिक लाभ क्या है, इसे सकल राजस्व के प्रति ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्राप्त हुआ। लाइसेंसधारियों की ओर से इसके विपरीत की गई प्रस्तुति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ कि शेयरों की बिक्री आदि पर एकत्र किया गया धन राजस्व रसीद की तरह नहीं है, बल्कि एक पूंजी रसीद है। पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ, जिसमें शुद्ध बही मूल्य और स्क्रैप से अधिक की वृद्धि शामिल है, न कि पूरी आय को सकल राजस्व की गणना में राजस्व के रूप में लिया जाना चाहिए और यह बिना किसी आपत्ति के सकल राजस्व की परिभाषा के दायरे में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, ए. जी. आर. के लिए लाभ तब प्राप्त होगा जब बिक्री आगे बढ़ेगी या [2019] 16 एस. सी. आर. का वर्तमान स्वभाव मूल्य।

Rs.60 और Rs.70 पर बेचा जाता है, जैसा कि डीओटी की ओर से अनुरोध किया गया है, रु। 10 यह सकल राजस्व का हिस्सा होगा। एक बार फिर, सकल राजस्व की परिभाषा से छुटकारा पाने के लिए एक व्यर्थ प्रयास किया गया है, और सामान्य व्यावसायिक गतिविधि द्वारा भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है, जो कि ए. एस.–9 के पैरा 4.1 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति है। इसके विपरीत, खंड 19.1 में सकल राजस्व की परिभाषा में सकल राजस्व शामिल है। गैर–अनुज्ञप्ति गतिविधियों से भी राजस्व। इस प्रकार, समर्पण पूरी तरह से सारहीन है और पीछे हट जाता है। प्रारंभिक लागत को ध्यान में रखते हुए टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए विपरीत निष्कर्ष को अलग रखा जाता है। इसे बिक्री की तारीख के अनुसार पुस्तक मूल्य के रूप में देखा जाना चाहिए। परिसंपत्तियों/स्क्रैप, शेयरों आदि के संबंध में इस संबंध में टी. डी. एस. ए. टी. के रुख को मंजूरी दी गई है। [पैरा 131,132] [774–एफ–एच; 775–ए–एफ]

5. पुनः में – पूँजीगत परिसंपत्तियों के संबंध में बीमा दावाः

मूल्य को राजस्व माना जाता है न कि पूंजी परिसंपत्ति का मूल्य क्योंकि प्राप्त नकदी का प्रवाह होता है। इसका लाभ और हानि खाते में हिसाब रखा जाता है। इसे खंड 19.1 में परिभाषित सकल राजस्व का हिस्सा बनाना होगा। का कृत्रिम विभाजन टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा किए गए बीमा दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यह सकल राजस्व की संविदात्मक परिभाषा के विपरीत है। टी. डी. एस. ए. टी. के निष्कर्ष को इस हद तक दरकिनार कर दिया जाता है कि यह राजस्व के विपरीत है। [पैरा 136] [777–बी–सी]

6. पुनः में – पूर्व–भुगतान ग्राहक की नकारात्मक शेष राशिः

यह स्पष्ट है कि नकारात्मक शेष राशि एक व्यावसायिक रणनीति है, और पुनः शुल्क का विकल्प चुनने की स्थिति में राशि को समायोजित किया जाता है। अन्यथा भी, इसे बिल किया जाता है और ग्राहक के खाते में संचय के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। हालांकि इसे खंड के तहत लाइसेंस शुल्क के निर्धारण के लिए सकल राजस्व का हिस्सा बनना पड़ता है। 19.1 , पूर्ण मूल्य पर कॉल की संख्या को इस तरह की व्यावसायिक रणनीति के बिना किसी छूट या प्रोत्साहन के मापा जाना चाहिए। यह राजस्व का एक हिस्सा है। इसे ए. एस.–9 के तहत सकल राजस्व की परिभाषा के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले सकल राजस्व से नहीं काटा जा सकता है। इस प्रकार, टी. डी. एस. ए. टी. के निष्कर्ष को भारत संघ v से नहीं कहा जा सकता है।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन

मामले के तथ्यात्मक पहलुओं में सकल राजस्व के अर्थ के साथ संरेखित करें और अलग रखा जाता है। [पैरा 139] [778–बी–सी]

7. पुनः में – बुनियादी ढांचे के संचालन की प्रतिपूर्ति

खर्च

सकल राजस्व की परिभाषा में, अवसंरचना सुविधा के मद साझाकरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। प्रारूप में अनुलग्नक–II के परिशिष्ट 2 में भी पूरी राशि दिखानी होगी। यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि

सकल राजस्व की राशि का कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता है, और प्राप्त पूरे धन को लाइसेंस शुल्क के निर्धारण के लिए सकल राजस्व के रूप में माना जाना चाहिए। यह लाभ का निर्धारण नहीं है। सकल राजस्व अलग होता है। परिभाषा, और इरादा विवादों को रोकने के लिए स्पष्ट है। इस प्रकार

निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को साझा करने के कारण लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त पूरी राशि को एजीआर तैयार करते समय सकल राजस्व में गिना जाना चाहिए। इस प्रकार, टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए विपरीत निष्कर्ष को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 145] [779–ई–जी]

8. पुनः में – विलंब शुल्क में छूट विलंब शुल्क स्पष्ट रूप से सकल की परिभाषा में शामिल है।

राजस्व। इस प्रकार, इसकी गणना सकल के हिस्से के रूप में की जानी चाहिए।

राजस्व। केवल छूट के माध्यम से, इसे सकल राजस्व के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है जब यह देय हो जाता है। इस प्रकार, की खोज टी. डी. एस. ए. टी. टिकाऊ नहीं है और इसे अलग रखा गया है। [पैरा 150] [780 एफ–जी]

9. पुनः में – रोमिंग शुल्क और पी. एस. टी. एन. से होने वाला लाभ शुल्क से गुजरता है।

2011 के फैसले के पैरा 49 में प्रस्तुत करने का ध्यान रखा गया है। एक बार जब कोई शाखा हो जाती है, जो शायद विदेश में स्थित हो, तो इसकी आय और शाखा की गतिविधि के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं हो सकती है क्योंकि लाइसेंसधारी गतिविधि कर रहा है, और समायोजित सकल राजस्व गतिविधियों की परिभाषा

में लाइसेंस से परे राजस्व शामिल है। इसे सकल राजस्व में शामिल करना होगा। द. प्रस्तुतिकरण पिछले निर्णय से समाप्त होता है, और प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं पाई जाती है। टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष, कुछ शर्तों के आधार पर, डी. ओ. टी. के विपरीत है, को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 158,159] [783–सी–डी] [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. पुनः में – गैर–वापसी योग्य जमा

सकल राजस्व की परिभाषा व्यापक है।

गैर–वापसी योग्य जमा के रूप में गैर–वापसी योग्य जमा लाइसेंस प्राप्त गतिविधियों से अर्जित राजस्व हैं। गैर–वापसी योग्य जमाओं को लाइसेंस समझौते के अनुलग्नक III के अनुसार लाभ और हानि खाते में उपार्जित माना जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि

गैर–वापसी योग्य जमा वास्तव में अग्रिम रूप से प्राप्त राजस्व हैं।

अभिदाताओं से। भले ही उनका उपयोग छूट आदि के लिए किया जाता है। बिल, वे राजस्व का हिस्सा हैं। लाइसेंसधारक स्वयं गैर–वापसी योग्य जमाओं को धारा 80 आई. ए. (2ए) के तहत आय के रूप में मानते हैं।

आय–कर अधिनियम। जो भी हो सकता है। गैर–वापसी योग्य जमाओं के बारे में टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष हिस्सा नहीं है।

गलत रियायत के आधार पर राजस्व का

डी. ओ. टी. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, इसके परिणामस्वरूप अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी है। टी. डी. एस. ए. टी. से इस पर विचार करने की उम्मीद थी

कानून का पालन करते हुए रियायत, क्योंकि ऐसे मामलों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है

और प्रथम दृष्टया गलत के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए

वकील की रियायत पर, इसका कानूनी रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए। यदि कोई स्वीकार किया जाता है, तो उसकी शुद्धता की जांच की जानी चाहिए। [पैरा

162] [783 – एच; 784–ए–सी]

11. पुनः में – लाइसेंस शुल्क की मांग जहां स्पेक्ट्रम नहीं है

प्रदान किया गया

टी. डी. एस. ए. टी. ने माना है कि अन्य गतिविधियों के आधार पर लाइसेंस शुल्क की मांगें खराब, अनुचित, अमान्य हैं और

अस्थिर। विचाराधीन अवधि के दौरान, यूएएस लाइसेंस स्पेक्ट्रम के साथ बंडल किया गया था, और यह स्पष्ट है कि स्पेक्ट्रम के बिना, लाइसेंसधारी लाइसेंस तैयार नहीं कर सकता था। द.

टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष उपयुक्त है। एक बार ऐसा नहीं है

एक लाइसेंस के तहत गतिविधि, केवल इस आधार पर कि लाइसेंस है जारी किया गया, कोई राजस्व अर्जित नहीं किया गया, इसे साझा नहीं किया जा सकता है। फिर भी वहाँ

अनुज्ञप्ति के तहत कोई गतिविधि नहीं है, यानी गैर–अनुज्ञप्ति पर आधारित गतिविधियाँ, राजस्व बंटवारे के बारे में नहीं पूछा जा सकता था। यह एक अनुचित और अनुचित सौदा होगा।

इस तरह के दायित्व पर। वीडियोकॉन एंड एस. टेल के मामले में टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से सहमति है। [पैरा 163] [784–डी–एफ] भारत संघ बनाम।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन

12. पुनः में – ब्याज और लाभांश से आय

सकल राजस्व से ब्याज और लाभांश के अपवर्जन से संबंधित निवेदन पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

अनुज्ञप्ति और गैर–अनुज्ञप्ति गतिविधियों से जो भी ब्याज और लाभांश अर्जित होता है, उसे अनुज्ञप्ति शुल्क के निर्धारण के लिए सकल राजस्व का हिस्सा बनना पड़ता है। [पैरा 164] [784–जी–एच]

13. पुनः में – खराब–ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया

समायोजित सकल राजस्व, खराब ऋण की गणना करते समय डी. ओ. टी. द्वारा खराब ऋणों को कटौती के रूप में छूट नहीं दी जाती है।

बाद में वसूल किए जाने पर इसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, इसे सकल राजस्व में नहीं जोड़ा जा सकता है। विवादित क्रम में टी. डी. एस. ए. टी.। टी. डी. एस. ए. टी. ने लाइसेंसधारियों की प्रस्तुति को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि, साथ ही, इसने लाइसेंसधारियों के हितों की रक्षा की है। यदि इसे बाद में महसूस किया जाता है, तो यह नहीं हो सकता है फिर से चार्ज करें। इसे केवल एक बार चार्ज किया जाना चाहिए। यह निष्कर्ष उचित पाया गया है। टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। [पारस 165,166] [785–ए बी–डी]

हिन्दुस्तान मशीन्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ (1985) 2

एस. सी. सी. 197 [1985] 2 एस. सी. आर. 686–संदर्भित। 14. पुनः में – देयता लिखी जाती है।

टी. डी. एस. ए. टी. ने ठीक ही कहा कि यदि इसे एक व्यय के रूप में माना जाना है, तो देयता को एक व्यय के रूप में माना जाना चाहिए, और आय पर किसी भी छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारित करना। लाइसेंस शुल्क की गणना के लिए दूसरी बार शुल्क नहीं लिया जा सकता है। इसलिए, इसे एक खर्च के रूप में माना जाना चाहिए, और लाइसेंस शुल्क निर्धारित करने के लिए छूट की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, यह माना जाता है कि इसे एक खर्च के रूप में माना जाना चाहिए, और लाइसेंस शुल्क निर्धारित करने के लिए छूट की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 168,170] [786–ए–सी]

राजपूताना ट्रेडिंग कं. लिमिटेड बनाम इंको 67 मी टैक्स, पश्चिम बंगाल–I (1982) एस. सी. सी. 775 के आयुक्त ने इस पर भरोसा किया।

15. पुनः में – अंतर–निगमित ऋण

अंतर–निगमित ऋण से ब्याज आय को लाइसेंस शुल्क निर्धारित करने के लिए सकल राजस्व में शामिल किया जाना चाहिए। [पैरा 173] [786–एच] [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. पुनः में – आईपी–1 पंजीकरण के तहत राजस्व

सकल राजस्व की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि लाइसेंस प्राप्त गतिविधियों और गैर–लाइसेंस प्राप्त गतिविधियों से भी आय होती है।

गतिविधियों और लाइसेंसधारी के किसी भी अन्य विविध राजस्व को शामिल करना होगा। इस प्रकार, डी. ओ. टी. ने सी. यू. जी. लाइसेंस के तहत आई. पी. पंजीकरण से लाइसेंसधारी की आय को उचित रूप से शामिल किया है। [पैरा 174] [787–ए–बी]

17. पुनः में – प्रबंधन परामर्श सेवाओं से आयः

जब सकल राजस्व की परिभाषा पर विचार किया जाता है, तो इसे समायोजित सकल राजस्व में शामिल करना होता है ताकि

लाइसेंस शुल्क। प्रबंधन सहायता से आय और

अनुज्ञप्तिधारी के परामर्श को बाहर नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत प्रस्तुत करना स्वीकार नहीं किया जा सकता है और अस्वीकार कर दिया जाता है। टीडीएसएटी

भारती एयरटेल के मामले में भी यह उचित माना गया है कि केबल लैंडिंग स्टेशन से होने वाले राजस्व को सकल राजस्व में शामिल किया जाना चाहिए। [पारस 175,176] [787–सी–डी]

18. पुनः में – रेस जुडिकाटा

योग्यता के आधार पर उठाई गई सभी दलीलों की फिर से जांच की गई है, जो याचिका से अप्रभावित हैं।

न्यायपालिका/रचनात्मक न्यायपालिका, और जो प्रस्तुतियाँ की गई हैं उनमें कोई योग्यता नहीं पाई गई है। [पैरा 181] [793–सी]

लोहिया मशीन्स लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और अन्य। (1985) 2 एससीसी 197: [1985] 2 एससीआर 686; हिंदुस्तान

स्टील लिमिटेड बनाम। उड़ीसा राज्य (1969) 2 एससीसी 627: [1970] 1 एससीआर 753; अकबर बदरूद्दीन गिवानी बनाम। कलेक्टर

सीमा शुल्क (1990) 2 एस. सी. सी. 203: [1990] 1 एस. सी. आर. 369; जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़, (2003) 1 एस. सी. सी. 67; टेकुमसेह प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, हैदराबाद (2004) 6 एस. सी. सी. 30 [2004] 2 सप्लीमेंट। एससीआर 202; जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी (1994) 4 एस. सी. सी. 276: [2015] 1 एससीआर 627; कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण और एएनआर।

(2015) 4 एससीसी 136: [2015] 1 एस. सी. आर. 627; भारतीय केंद्रीय बैंक बनाम. रवींद्र और ओआरएस। (2002) 1 एससीसी 367: [2001] 4 पूरक। एस. सी. आर. 323 संदर्भित है।

भारत संघ v. भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन

19. पुनः में – ब्याज, जुर्माना और ब्याज का शुल्क

दंडः

यह दंडात्मक ब्याज की वसूली नहीं है, जो तत्काल मामले में शामिल है। जब अनुबंध की शर्त होती है, तो ब्याज लगाया जा सकता है और चक्रवृद्धि की जा सकती है। नतीजतन, ब्याज और जुर्माना उचित रूप से लगाया गया है। एक बार कमी की मात्रा नहीं है भुगतान किए जाने पर, सहमति के अनुसार चूक राशि पर जुर्माने का 50 प्रतिशत वहन करना पड़ता है। इस प्रकार, प्रस्तुतिकरण में कोई सार नहीं है कि

ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जा सकता है। यह समझौते के अनुसार है। तथ्यों और परिस्थितियों में, लाइसेंसधारियों की ओर से उठाई गई असमर्थनीय आपत्तियों की प्रकृति पर विचार करते हुए, इसे कम करने का कोई आधार नहीं पाया गया है, जो वास्तव में या तो न्यायिक या रचनात्मक न्यायिक द्वारा वर्जित थीं, लेकिन क्योंकि इस न्यायालय ने मामले को टीडीएसएटी को यह पता लगाने के लिए भेज दिया था कि मांग की उचित व्याख्या पर आधारित थी।

लाइसेंस। सकल राजस्व की परिभाषा में विभिन्न शीर्षों को शामिल करने पर निष्कर्ष देने के बाद मामले को प्रेषित किया गया था। यहाँ तक कि

अनुज्ञप्तिधारियों के मामले के अनुसार उन्हें परिभाषा में वैध रूप से शामिल नहीं किया गया था, अब इसका खंडन करते हुए यह रुख अपनाया गया है कि वे राजस्व का हिस्सा नहीं थे जो अनुमेय नहीं है। किसी भी वादी को इस तरह के असंगत पर फल काटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और

कई दौरों में दशकों तक असमर्थनीय स्थिति और मुकदमेबाजी जो इतनी असामान्य नहीं है, लेकिन बहुत से मामलों में परेशान करने वाला परिदृश्य है। [पैरा 197,198] [809–जी–एच; 810–ए–सी]

जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ (2007) 13 एस. सी. सी. 673 [2007] 12 एस. सी. आर. 136–विशिष्ट।

भारत संघ और एक अन्य v. एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (2011) 10 एससीसी 543

: [2011] 14 एस. सी. आर. 657 पर भरोसा किया।

एम/एस। एवरेस्ट औद्योगिक निगम और अन्य। वी. गुजरात राज्य वित्तीय निगम (1987) 3 एससीसी 597:

[1987] 3 एस. सी. आर. 607; पंजाब वित्तीय निगम बनाम। सूर्या ऑटो इंडस्ट्रीज (2010) 1 एस. सी. सी. 297 [2009] 15 एस. सी. आर. 1187; महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाम। सचिकित्सा प्रसारक मंडला (2010) 3 एस. सी. सी. 786: [2010] 3 एस. सी. आर. 91; गोधरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड बनाम। गुजरात राज्य (1975) 1 एससीसी 199: [1975] 2 एस. सी. आर. 42; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम. पुष्पालय प्रिंटर्स [2019] 16 एस

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2004) 3 एससीसी 694 [2004] 2 एससीआर 631; औद्योगिक उड़ीसा लिमिटेड का संवर्धन और निवेश निगम v.

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2016) 15 एस. सी. सी. 315 –

संदर्भित किया गया।

लेघ–जोन्स, लॉन्गमोर और अन्य (एड।) मैकगिलिव्रे चालू है बीमा कानून (9 वीं संस्करण। , स्वीट एंड मैक्सवेल, लंदन

1997) पी पर। 280 ; रॉबर्ट एंड मी 67 रकिन (एड.), कॉलिनवॉक्स;

बीमा कानून (छठा संस्करण, 1990) पी। 42 – संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2011] 14 एससीआर 657

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

[2007] 12 एससीआर 136

प्रतिष्ठित

पैरा 38

[2010] 3 एससीआर 91

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

[1975] 2 एससीआर 42

संदर्भित किया गया है

पैरा 60

[2004] 2 एससीआर 631

संदर्भित किया गया है

पैरा 72

(2016) 15 एस. सी. सी. 325

संदर्भित किया गया है

पैरा 73

[1966] एससीआर 500

संदर्भित किया गया है

पैरा 77

[2009] 10 एससीआर 373

संदर्भित किया गया है

पैरा 78

[2018] 12 एससीआर 906

पैरा 80

संदर्भित किया गया है

(2014) 8 एस. सी. सी. 866

पैरा 81

संदर्भित किया गया है

[2011] 14 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 82

[2012] 9 एससीआर 311

संदर्भित किया गया है

पैरा 86

[1972] 3 एससीआर 784

पैरा 86

संदर्भित किया गया है

[1975] 3 एससीआर 254

संदर्भित किया गया है

पैरा 87

[1994] 2 एससीआर 67

संदर्भित किया गया है

पैरा 87

[1996] 5 पूरक। एससीआर 465

संदर्भित किया गया है

पैरा 87

[2003] 2 एससीआर 574

संदर्भित किया गया है

पैरा 87

[2003] 5 पूरक। एससीआर 930

संदर्भित किया गया है

पैरा 87

[1963] 3 एससीआर 183

पैरा 88

संदर्भित किया गया है

[1994] 2 एससीआर 67

उस पर भरोसा करें

भारत के एकीकृत दूरसंचार प्रदाताओं का पैरा 88

उस पर भरोसा करें

पैरा 89

उस पर भरोसा करें

पैरा 90

संदर्भित किया गया है

पैरा 91

उस पर भरोसा करें

पैरा 91

उस पर भरोसा करें

पैरा 92

उस पर भरोसा करें

पैरा 93

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 110

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 110

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 111

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 111

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 111

उस पर भरोसा करें

पैरा 169

संदर्भित किया गया है

पैरा179 पैरा 187 (ए)

संदर्भित किया गया है

पैरा 187 (बी)

संदर्भित किया गया है

पैरा 187 (सी)

संदर्भित किया गया है

पैरा 187 (डी)

संदर्भित किया गया है

पैरा 187 (ई)

संदर्भित किया गया है

पैरा 187 (च)

संदर्भित किया गया है

पैरा 187 (जी)

संदर्भित किया गया है

पैरा 190

संदर्भित किया गया है संदर्भित किया गया है

पैरा 191

संकटः सिविल अपील सं। 6328

डी दूरसंचार का आदेश 23.04.2015

2003 की याचिका संख्या 7 में देर से न्यायाधिकरण

284 , 289 , 290 , 291 , 292 2007 का 33, 34, 201, 2003, 2009 का 234, 235, 244, 106 ओः , 478 , 480 2011 के 43, 97, 98, 99, 100 [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 150 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 198 , 199 , 200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205 2012 का

के साथ

तुषार मेहता, एसजी, विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, अरिजीत प्रसाद, अरविंद दातार, रामजी श्रीनिवासन, सुश्री पिनाकी मिश्रा, सी. ए. सुंदरम, तरुण गुलाटी, श्याम दीवान, गोपाल जैन, कविन गुलाटी, रितिन राय, बी. आदिनारायणन राव, डॉ. ए. एम. सिंघवी, यू. हजारिका, चेतन शर्मा, सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , ध्रुव टम्टा, एच. राघवेंद्र राव, सुश्री शारदा देशमुख, सुश्री बीनू टम्टा, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, जी. एस.

मक्कर, रजत नायर, सार्थक रायजादा, मंसूर अली शोकत, सुश्री नितिन काला, सुश्री मनाली सिंघल, संतोष सचिन, सुश्री विनीता शशिधरन, पी. रमेश कुमार, अभिजात पी. मेध, दीपक सिंह रावत, बिरजेश कुमार सिन्हा, हितेश कुमार शर्मा, सुश्री मीताली पटोलिया, महेश अग्रवाल, सुश्री शाली भसीन, चैतन्य सफाया, सुश्री सायरी

बसु मलिक, वैभव नीति, Ms.Surabhi लिमये, सुश्री वैशाली कलारा, सुश्री माधवी अग्रवाल, सुश्री अंबिका माथुर, ई. सी. अग्रवाल, शाश्वत बाजपेयी, मंजुल बाजपेयी, अर्जुन। पुखरंबम रमेश कुमार, सुश्री विभा धवन, सुश्री अल्विया अहमद, हर्ष कौशिक, पर्कवियल बिलिमोरिया, अमित भंडारी, वी. पी. सिंह, अतुल एन., प्रद्युम्न शर्मा, निखार लूथरा, प्रशांति राव, आमिर खान, सुश्री अनवी सूद, शौर्य एस. वर्धन, रोहित सरोज, पॉल रॉय पाशे, सुश्री धरित्री फूकन, श्रीमती अंजनी अय्यगारी, श्रीमती एम. वी. रामा, सुश्री सुमिता हजारिका, मोहित डी. राम, सुश्री मोनिशा हांडा, अभिषेक गुप्ता, सुश्री शिखा सरीन, राहुल नारायण, बी. कृष्ण प्रसाद, गौतम नारायण, सुश्री स्मिता नारायण।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन

सौम्येन दास, राजन नारायण, नवीन कुमार, पुनीत दत्त त्यागी, नवनीत कुमार, मेसर्स। कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप, गुरमीत सिंह मक्कर, श्रीमती अनिल कटियार, फैसल शेरवानी, गुरप्रीत सिंह काहलों, अचल गुप्ता, मयंक ग्रोवर, गौरव केजरीवाल, श्रीमती बीना गुप्ता, बिरजेश कुमार सिन्हा, हितेश कुमार शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, श्वेतांक शांतनु, रवि।

चौहान, प्रताप शंकर, संजीव के. चौधरी, सुनील कुमार जैन, किशोर कुणाल, मोहित पॉल, सुश्री मनीषा धीर, सुश्री सुनैना फुल, अभिषेक कुमार, सारांश गुप्ता, रामेश्वर प्रसाद गोयल, देवाशीष भरुका, सुश्री प्रत्यूषा प्रियदर्शिनी, ईशान नगर (मेसर्स के लिए)। पारेख एंड कंपनी)। रोहित महाजन, रोहित त्रिपाठी, प्रणव (मेसर्स के लिए)। दुआ एसोसिएट्स), अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे.

1. अपीलों में शामिल प्रश्न लाइसेंस के खंड 19.1 में परिभाषित सकल राजस्व की परिभाषा के संबंध में है। भारत सरकार द्वारा दूरसंचार सेवा को दिया गया समझौता

2. हालांकि, जैसा कि कहा गया था कि निर्धारित लाइसेंस शुल्क बहुत अधिक था और दूरसंचार सेवा प्रदाता लगातार भुगतान करने में चूक करते रहे। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने भारी लाइसेंस शुल्क के खिलाफ राहत के लिए भारत सरकार को एक अभ्यावेदन दिया। उक्त प्रतिनिधित्व पर विचार किया गया और देश और दूरसंचार क्षेत्र के हित को ध्यान में रखते हुए, एक नया पैकेज, जिसे "राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999 शासन" के रूप में जाना जाता है, लाइसेंसधारियों को निर्धारित लाइसेंस शुल्क से राजस्व साझाकरण शुल्क में स्थानांतरित करने का विकल्प देता है, वर्ष 1999 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999 को 16 एस. सी. आर. आयोजित करने के बाद तैयार किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दूरसंचार सेवा के साथ विचार–विमर्श और परामर्श का नेतृत्व कियाडर्स और दूरसंचार उद्योग। प्रवास पैकेज का खंड III

निम्नानुसारः

" (iii) लाइसेंस के तहत सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में लाइसेंस शुल्क डब्ल्यू. ई. एफ. 1.8.1999 से देय होगा। सरकार दूरसंचार विभाग की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद लाइसेंस शुल्क के रूप में राजस्व हिस्से की मात्रा वसूलने का अंतिम निर्णय लेगी। भारतीय नियामक प्राधिकरण (ट्राई)। इस बीच,

सरकार ने सकल राजस्व का 15 प्रतिशत तय करने का निर्णय लिया अस्थायी लाइसेंस शुल्क के रूप में लाइसेंसधारी। इसके लिए सकल राजस्व

डी. ओ. टी./एम. टी. एन. एल. को भुगतान किए गए पी. एस. टी. एन. संबंधित कॉल शुल्क और सरकार की ओर से लाइसेंसधारी द्वारा एकत्र किए गए सेवा कर को छोड़कर अपने ग्राहकों से। ट्राई की सिफारिश मिलने पर

और सरकार का अंतिम निर्णय, का अंतिम समायोजन

अस्थायी बकाया राजस्व हिस्सेदारी के प्रतिशत और इस उद्देश्य के लिए राजस्व की परिभाषा के आधार पर प्रभावी होगा।

जैसा कि अंततः तय किया जा सकता है। "

3. जैसा कि नई दूरसंचार नीति, 1999 में उल्लेख किया गया है, उद्देश्य

"राजस्व साझाकरण व्यवस्था" में बदलाव के लिए जो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए अधिक फायदेमंद थे, वे थेः

● वर्ष 2002 तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराएँ और उसके बाद इसे बनाए रखें ताकि वर्ष तक 7 का दूरभाष घनत्व प्राप्त किया जा सके।

2005 और वर्ष 2010 तक 15।

• ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास को प्रोत्साहित करना ताकि उपयुक्त शुल्क संरचना और निर्माण द्वारा इसे और अधिक किफायती बनाया जा सके।

सभी निश्चित सेवाओं के लिए ग्रामीण संचार अनिवार्य

प्रदाता।

● वर्ष 2010 तक ग्रामीण दूर संचार घनत्व को 0.40 के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 4 करना और विश्वसनीय प्रसारण माध्यम प्रदान करना।

सभी ग्रामीण क्षेत्रों में।

● वर्ष 2002 तक देश के सभी गाँवों में दूरसंचार कवरेज प्राप्त करना और सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय मीडिया प्रदान करना। • सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना

वर्ष 2000।

भारत का आयन बनाम। भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

• उपयोग करके उच्च गति डेटा और मल्टीमीडिया क्षमता प्रदान करें

आबादी वाले सभी शहरों में आई. एस. डी. एन. सहित प्रौद्योगिकियां वर्ष 2002 तक 2 लाख से अधिक।

4. नए दूरसंचार के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर विचार करना

और, 1999, यह प्रतीत होता है किः

आई. केंद्र सरकार ने एक उदारीकृत तरीका दिया

"राजस्व साझाकरण" व्यवस्था द्वारा भुगतान, जो कीमत थी

केंद्रीय विशेषाधिकार से अलग होने के लिए

सरकार के पास था।

ii. दूरसंचार नीति, 1999, इस तरह से तैयार की गई थी कि

सरकार "सकल" का भागीदार या हिस्सेदार बन जाती है।

आय "।

iii. "समायोजित" के शीर्ष के तहत प्राप्त धन से

सकल राजस्व ", केंद्र सरकार ने एक सचेत कदम उठाया

दूरदराज के और खुले क्षेत्रों में पैसा खर्च करने का निर्णय,

अधिकतम सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों

टेली–कनेक्टिविटी।

iv. उक्त उद्देश्य, अन्य बातों के साथ–साथ, देने से प्राप्त किया गया था।

दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए अनुदान ऐसे क्षेत्रों में

5. पंद्रह प्रतिशत ए. जी. आर. "राजस्व" के तहत लाइसेंस शुल्क के रूप में तय किया गया था।

एनजी ", जिसे घटाकर 13 प्रतिशत और अंत में 8 प्रतिशत कर दिया गया था

ऐसा प्रतीत होता है कि "राजस्व साझाकरण" पैकेज निकला

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए बहुत फायदेमंद है, जो सकल राजस्व में निरंतर वृद्धि को स्पष्ट करता है, जो इस प्रकार हैः

टी. एस. पी. एस. द्वारा अर्जित सकल राजस्व

वित्तीय वर्ष

(मार्च में समाप्त)

(करोड़ में)

4,855

2004

2006

2,666

2007

89,108

1,05,061

2008

1,43,044

2009 2010

1,44,232

1,60,251

2011

1,82,637

2012

2,04,221

2013 2014

2,24,430

2015

2,37,676 [2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. हालांकि, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने पैकेज के वित्तीय लाभों के बावजूद यह सुनिश्चित करना शुरू कर दिया कि वे एक सहमत "एजीआर" के आधार पर भी सरकारी खजाने को लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करें।

7. "एजीआर" के सूत्र पर पहुंचने के लिए, लाइसेंस का मसौदा तैयार किया जाता है।

समझौता दूरसंचार ऑपरेटरों को वितरित किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि मसौदा लाइसेंस समझौते में खंड 18.2 प्रदान किया गया है, जो समायोजित सकल राजस्व "एजीआर" के प्रतिशत के रूप में देय वार्षिक लाइसेंस शुल्क से संबंधित है। के खंड 19 के तहत परिभाषित सकल राजस्व

लाइसेंस समझौते का मसौदा इस प्रकार हैः

" 19. 'समायोजित सकल राजस्व' की परिभाषाः

19.1 सकल राजस्वः

सकल राजस्व में स्थापना शुल्क, विलंब शुल्क, हैंडसेटों की बिक्री से प्राप्त आय (या कोई अन्य अंतिम उपकरण आदि), ब्याज, लाभांश, मूल्य वर्धित के कारण राजस्व शामिल होंगे।

सेवाएँ, पूरक सेवाएँ, पहुँच या परस्पर संबंध

प्रभार, रोमिंग शुल्क, बुनियादी ढांचे के अनुमेय बंटवारे से राजस्व और कोई अन्य विविध राजस्व, बिना किसी संबंधित व्यय वस्तु के लिए किसी भी सेट–ऑफ के, आदि। 19.2 "समायोजित सकल राजस्व (ए. जी. आर.)" पर पहुंचने के उद्देश्य से, निम्नलिखित को सकल राजस्व से बाहर रखा जाएगा।

ए. जी. आर. पर पहुंचने के लिएः

I. पी. एस. टी. एन./पी. एल. एम. एन. संबंधित कॉल शुल्क (अभिगम शुल्क) वास्तव में अन्य पात्र/हकदार दूरसंचार को भुगतान किया जाता है।

भारत के भीतर सेवा प्रदाता;

II. रोमिंग राजस्व वास्तव में अन्य योग्य/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिया जाता है और;

III. सेवा और बिक्री कर के प्रावधान पर सेवा कर वास्तव में सरकार को भुगतान किया जाता है यदि सकल राजस्व को बिक्री कर और सेवा कर के घटक के रूप में शामिल किया गया था।

19.3 स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के संबंध में लागू ए. जी. आर.

जैसा कि इस समझौते के भाग VII के तहत दिया गया है।

8. लाइसेंस समझौते के मसौदे के साथ, राजस्व विवरण और लाइसेंस शुल्क के प्रारूप सहित लाइसेंस के सभी अनुलग्नक (परिशिष्ट–II से अनुलग्नक–II) वितरित किए गए थे। राजस्व विवरण और लाइसेंस शुल्क के रूप के अनुसार, दूरसंचार संचालक आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया बनाम थे।

उनके द्वारा अर्जित प्रासंगिक डेटा/राजस्व जमा करने के लिए ताकि अनुमानित एजीआर/लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया जा सके।9. उस संचार दिनांक 01.03.2001 के माध्यम से, एसोसिएशन एस. आई. सी. टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने बुनियादी सेवा लाइसेंसों के लिए मसौदा लाइसेंस पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। राजस्व पर टिप्पणियां

लाइसेंस शुल्क इस प्रकार थाः

" राजस्व का निर्धारण करने के लिए, आय पर उपार्जित आधार पर विचार करने का प्रस्ताव है, जबकि कटौती योग्य व्यय हैं –

वास्तविक या पास–थ्रू आधार पर विचार करने का प्रस्ताव। इसके अलावा, तार्किक रूप से, लाइसेंसधारक को केवल उस आय पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होनी चाहिए जो उसने वास्तव में प्राप्त की है। इसे देखते हुए, राजस्व का उपरोक्त तरीका असमान है। अतः आय और कटौती योग्य व्यय दोनों की गणना की जानी चाहिए।

वास्तविक आधार पर राजस्व के एक न्यायसंगत और उचित आंकड़े पर पहुंचने के लिए जिस पर लाइसेंस शुल्क लगाया जा सकता है।

राजस्व की गणना करते समय ब्याज, लाभांश आदि से होने वाली आय को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। ऐसी आय विशुद्ध रूप से गैर–परिचालन आय है क्योंकि यह सेवा के प्रावधान के अलावा अन्य स्रोतों से अर्जित की जाती है और सभी द्वारा ऐसा माना जाता है।

आई. सी. ए. आई., एस. ई. बी. आई. और स्टॉक एक्सचेंजों सहित सांविधिक प्राधिकरण। इसलिए, ऐसी आय पर कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए और तदनुसार, ऐसी आय को राजस्व के आंकड़े की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

पी एंड एल खाते में जमा की जाने वाली ऐसी सभी जमाओं को राजस्व में शामिल करने का प्रस्ताव है। यह अतार्किक है क्योंकि

इसके अलावा, पूर्ववर्ती वर्षों के लिए वसूल किए गए सभी खराब ऋणों और प्रावधानों और अन्य ऋणों को भी राजस्व में शामिल करने का प्रस्ताव है। हालांकि, खाते में कोई कटौती नहीं है

राजस्व की गणना करते समय चालू वर्ष के लिए खराब ऋण आदि के प्रावधानों की अनुमति दी जाती है। यह असमान, तर्कहीन और मौलिक लेखांकन अवधारणाओं के खिलाफ है। राइट–बैक के कारण इस तरह के परिवर्धन की अनुमति केवल लाइसेंसधारियों को उसी खर्च का संबंधित लाभ दिया जाना चाहिए।

राजस्व की गणना के लिए वर्तमान अवधि की आय।

अंत में, परिभाषा एक व्यापक होनी चाहिए जिसमें वस्तुओं की एक विस्तृत (और सूचक नहीं) सूची शामिल होनी चाहिए जिसे अभिव्यक्ति रेवन्यू में शामिल किया जाएगा। कोई भी सूचक सूची [2019] 16 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भविष्य में अनावश्यक विवादों को जन्म देने के लिए बाध्य, जो

ज्यादातर मामलों में लाइसेंसधारियों के लिए हानिकारक होगा।

10. ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद लाइसेंस पक्ष में जारी किए गए थे

संबंधित दूरसंचार प्रचालक। जैसा कि ऊपर देखा गया है, दूरसंचार ऑपरेटरों ने माइग्रेशन पैकेज का लाभ उठाया। हालाँकि, इसके बाद जब विभाग ने सेवा प्रदाताओं पर मांगें उठाई, तो वर्ष 2003 में एसोसिएशन ऑफ बेसिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स और संबंधित दूरसंचार ऑपरेटरों ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (इसके बाद 'टीडीएसएटी' के रूप में संदर्भित) के समक्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (इसके बाद 'ट्राई अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 14 (ए) (1) के साथ 2003 की याचिका संख्या 07 के तहत एक याचिका दायर की। यह दूरसंचार ऑपरेटरों का मामला था कि विभाग को ट्राई की सिफारिशों के आधार पर मात्रा निर्धारित करनी थी। दूरसंचार ऑपरेटरों के अनुसार, विभाग ने

"ए. जी. आर". शब्द की परिभाषा में आय के विभिन्न तत्वों को अवैध रूप से शामिल किया गया है जो लाइसेंस के तहत संचालन से अर्जित नहीं होते हैं। , लाभांश आय, अल्पकालिक निवेश पर ब्याज आय, कॉल पर छूट, अन्य गतिविधियों से राजस्व अलग से लाइसेंस प्राप्त,

सार्वभौमिक सेवा कोष (यू. एस. एफ.) आदि के तहत प्रतिपूर्ति। दूरसंचार ऑपरेटरों ने जारी की गई सिफारिशों पर बहुत अधिक भरोसा किया

31.08.2000 पर TRAI, नए बुनियादी ऑपरेटरों को लाइसेंस जारी करने के लिए नियमों और शर्तों पर विस्तृत सिफारिशें कर रहा है, अधिक

विशेष रूप से ए, बी और सी श्रेणियों के लिए क्रमशः 12 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की राजस्व हिस्सेदारी के साथ टी. आर. ए. आई. द्वारा की गई सिफारिशों को बेसिक ऑपरेटरों पर लगाया जाना चाहिए।

11.ए. जी. आर. के गुण–दोष और घटकों के आधार पर दूरसंचार ऑपरेटरों ने निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए:

" 48) क्योंकि तार्किक रूप से लाइसेंसधारक को केवल उसी आय पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना चाहिए जो उसके पास है।

वास्तव में प्राप्त किया;

50) क्योंकि ब्याज, लाभांश आदि से आय, जिसे राजस्व की गणना करते समय शामिल करने का प्रस्ताव है, विशुद्ध रूप से गैर–परिचालन आय है क्योंकि यह सेवा के प्रावधान के अलावा अन्य स्रोतों से अर्जित की जाती है और सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है।

आई. सी. ए. आई., एस. ई. बी. आई. और स्टॉक सहित प्राधिकरण

विनिमय करें।

भारत बनाम. भारत के एकीकृत दूरसंचार प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

क्योंकि इन पर कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

राजस्व के आंकड़े की गणना के लिए शामिल; पी एंड एल में जमा की जाने वाली ऐसी सभी जमाओं को ध्यान में रखें।

खाते को राजस्व में शामिल करने का प्रस्ताव है

इसके अलावा, पहले के वर्षों के लिए वसूल किए गए सभी खराब ऋणों और प्रावधानों और अन्य ऋणों को वापस लिखने को भी राजस्व में शामिल करने का प्रस्ताव है। क्योंकि खराब ऋणों के कारण कोई कटौती नहीं,

चालू वर्ष के लिए प्रावधानों आदि की अनुमति है

राजस्व की गणना करते समय किया गया;

क्योंकि परिभाषा व्यापक होनी चाहिए जिसमें एक विस्तृत (और सांकेतिक नहीं) सूची शामिल है

अभिव्यक्तिमें शामिल की जाने वाली वस्तुएँ

राजस्व; "

माना जाता है कि कोई अन्य आधार नहीं उठाया गया था। 2003 की दूरसंचार अधिसूचना संख्या 7 ने निम्नानुसार प्रार्थना की:

घोषणा करें कि समायोजित सकल राजस्व केवल भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के तहत लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार संचालन से सीधे उत्पन्न होने वाले राजस्व से संबंधित हो सकता है,

1885 (खर्चों और बख्शीश और राजस्व के समायोजन के बाद जो प्रत्यक्ष रूप से लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार गतिविधियों और विविध और अन्य वस्तुओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। डी. ओ. टी. के दिनांकित 26.7.01 पत्र में, जिसमें ब्याज आय और लाभांश आय, छूट का मूल्य, छूट, मुफ्त कॉल और यू. एस. ओ. कोष से प्रतिपूर्ति आदि शामिल हैं, को समायोजित सकल राजस्व में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

संगणना लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य;

7.5.03 दिनांकित डी. ओ. टी. पत्रों को अलग रखने का प्रयास करें

इस निर्णय के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को देय और वापसी योग्य राशि में से समायोजित सकल राजस्व से संबंधित उनके दावों को समायोजित/निर्धारित करें।

माननीय न्यायाधिकरण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय;

डी. ओ. टी. के दिनांकित 21.8.02, 9.8.02, 14/21.1.03, 23.1.03, 7.3.03 और इसी तरह की मांगों [2019] 16 एस. सी. आर. को अलग रखें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ब्याज आय और अन्य विविध शीर्षों पर राजस्व हिस्सेदारी का दावा करने वाले बी. एस. ओ. के खिलाफ मामला उठाया गया जो टी. आर. ए. आई. की सिफारिशों के विपरीत हैं।

घ) डी. ओ. टी. को निम्नलिखित सिफारिशों को लागू करने का निर्देश देता है –

TRAI दिनांकित 31.8.00 और 31.10.00;

ङ) डी. ओ. टी. को निर्देश दें कि वह बी. एस. ओ. को ऐसी सभी अतिरिक्त राशियों को प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ वापस करे जो उसके द्वारा अपने दिनांकित पत्र 26.7.01 या 7.5.03 के तहत या अन्यथा एकत्र की गई हो, जो टी. आर. ए. आई. की दिनांकित 31.10.00 की सिफारिशों के विपरीत हो।

13. ऊपर वर्णित आपत्तियों को दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा पहली बार और जल्द से जल्द उठाए गए आधारों का पहला सेट कहा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा ए. जी. आर. और इसके घटकों को अंतिम रूप देने से पहले टी. आर. ए. आई. के साथ पर्याप्त परामर्श नहीं किए जाने के बाद इस मामले को टी. आर. ए. आई. को भेज दिया गया।

एजीआर। टी. आर. ए. आई. को मामला भेजते समय, टी. डी. एस. ए. टी. ने गैर–लाइसेंस प्राप्त गतिविधियों से प्राप्त लाइसेंसधारी राजस्व के सकल राजस्व में शामिल करने के संबंध में कुछ टिप्पणियां कीं। टी. डी. एस. ए. टी.

ने टी. आर. ए. आई. की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद या अक्टूबर 2006 के पहले सप्ताह में आगे के निर्देश/सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

जो भी पहले हो (आदेश दिनांकित 07.07.2006, कोरमः न्यायमूर्ति एन. संतोष हेगड़े, अध्यक्ष और डी. पी. सहगल, सदस्य)।

14. कि 07.07.2006 दिनांकित आदेश में, न्यायाधिकरण ने यू. ओ. आई. की दलीलों को खारिज कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि भारतीय संविधान की धारा 4 के तहत टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, केंद्र सरकार लाइसेंस के तहत लाइसेंसधारी की गतिविधियों से प्राप्त लाइसेंसधारी के सकल राजस्व के हिस्से का प्रतिशत ले सकती है और इसलिए लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस गतिविधियों से परे गतिविधियों से प्राप्त राजस्व दायरे से बाहर होगा।

टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि ट्राई अधिनियम की धारा 11 (1) (ए) केंद्र सरकार को ट्राई द्वारा देय लाइसेंस शुल्क पर ट्राई से सिफारिशें लेने का आदेश देती है।

लाइसेंसधारी और चूंकि टी. आर. ए. आई. ने कोई प्रभावी परामर्श नहीं किया है, इसलिए मामले को टी. आर. ए. आई. को भेजा जाना चाहिए और टी. आर. ए. आई. इस मुद्दे पर विचार कर सकता है और न्यायाधिकरण को अपनी सिफारिशें भेज सकता है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि भारत संघ ने दिनांकित आदेश को चुनौती दी थी

07.07.2006 टी. आर. ए. आई. अधिनियम की धारा 18 के तहत 2007 की सिविल अपील संख्या 84 में इस न्यायालय के समक्ष न्यायाधिकरण का। दीवानी अपील के लंबित रहने के दौरान, टी. आर. ए. आई. ने ए. जी. आर. के बारे में अपनी सिफारिशें भेजीं जो भारत संघ बनाम.

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 07.07.2006 के अपने आदेश के माध्यम से अनुरोध किया गया है। इसलिए, जब सिविल अपील 2007 इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो इस न्यायालय ने भारत संघ को न्यायाधिकरण के समक्ष सिविल अपील में उठाई गई सभी दलीलों का आग्रह करने की स्वतंत्रता के साथ उक्त अपील को खारिज कर दिया।

15. ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद ट्राई ने अपनी सिफारिशें भेजीं।

टीडीएसएटी के लिए। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हालांकि इस न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 84/2007 में पारित दिनांक 19.01.2007 के आदेश को देखते हुए, सिविल अपील में उठाए गए सभी तर्कों का आग्रह करने के लिए भारत संघ के पक्ष में स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई थी और तदनुसार भारत संघ ने प्रस्तुत किया कि भारत संघ फिर से खोलने का हकदार है।

यह मुद्दा कि क्या लाइसेंस समझौते में ए. जी. आर. की परिभाषा की वैधता पर न्यायाधिकरण के समक्ष सवाल उठाया जा सकता है, जिसमें यह प्रस्तुत करते हुए कि ए. जी. आर. में लाइसेंस के बाहर की गतिविधियों से प्राप्त

राजस्व भी शामिल होगा, टी. डी. एस. ए. टी. ने अपने नए आदेश दिनांक 30.08.2007 में भारत संघ को उपरोक्त मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं दी, और न्यायाधिकरण ने कहा कि उसका पूर्व आदेश दिनांक 07.07.2006 अंतिम हो गया है, इसे सिविल अपील सं. 84/2007 के निपटारे के बाद फिर से नहीं खोला जा सकता है। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि वह पहले के दिनांक 1 के आदेश में यह निष्कर्ष निकाल रहा है कि समायोजित सकल राजस्व "एजीआर" में केवल लाइसेंस गतिविधियों से उत्पन्न राजस्व शामिल होगा न कि लाइसेंस के बाहर की गतिविधियों से प्राप्त राजस्व को भारत संघ द्वारा फिर से उत्तेजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, टी. डी. एस. ए. टी. ने माना कि ए. जी. आर. में केवल लाइसेंस गतिविधियों से प्राप्त राजस्व शामिल होगा। उसके बाद न्यायाधिकरण ने अपने नए आदेश में टी. आर. ए. आई. की सिफारिशों पर विचार किया जिसमें राजस्व के प्रमुखों को शामिल किया जाना है और राजस्व के प्रमुखों को ए. जी. आर. से बाहर रखा जाना है और निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः

" (i) न्यायाधिकरण ने ट्राई की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया कि लाभांश से आय भले ही राजस्व का हिस्सा लाइसेंस प्राप्त गतिविधि से राजस्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और इसलिए इसे समायोजित सकल में शामिल नहीं किया जा सकता है।

राजस्व।

(2) न्यायाधिकरण ने ट्राई की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया कि सकल राजस्व में सरकार के हिस्से के कारण देयता सहित सभी देनदारियों को पूरा करने के बाद एक लाइसेंसधारी द्वारा की गई बचत के निवेश पर अर्जित ब्याज को समायोजित सकल में शामिल नहीं किया जा सकता है।

राजस्व, लेकिन, प्राप्त धन के निवेश पर ब्याज [2019] 16 एस. सी. आर.

न्यायालय की पूर्व रिपोर्ट

किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शुल्कों के विरुद्ध प्रतिभूति के कारण और दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करने के लिए देय शुल्कों में दी गई रियायतों के कारण ग्राहकों से जमा के माध्यम से समायोजित सकल राजस्व में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि ये दूरसंचार सेवा से संबंधित हैं। जो लाइसेंस प्राप्त गतिविधि का हिस्सा है।

i) न्यायाधिकरण ने पूंजीगत लाभ पर ट्राई की सिफारिश को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और कहा कि अचल संपत्तियों, प्रतिभूतियों, वारंट या ऋण उपकरणों जैसी परिसंपत्तियों की बिक्री लाइसेंस प्राप्त गतिविधि का हिस्सा नहीं है और इसलिए परिसंपत्तियों की ऐसी बिक्री पर लाइसेंसधारी द्वारा अर्जित पूंजीगत लाभ समायोजित का हिस्सा नहीं हो सकता है।

सकल राजस्व।

v) न्यायाधिकरण ने ट्राई की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया कि विदेशी मुद्रा दर में उतार–चढ़ाव से होने वाला लाभ भी दूरसंचार सेवा की लाइसेंस प्राप्त गतिविधि का हिस्सा नहीं है

प्रदाता और, इसलिए, इसका हिस्सा नहीं हो सकते हैं

समायोजित सकल राजस्व।

v) न्यायाधिकरण ने खराब ऋणों, करों और विक्रेताओं के क्रेडिट जैसे प्रावधानों के प्रत्यावर्तन पर ट्राई की सिफारिश को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और कहा कि इन सभी प्रत्यावर्तनों को समायोजित सकल से बाहर रखा जाना चाहिए।

राजस्व।

i) न्यायाधिकरण ने भी इन सिफारिशों को स्वीकार कर लियाः

टी. आर. ए. आई. ने कहा कि लाइसेंसधारी के स्वामित्व वाली संपत्ति के किराए को समायोजित सकल राजस्व से बाहर रखा जाना चाहिए।

बशर्ते कि यह स्थापित हो कि संपत्ति किसी में नहीं है

स्थापना, रखरखाव और रखरखाव से जुड़ा तरीका दूरसंचार का कार्य।

i) न्यायाधिकरण ने ट्राई की सिफारिश को स्वीकार कर लिया कि

किराए पर लेने और पट्टे पर देने से होने वाली आय

टावर, डार्क फाइबर आदि जैसे बुनियादी ढांचे को समायोजित सकल राजस्व का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि वे लाइसेंसधारी की लाइसेंस प्राप्त गतिविधि के हिस्से हैं।

i) न्यायाधिकरण ने टी. आर. ए. आई. की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया कि भारत बनाम के संबंध में निविदाओं, निर्देशिकाओं, प्रपत्रों की बिक्री, जमा/बकाया धन की जब्ती से राजस्व।

राजस्व, लेकिन यह माना कि प्रबंधन शुल्क, परामर्श शुल्क और दूरसंचार सेवा से प्रशिक्षण शुल्क समायोजित सकल राजस्व का हिस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि इन गतिविधियों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि तीसरे पक्ष की ओर से प्राप्त भुगतान समायोजित सकल राजस्व का हिस्सा नहीं होना चाहिए और इसकी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया।

इस संबंध में ट्राई।

न्यायाधिकरण ने ट्राई की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया कि टीवी अपलिंकिंग और इंटरनेट सेवा से होने वाला राजस्व समायोजित सकल राजस्व का हिस्सा होना चाहिए।

क्योंकि ये गतिविधियाँ एक अलग लाइसेंस के तहत हैं।

न्यायाधिकरण ने ट्राई की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया कि दूरसंचार सेवा के साथ बंडल किए गए हैंडसेट या टेलीफोन उपकरणों की बिक्री समायोजित सकल का हिस्सा होनी चाहिए।

न्यायाधिकरण ने टी. आर. ए. आई. की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया कि यू. एस. ओ. कोष से प्राप्तियां इसका हिस्सा नहीं होंगी। समायोजित सकल राजस्व।

न्यायाधिकरण ने ट्राई की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया कि खराब ऋण, छूट और छूट को समायोजित सकल राजस्व का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और यह अभिनिर्धारित किया कि लाइसेंसधारी द्वारा किए गए नुकसान को समायोजित सकल राजस्व से बाहर रखा जाना चाहिए।

न्यायाधिकरण ने ट्राई की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया कि लाइसेंसधारी द्वारा देय सेवा कर को शामिल किया जाना चाहिए [2019] 16 एस. सी. आर.

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

या उपार्जित आधार पर समायोजित सकल राजस्व से बाहर रखा गया और ट्राई की इस सिफारिश को भी स्वीकार किया कि परस्पर संबंध के उपयोग को भी समायोजित सकल राजस्व में शामिल या बाहर रखा जाना चाहिए। संचय आधार।

vii) न्यायाधिकरण ने टी. आर. ए. आई. की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया कि उन वस्तुओं के संबंध में उसकी सिफारिशें, जिन्हें सकल राजस्व में शामिल किया जाना है या जिन्हें बाहर रखा जाना है, को लागू किया जाना चाहिए।

यह एक संभावित तिथि से प्रभावी होगा और इसके बजाय यह अभिनिर्धारित किया गया कि समायोजित सकल राजस्व में शामिल या बाहर रखी गई वस्तुओं के संबंध में न्यायाधिकरण के निष्कर्ष लाइसेंसधारी की तारीख से प्रभावी होंगे।

न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। "

टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा दिनांक 30.08.2007 पर पारित एक नया अंतिम आदेश संघ के मामले में इस न्यायालय के समक्ष अपील का विषय है और एक अन्य v. एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस

भारत का, (2011) 10 एस. सी. सी. 543। इस न्यायालय ने तैयार किया

कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नः" (i) क्या न्यायाधिकरण के दिनांक 1 के आदेश के विरुद्ध भारत संघ की 2007 की सिविल अपील संख्या 84 को खारिज करने के बाद, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 2 के आदेश द्वारा। एसोसिएशन। एकीकृत दूरसंचार सेवा

भारत के प्रदाता, 2007 की सिविल अपील संख्या 84

19–1–2007 (SC)] पर निर्णय लिया गया, भारत संघ दिनांकित 7–7–2006 आदेश में तय किए गए प्रश्न का विरोध कर सकता है।

कि समायोजित सकल राजस्व में केवल अनुज्ञप्ति प्राप्त गतिविधियों से उत्पन्न राजस्व शामिल होगा न कि अनुज्ञप्ति प्राप्तकर्ता के अनुज्ञप्ति के बाहर की गतिविधियों से प्राप्त राजस्व।

((ii) क्या ट्राई और न्यायाधिकरण के पास केंद्र द्वारा अंतिम रूप दिए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों की वैधता तय करने का अधिकार क्षेत्र है।

समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा सहित लाइसेंस समझौते में सरकार और निगमित।

(iii) क्या भारत संघ द्वारा न्यायाधिकरण के दिनांकित 7–7–2006 आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं करने के परिणामस्वरूप

कुछ लाइसेंसधारियों के पक्ष में पारित, उक्त आदेश दिनांक 7–7–2006 संघ भारत बनाम पर बाध्यकारी नहीं हो गया था।

भारत के एकीकृत दूरसंचार प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

क्या लाइसेंसधारी की गणना को चुनौती दे सकता है समायोजित सकल राजस्व, और यदि हां, तो किस स्तर पर और किस स्तर पर

किस आधार पर "।

इस प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने इस पर ध्यान दियासिविल अपील में पारित 19.01.2007 दिनांकित आदेश और यह अभिनिर्धारित किया कि भारत संघ के लिए यह उठाने के लिए खुला है जो 2007 की सिविल अपील No.84 में उठाए गए थे, जिसमें आधार शामिल हैंः

क्योंकि टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा पारित 7–7–2006 दिनांकित निर्णय और आदेश गलत, गलत, कानून के विपरीत हैं।

और अलग रखे जाने के योग्य है।

क्योंकि टी. डी. एस. ए. टी. यह समझने में विफल रहा कि प्रवास पैकेज को उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार किया गया और उस पर कार्रवाई की गई, जिसकी परिभाषा स्वयं प्रदान की गई है

सकल राजस्व और समायोजित सकल राजस्व। क्योंकि टी. डी. एस. ए. टी. यह समझने में विफल रहा कि

लाइसेंसधारियों ने प्रवास को बिना शर्त स्वीकार कर लिया पैकेज, शर्तों पर लाइसेंस का दोहन किया और

उसमें उल्लिखित शर्तें और उसके बाद चुनौती दी गई

समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा।

टी. डी. एस. ए. टी. यह समझने में विफल रहा कि उसके पास लाइसेंस की शर्तों की शुद्धता की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र या शक्ति नहीं थी, जिन्हें बिना शर्त स्वीकार किया गया था और जिन पर कार्रवाई की गई थी।

क्योंकि टी. डी. एस. ए. टी. यह समझने में विफल रहा कि वास्तव में, कुछ लाइसेंसधारियों ने एक नया लाइसेंस प्राप्त किया जिसमें 'सकल राजस्व' और 'समायोजित सकल राजस्व' की परिभाषा शामिल है जिसे बिना शर्त स्वीकार किया गया है। अपीलार्थी (उत्तरदाता)।

क्योंकि टीडीएसएटी यह समझने में विफल रहा कि टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत यह अनन्य है

केंद्र सरकार का स्थापना करने का विशेषाधिकार,

तार/दूरसंचार और इस विशेषाधिकार को बनाए रखना और काम करना [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्र सरकार जैसे नियमों और शर्तों पर लाइसेंस देकर निजी पक्षों को दिया जा सकता है।

उचित और उचित सोचता है। "

19. कानून के दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए, अर्थात्, क्या ट्राई और न्यायाधिकरण के पास निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है केंद्र सरकार द्वारा अंतिम रूप दिए गए और लाइसेंस में शामिल किए गए समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा सहित लाइसेंस के नियमों और शर्तों की वैधता, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः

" 37. संविधान की धारा 4 की उप–धारा (1) का केवल अवलोकन

टेलीग्राफ अधिनियम से पता चलता है कि केंद्र सरकार के पास है

स्थापना, रखरखाव और काम करने का अनन्य विशेषाधिकार

40. राज्य में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ पंजाब बनाम. देवांस मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड [(2004) 11 एस. सी. सी. 26] हर शंकर मामले [(1975) 1 एस. सी. सी. 737] और पन्ना लाल बनाम पर निर्भर है। राजस्थान राज्य [(1975) 2 एस. सी. सी. 633] ने भारत के पैरा आई. ओ. एन. बनाम में आयोजित किया है।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

निर्दिष्ट जनता को प्रदान करने के लिए टेलीग्राफ अधिनियम दूरसंचार सेवाएँ और धारा 2 (ई. ए.) "लाइसेंसर" को केंद्र सरकार या टेलीग्राफ प्राधिकरण के रूप में परिभाषित करती है जो टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के तहत लाइसेंस प्रदान करता है। उप.

धारा 2 (के) "दूरसंचार सेवा" को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित करती है ताकि

जिसमें सभी प्रकार की दूरसंचार गतिविधियाँ शामिल हों। ट्राई अधिनियम के तहत ये प्रावधान केंद्र सरकार के विशेष विशेषाधिकार को प्रभावित नहीं करते हैं दूरसंचार गतिविधियाँ और न ही वे टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के प्रावधान के तहत दिए गए लाइसेंस की संविदात्मक प्रकृति को बदलते हैं।

टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) केंद्र सरकार को इन शर्तों पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है – लाइसेंस के लिए लाइसेंसधारक द्वारा भुगतान किए जाने वाले भुगतान सहित लाइसेंस, ट्राई को वैधानिक प्राधिकरण से सम्मानित किया गया है

सेवा प्रदाता को लाइसेंस के नियमों और शर्तों पर सिफारिशें करना और केंद्र सरकार विभिन्न चरणों में ऐसे नियमों और शर्तों पर ट्राई की सिफारिशें लेने के लिए बाध्य थी, लेकिन ट्राई की सिफारिशें केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं, और अंतिम निर्णय [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्र सरकार के अधीन सेवा प्रदाता के लिए लाइसेंस के नियमों और शर्तों पर। कानूनी परिणाम यह है कि

कि यदि लाइसेंस की किसी विशेष अवधि या शर्त के संबंध में ट्राई और केंद्र सरकार के बीच कोई अंतर है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो ट्राई की सिफारिशें प्रबल नहीं होंगी और इसके बजाय केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

44. ट्राई अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ए) के तहत ट्राई के कार्यों की इस अनुशंसित प्रकृति के विपरीत, ट्राई अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (बी) के तहत ट्राई के कार्य नहीं हैं।

सिफारिश करने वाला। यह भाषा से ही स्पष्ट हो जाएगा। ट्राई अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) का खंड (बी) जिसमें कहा गया है कि ट्राई निम्नलिखित कार्य करेगा

ट्राई अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (बी) के तहत उपखंड (i), (ii) और (ix)। उप–धारा के खंड (ग) के अधीन

(1) ट्राई अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, ट्राई विभिन्न सेवाओं के संबंध में शुल्क और अन्य शुल्क लगाने का कार्य करता है और धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (डी) के तहत, केंद्र सरकार ट्राई को अन्य कार्य सौंप सकती है। ये

प्रकृति। कि खंड (ए) के तहत ट्राई के कार्य हैं – जबकि खंड (बी), (सी) और (डी) के तहत ट्राई के कार्य अनुशंसित नहीं हैं, पहले से पांचवें प्रावधान से भी स्पष्ट होंगे जो ट्राई की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ए) के तहत ट्राई की सिफारिशों को संदर्भित करते हैं।

अधिनियम और ट्राई अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (बी), (सी) और (डी) के लिए नहीं।

ट्राई अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) का खंड (ए) और ट्राई अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (बी), (सी) और (डी) के तहत नियामक और अन्य कार्यों का निर्वहन करता है। टी. आर. ए. आई. एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते, खंड के तहत टी. आर. ए. आई. की सिफारिशें (क) ट्राई अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) को केंद्र सरकार द्वारा उचित महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन

टी. आर. ए. आई. की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। दूसरी ओर, भारत के नियामक और अन्य आई. ओ. एन. बनाम.

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

ट्राई अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (बी), (सी) और (डी) के तहत कार्य स्वतंत्र रूप से किए जाने चाहिए।

केंद्र सरकार के अधीन है और केवल टी. आर. ए. आई. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपील के अधीन लाइसेंसधारी के लिए बाध्यकारी है। 46. ट्राई अधिनियम की धारा 14 (ए) (आई) को पढ़ने से पता चलेगा कि न्यायाधिकरण के पास लाइसेंसधारक और लाइसेंसधारी के बीच किसी भी विवाद पर निर्णय लेने की शक्ति है। एक लाइसेंसधारक, जैसा कि हमने देखा है,

ट्राई अधिनियम की धारा 2 (ई. ए.) के तहत परिभाषित करने का अर्थ केंद्र सरकार या टेलीग्राफ प्राधिकरण है जो लाइसेंस प्रदान करता है।

टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के तहत और एक लाइसेंसधारी को ट्राई अधिनियम की धारा 2 (ई) में किसी भी व्यक्ति के लिए परिभाषित किया गया है।

निर्दिष्ट दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के तहत लाइसेंस प्राप्त। वह शब्द।

" इसका अर्थ है "ट्राई अधिनियम की धारा 2 (ई) और 2 (ई. ए.) में इंगित करता है कि ट्राई अधिनियम की धारा 2 (ई) और 2 (ई. ए.) में लाइसेंसधारी और लाइसेंसधारक की परिभाषाएं संपूर्ण हैं और इसलिए इसका कोई

अन्य अर्थ नहीं होगा। जैसा कि न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन, 12 वीं संस्करण में कहा है। , पीपी में। 179–80 :

" ..... जब किसी शब्द को 'मतलब' के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो

परिभाषा प्रथम दृष्टया प्रतिबंधात्मक और संपूर्ण है।

47. इसलिए, ट्राई अधिनियम की धारा 14 (ए) (आई) में निर्दिष्ट एक लाइसेंसधारक और एक लाइसेंसधारी के बीच विवाद केंद्र सरकार द्वारा एक व्यक्ति को लाइसेंस दिए जाने के बाद एक विवाद है।

या टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण और टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति के लाइसेंसधारी बनने से पहले एक विवाद नहीं, बल्कि एक विवाद बन गया है। दूसरे शब्दों में, न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति के लाइसेंस समझौता करने और लाइसेंसधारी बनने के बाद ही लाइसेंसधारक और लाइसेंसधारक के बीच विवाद का निर्णय ले सकता है और ट्राई अधिनियम की धारा 14 (ए) में "कोई भी" शब्द न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को व्यापक नहीं बना सकता है।

एक लाइसेंसधारक और एक ऐसे व्यक्ति के बीच विवाद का फैसला करें जो लाइसेंसधारी नहीं बना था। परिणाम यह है कि न्यायाधिकरण के पास सेवा प्रदाता के लाइसेंस में शामिल नियमों और शर्तों की वैधता पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन उसके पास लाइसेंसकर्ता और [2019] 16 एस. सी. आर. के बीच "किसी भी" विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा।

अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों की व्याख्या पर अनुज्ञप्तिधारी।

48. अब हमारे समक्ष मामलों के तथ्यों पर आते हुए, भारत सरकार के 22–7–1999 दिनांकित पत्र का खंड (iii), संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग ने ऊपर उद्धृत लाइसेंसधारियों को स्पष्ट किया कि लाइसेंस शुल्क लाइसेंस के तहत सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में 1–8–1999 से देय था और इस उद्देश्य के लिए सकल राजस्व लाइसेंसधारी कंपनी का कुल राजस्व होगा।

डी. ओ. टी./एम. टी. एन. एल. को भुगतान किए गए पी. एस. टी. एन. संबंधित कॉल शुल्क और ग्राहकों से सरकार की ओर से लाइसेंसधारी द्वारा गणना किए गए सेवा कर। उपरोक्त खंड (iii) में यह भी स्पष्ट किया गया था कि सरकार को न केवल टी. आर. ए. आई. की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद अंतिम निर्णय लेना था

राजस्व हिस्सेदारी के साथ–साथ राजस्व की परिभाषा भी। इस खंड (iii) के अनुसार, सरकार ने समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा पर अंतिम निर्णय लिया और

लाइसेंस समझौते में भी ऐसा ही है। एक बार जब लाइसेंसधारी ने दिनांक 1 के पत्र के खंड (iii) को स्वीकार कर लिया था कि लाइसेंस शुल्क सकल राजस्व का एक प्रतिशत होगा जो लाइसेंसधारी कंपनी का कुल राजस्व होगा

और यह भी स्वीकार किया था कि सरकार न केवल राजस्व हिस्सेदारी के प्रतिशत के संबंध में अंतिम निर्णय लेगी, बल्कि इसकी परिभाषा के बारे में भी निर्णय लेगी। इस उद्देश्य के लिए राजस्व, लाइसेंसधारी इस आधार पर लाइसेंस समझौते में समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा की वैधता पर सवाल उठाते हुए न्यायाधिकरण से संपर्क नहीं कर सकता था कि समायोजित सकल राजस्व में गतिविधियों से प्राप्त राजस्व शामिल नहीं हो सकता है

लाइसेंस से परे। 49. यदि लाइसेंस से परे राजस्व को शामिल करने के लिए समायोजित सकल राजस्व की व्यापक परिभाषा किसी भी तरह से जा रही थी

अनुज्ञप्तिधारक को प्रभावित करते हुए, अनुज्ञप्तिधारियों के लिए यह खुला था कि वे ऐसी गतिविधियाँ न करें जिनके लिए उन्हें टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के तहत अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है और इन गतिविधियों को किसी अन्य व्यक्ति या फर्म या कंपनी को हस्तांतरित करें। परिभाषा का समावेश लाइसेंस समझौते में समायोजित सकल राजस्व का भुगतान के संबंध में शर्तों का हिस्सा था जो केंद्र सरकार द्वारा दूरसंचार आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया के संबंध में विशेष विशेषाधिकार के अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए विचार के रूप में तय किया गया था।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

गतिविधियाँ और लाइसेंस स्वीकार करने और दूरसंचार गतिविधियों को जारी रखने के लिए केंद्र सरकार के विशेष विशेषाधिकार का लाभ उठाने के बाद, लाइसेंसधारक की परिभाषा में बदलाव के लिए न्यायाधिकरण से संपर्क नहीं कर सकते थे।

लाइसेंस समझौते में समायोजित सकल राजस्व।

सबसे अच्छा, यदि उसके पास विवाद का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र था, तो उसने ट्राई को लेखांकन पर विशेषज्ञ की राय पर विचार करने और केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें भेजने का निर्देश दिया और केंद्र सरकार को ट्राई अधिनियम की धारा 11 (1) के प्रावधानों में प्रदान की गई ट्राई की ऐसी नई सिफारिशों पर विचार करने का निर्देश दिया। इसके बजाय, न्यायाधिकरण ने ट्राई की सिफारिशों पर विचार किया और ट्राई की धारा 11 (1) (ए) के प्रावधानों के विपरीत दिनांकित नया आदेश पारित किया। अधिनियम और उसके प्रावधान। किसी भी तरह से, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही ट्राई की नई सिफारिशों पर विचार कर चुकी है और इसे स्वीकार नहीं किया है और इसके लिए सहमत नहीं है

समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा में परिवर्तन करते हुए, इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का निर्णय ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) के पहले परंतुक और पांचवें परंतुक के तहत अंतिम था।

53. यू. पी. राज्य बनाम देवी दयाल सिंह [(2000) 3 एस. सी. सी. 5] एक ट्रक मालिक, देवी दयाल सिंह ने टोल अधिनियम, 1851 की धारा 2 के तहत टोल के माध्यम से वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार को चुनौती दी, जो पुल के वास्तविक निर्माण के लिए एक राशि है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि टोल अधिनियम, 1851 की धारा 2 जो राज्य सरकार को "जैसा वह उचित समझती है" ऐसी दरों पर टोल लगाने में

सक्षम बनाती है और एकमात्र प्रतिबंध "टोल" शब्द में ही निहित है। इसलिए यह [2019] 16 एस. सी. आर. के बीच विवाद का मामला नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार और ठेकेदार जहां ठेकेदार के पास था

अनुबंध की एक शर्त को चुनौती दी। वर्तमान मामले में, दूसरी ओर, लाइसेंसधारियों ने लाइसेंस की शर्तों को स्वीकार कर लिया था और लाइसेंस का लाभ लेने के बाद अब लाइसेंस की शर्तों और विशेष रूप से समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 55. दूसरी ओर, हम हर शंकर बनाम में निर्णयों की लंबी कतार से पाते हैं। उत्पाद शुल्क और कराधान आयोग। [(1975) 1 एस. सी. सी. 737], सरकार। ए. पी. वी. आनाबेशाही वाइन एंड डिस्टिलरीज (पी) लिमिटेड [(1988) 2 एस. सी. सी. 25: 1988 एस. सी. सी. (कर) 147], उत्पाद शुल्क

कॉम. वी. इसाक पीटर [(1994) 4 एस. सी. सी. 104], स्टेट ऑफ

उड़ीसा बनाम। नारायण प्रसाद [(1996) 5 एस. सी. सी. 740] एम. पी. बनाम के. सी. टी. ड्रिंक लिमिटेड [(2003) 4 एस. सी. सी. 748], राज्य

पंजाब बनाम. देवांस मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड [(2004) 11 एस. सी. सी. 26], श्याम टेलीलिंक लिमिटेड बनाम। भारत संघ [(2010) 10 एससीसी 165: (2010) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 99] और भारती सेल्युलर लिमिटेड में v. भारत संघ [(2010) 10 एससीसी 174: (2010) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 108], कि इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि एक बार लाइसेंसधारी ने लाइसेंस के नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया है, तो वह लाइसेंस के नियमों और शर्तों की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकता है।

अदालत। इसलिए हमारा मानना है कि टी. आर. ए. आई. और न्यायाधिकरण के पास लाइसेंस समझौते में समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा की वैधता पर निर्णय लेने और कुछ को बाहर करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

राजस्व की मदें जो लाइसेंसकर्ता और उसके बीच लाइसेंस समझौते में समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा में शामिल थीं।

लाइसेंसधारी "।

20. कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते हुए सं। 3 , यह अनुच्छेद 59 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 59. इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 1 के आदेश में न केवल लाइसेंस समझौते में समायोजित सकल राजस्व की व्याख्या पर विवाद का फैसला किया है, बल्कि लाइसेंस समझौते में समायोजित सकल राजस्व

की परिभाषा की वैधता पर भी फैसला किया है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, न्यायाधिकरण के पास लाइसेंस समझौते में शामिल समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा सहित लाइसेंस के नियमों और शर्तों की वैधता पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। अतः न्यायाधिकरण का दिनांकित 7–7–2006 आदेश

जहां तक यह तय करता है कि लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस से परे की गतिविधियों से प्राप्त राजस्व को भारत के समायोजित सकल आय. ओ. एन. से बाहर रखा जाएगा।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

राजस्व में समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा को नकारता है

लाइसेंस समझौता अधिकार क्षेत्र के बिना है और एक शून्य है, और

रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

21. जवाब देते हुए और चौथे सारगर्भित पर विचार करते हुए

कानून की स्थिति, अर्थात्, क्या लाइसेंसधारी समायोजित सकल राजस्व के उपयोग को चुनौती दे सकता है, और यदि ऐसा है, तो किस स्तर पर और आधार पर, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 63 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः

" 63. जैसा कि हमने देखा है, ट्राई अधिनियम की धारा 14 (ए) (आई) में प्रावधान है

कि न्यायाधिकरण अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारक के बीच किसी भी विवाद का निर्णय ले सकता है। ऐसा ही एक विवाद यह हो सकता है कि लाइसेंसकर्ता द्वारा किए गए समायोजित सकल राजस्व की गणना और मांग

इस तरह की गणना के आधार पर की गई गणना लाइसेंस समझौते के अनुसार नहीं है। हालाँकि, इस विवाद को लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस समझौते में प्रवेश करने के बाद उठाया जा सकता है और उचित चरण जब विवाद उठाया जा सकता है वह है जब

अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अनुज्ञप्तिधारक पर एक विशेष मांग उठाई जाती है।

जब किसी विशेष मांग के खिलाफ ऐसा विवाद उठाया जाता है, तो न्यायाधिकरण को इन आधार पर तथ्यों और सामग्रियों पर गौर करना होगाः जिसमें से मांग उठाई जाती है और तय करती है कि क्या मांग

लाइसेंस समझौते के अनुसार है और विशेष रूप से लाइसेंस समझौते में समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा और लाइसेंस के नियमों और शर्तों की व्याख्या भी कर सकते हैं।

समझौता। हालाँकि, हम दिनांकित 7–7–2006 आदेश से पाते हैं कि

उन पर की गई किसी भी मांग को चुनौती देने के बजाय, लाइसेंसधारियों ने

समायोजित सकल की परिभाषा की वैधता पर सवाल उठाया है

उन्हें दिए गए लाइसेंसों में राजस्व और न्यायाधिकरण ने अंततः अपने दिनांक 1 के आदेश में निर्णय लिया है कि राजस्व की कौन सी वस्तुएं समायोजित सकल राजस्व का हिस्सा होंगी और कौन सी वस्तुएं

राजस्व बिना समायोजित सकल राजस्व का हिस्सा नहीं होगा

मांग से संबंधित तथ्यों और सामग्रियों में जाना

विशेष लाइसेंसधारी "।

22. अंततः, इस न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा की गई अपीलों को स्वीकार कर लिया और ए. टी. द्वारा पारित दिनांक 30.08.2007 के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद, पैराग्राफ 67 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार स्पष्ट कियाः

" 67. हमने आज इन मामलों में फैसला सुनाया है। (उपर्युक्त पैरा 1–66) और अंतिम सारगर्भित का उत्तर देते समय

कानून के सवाल पर, हमने माना है कि जब कोई विशेष मांग की जाती है

एक लाइसेंसधारी पर उठाया गया, लाइसेंसधारी मांग [2019] 16 एस. सी. आर. को चुनौती दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण और न्यायाधिकरण के समक्ष उन तथ्यों और सामग्रियों में जाना होगा जिनके आधार पर मांग की गई है और

तय करें कि क्या मांग लाइसेंस के अनुसार है

समझौता और विशेष रूप से समायोजित सकल की परिभाषा

लाइसेंस समझौते में राजस्व और शर्तों की व्याख्या भी कर सकते हैं

और लाइसेंस समझौते की शर्तें।

23. उसके बाद संबंधित दूरसंचार ऑपरेटरों ने फिर से संपर्क किया

डी. एस. ए. टी. मांग नोटिस/मांग को चुनौती देता है। टी. डी. एस. ए. टी. ने एन. पी. यू. जी. एन. क्रम से वस्तुओं के विशिष्ट शीर्ष को माना हैए. जी. आर. की परिभाषा के तहत नेतृत्व या बहिष्कृत। टीडीएसएटी की जांच की गई

सिर हिलानाः

" 1 . पूँजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री और बिक्री से प्राप्त रसीद पर लाभ

स्क्रैप से।

2. पूँजीगत परिसंपत्तियों के संबंध में बीमा दावा।

3. छूट और कमीशन।

अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पर छूट की अनुमति है।

बिक्री पर वितरकों को कमीशन और छूट की अनुमति

पूर्व–भुगतान किए गए वाउचर।

4. विलंब शुल्क में छूट।

5. पूर्व–भुगतान ग्राहक की नकारात्मक शेष राशि। 6. रोमिंग शुल्क और पी. एस. टी. एन. पास–थ्रू शुल्क

(पी. एस. टी. एन.–पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क)

7. बुनियादी ढांचे के संचालन खर्चों की प्रतिपूर्ति। 8. विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से लाभ।

9. 214 एफ. सी. सी. लाइसेंस, यू. एस. ए. से राजस्व (के मामले में)

भारती बिलगो)

10. किसी कंपनी में निवेश के विनिवेश से प्राप्त आय

(उदाहरण, हेक्साकॉम में सिस्टेमा श्याम का मामला)

11. एक सर्कल में लाइसेंस शुल्क की मांग जहां लाइसेंसधारी को स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया है (के मामले में)

वीडियोकॉन एंड एस. टेल)

12. भारत संघ का ब्याज, जुर्माना और जुर्माना पर ब्याज v.

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

13. गैर–वापसी योग्य जमा और ब्याज पर अनुमानित ब्याज

मुफ्त ऋण "।

24. टी. डी. एस. ए. टी. ने विवादित आदेश में कहा है कि पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ और स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त रसीद को शामिल नहीं किया जा सकता है। लाइसेंस शुल्क की गणना के लिए सकल राजस्व में। लेकिन यह आवश्यक है

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त मुद्दा पहले उठाया गया था और टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा अपने पहले के आदेश दिनांक 30.08.2007 में विचार किया गया था और दूरसंचार ऑपरेटरों के पक्ष में था। हालाँकि, इस न्यायालय ने ए. यू. एस. पी. आई. (उपरोक्त) के मामले में टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा पारित आदेश को स्पष्ट रूप से रद्द कर दिया।

इसलिए, बाद में टी. डी. एस. ए. टी. के लिए यह खुला नहीं था कि वह फिर से सिर पर आक्षेपित आदेश के विपरीत हो, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है और इसे ए. यू. एस. पी. आई. (सुप्रा) के विशिष्ट आदेश के कारण रेस जुडिकाटा द्वारा वर्जित कहा जा सकता है।

25. विचार के लिए विभिन्न प्रश्न निम्नलिखित रूप में उत्पन्न होते हैं:

((i) पुनः: सकल राजस्व की परिभाषा।

((ii) पुनः: छूट और कमीशन।

((ग) पुनः: विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से होने वाले लाभ।

((iv) पुनः: शेयरों की बिक्री पर मौद्रिक लाभ।

(v) पुनः: पूँजीगत परिसंपत्तियों के संबंध में बीमा दावा।

(vi) पुनः: पूर्व–भुगतान ग्राहक की नकारात्मक शेष राशि।

(vii) पुनः: बुनियादी ढांचे के संचालन की प्रतिपूर्ति

खर्च।

(viii) पुनः: विलंब शुल्क में छूट।

(ix) पुनः: रोमिंग शुल्क और पी. एस. टी. एन. पास से लाभ

शुल्क के माध्यम से।

(x) पुनः: गैर–वापसी योग्य जमा।

(xi) पुनः: लाइसेंस शुल्क की मांग जहां स्पेक्ट्रम नहीं है

दिया गया।

(xii) पुनः: ब्याज और लाभांश से आय।

(xiii) पुनः: खराब–ऋणों को बख्शा जाता है।

(xiv) पुनः: देयता लिखी जाती है।

(xv) पुनः: अंतर–निगमित ऋण।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट (xvi) पुनः: आईपी–1 पंजीकरण के तहत राजस्व।

(xvii) पुनः: प्रबंधन परामर्श सेवाओं से आय।

(xviii) पुनः: रेस जुडिकाटा।

(xix) पुनः: ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज का शुल्क।

इन रेः सकल राजस्व की परिभाषा

26. "राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 व्यवस्था" नामक एक नए पैकेज ने लाइसेंसधारियों को निश्चित लाइसेंस से स्थानांतरित करने का विकल्प दिया।

राजस्व साझाकरण शुल्क के लिए शुल्क, जो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (संक्षेप में, 'टीएसपी') के लाभ के लिए था। सरकार का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों, दूरदराज, पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी खुले क्षेत्रों को सेवा प्रदान की जा सके।

जनजातीय क्षेत्रों में एक कुशल अवसंरचना का निर्माण करना और इस प्रकार भारत को एक आई. टी. महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ाना और वर्ष 2010 तक दूरसंचार घनत्व को 0.40 से 4 तक बढ़ाना और सभी जिलों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना। वर्ष 2000 तक मुख्यालय। मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण, दूरसंचार उपकरण निर्माता और दूरस्थ क्षेत्र टेलीफोन अन्य उद्देश्य थे।

विशेष विशेषाधिकार जो केंद्र सरकार के पास था। इसका उद्देश्य सरकार को सकल का भागीदार या भागीदार बनाना था। राजस्व। मौजूदा सकल राजस्व में से, केंद्र सरकार ने दूरदराज के और खुले क्षेत्रों, ग्रामीण, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों पर धन खर्च करने का निर्णय लिया। सरकार ने एक बड़ी राशि खर्च की

रु. सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष के तहत 49.120 करोड़ (संक्षेप में,

' यू. एस. ओ. एफ.) और "डिजिटल इंडिया मिशन" के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्रों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने सहित चल रही परियोजनाओं के लिए 774 करोड़ रुपये का प्रतिबद्ध दायित्व वहन किया। प्रारंभ में, 15 प्रतिशत समायोजित सकल राजस्व (संक्षेप में, 'एजीआर') को राजस्व साझेदारी के तहत लाइसेंस शुल्क के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे घटाकर 13 प्रतिशत और अंत में 2013 में घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया था। 8 प्रतिशत में से 5 प्रतिशत का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा यू. एस. ओ. एफ. के तहत खर्च किया जाता है।

28. 2004 से 2015 तक के सकल राजस्व रुझान से इस योजना के तहत इस क्षेत्र को काफी लाभ हुआ है। खंड 19.1 सकल राजस्व को परिभाषित करता है। यह उच्च लाइसेंस शुल्क के खिलाफ राहत के रूप में आया। इस उद्देश्य के लिंए सकल राजस्व भारत सघ का कुल राजस्व होगा।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

खंड 19.2 में दिए गए कुछ अपवादों के साथ लाइसेंसधारी कंपनी ए. जी. आर. के आंकड़े पर पहुँचें। 1999 की नीति में यह शर्त थी कि शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए और कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

लाइसेंस समझौते के बारे में भविष्य की किसी भी तारीख को उठाया जाएगा। पैकेज की स्वीकृति को पूर्ण और अंतिम समझौता माना जाएगा, और उसके बाद लाइसेंस समझौते में संशोधन पर हस्ताक्षर करने होंगे। प्रवास पैकेज में निम्नलिखित शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया थाः

(डीओटी या यूओआई के खिलाफ सीओएआई) और एबीटीओ) को वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा, 31.07.1999 तक की अवधि के लिए लाइसेंस समझौते के संबंध में कोई भी विवाद भविष्य की किसी भी तारीख को नहीं उठाया जाएगा। पैकेज की स्वीकृति को पूर्ण और अंतिम माना जाएगा।

चाहे जो भी हो, सभी मौजूदा विवादों का निपटान

चाहे वे वर्तमान पैकेज से संबंधित हों या नहीं।

3. पैकेज के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के बाद,

मौजूदा लाइसेंस समझौते में संशोधन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारी के बीच।

29. लेखांकन बाजीगरी से बचने के लिए, विभाग

दूरसंचार (संक्षेप में, 'डीओटी') ने विशेषज्ञों की सलाह मांगी लेखांकन के क्षेत्र में सकल राजस्व की व्यापक परिभाषा पर निर्णय लेना। विशेषज्ञों की राय का प्रासंगिक हिस्सा यहां निकाला गया हैः

" 1.1 'राजस्व बंटवारा' नीति के संदर्भ में 'राजस्व' का गठन क्या होना चाहिए, यह सवाल

सरकार परेशान है। लेखांकन के सिद्धांत

एक गतिशील और खुले वातावरण में आर्थिक लेन–देन और घटनाओं को मापने के लिए और इसलिए, हमेशा उतना निश्चित मार्गदर्शन प्रदान न करें जितना कोई चाहेगा। लेखांकन की इन अंतर्निहित सीमाओं को एक माप अनुशासन के रूप में ध्यान में रखते हुए, इस नोट में प्रस्तावों के एक बुनियादी समूह को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है जो इस मुद्दे से निपटने में सहायता कर सकते हैं। यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि ये प्रस्ताव [2019] 16 एस. सी. आर. हैं।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

केवल चर्चा के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया गया और

और अधिक परिष्करण।

जहां तक संभव हो, राजस्व की हमारी परिभाषा, इसके मापन के सिद्धांत और वास्तविक आंकड़ों की प्रामाणिकता स्थापित करने की प्रक्रिया होनी चाहिए।

सरकार की कुछ अन्य राजस्व उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के रूप में कठिन और मुकदमेबाजी, जैसे, आयकर, उत्पाद शुल्क आदि।

राजस्व को व्यापक, व्यापक और समावेशी तरीके से परिभाषित करने से व्याख्या की कम समस्याएं पैदा होने की संभावना है (और इसके परिणामस्वरूप कम समस्याएं)।

अन्यथा। इसके अलावा, कभी–कभी 'राजस्व' की परिभाषा से कुछ वस्तुओं को बाहर रखा जा सकता है। कंपनियों को अपने शुल्क तय करने के लिए प्रोत्साहित करें और

भुगतान योजनाएं इस तरह से हों कि उनकी लाइसेंस शुल्क देयता कम से कम हो जाए। बेशक, लाइसेंस शुल्क के रूप में लिए जाने वाले राजस्व के प्रतिशत को निर्धारित करने में राजस्व की परिभाषा की व्यापकता पर विधिवत विचार करने की आवश्यकता होगी, ताकि लाइसेंस शुल्क की राशि में उचित हो।

निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, हम दूरसंचार कंपनियों द्वारा अपने वार्षिक खातों को प्रस्तुत करने के लिए भी समान लेखा नीतियों का पालन कर सकते हैं। उनके भुगतान का समर्थन करने के लिए सरकार को भेजे जाने वाले राजस्व के आवधिक विवरण के रूप में।

(जोर दिया गया)

भारत संघ v. भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

30. राजस्व की परिभाषा को व्यापक, व्यापक और समावेशी तरीके से लिया गया है ताकि कम समस्याएं उत्पन्न हो सकें। व्याख्या, और कुछ वस्तुओं के बहिष्कार से बचा गया था।

31. 21.5.2001 पर, भारत सरकार ने सकल राजस्व और एजीआर की अवधारणा को अंतिम रूप दिया।

32. टी. एस. पी. द्वारा देय राजस्व और लाइसेंस शुल्क के विवरण का प्रारूप लाइसेंस समझौते के साथ जोड़ा जाता है, जो

वायरलाइन अभिदाताओं से किसी भी अन्य आय/विविध प्राप्तियों सहित विभिन्न शीर्षों और घटकों को प्रतिबिंबित करता है, जिसे एजीआर की गणना के लिए शामिल किया जाना था। खंड 20.2 में वास्तविक राजस्व (संचय के आधार पर) के आधार पर लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए प्रावधान किया गया था। बाद की तारीख में इसकी प्राप्ति या इसकी गैर–प्राप्ति के बावजूद संचय आवश्यक था।

33. भारत संघ की ओर से पेश हुए भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कहा कि सकल राजस्व की परिभाषा लेखांकन के तरीके पर हावी होनी चाहिए। खंड के तहत 20.4 समझौते के अनुसार, लाइसेंसधारी को निर्धारित प्रपत्र में अनुलग्नक–II के रूप में बताना होगा। यह प्रारूप "राजस्व विवरण और लाइसेंसधारी शुल्क का प्रारूप" शीर्षक के तहत लाइसेंस का एक हिस्सा है। इसके तहत निर्धारित लेखा मानकों से इसका कोई संबंध नहीं है

कम्पनी अधिनियम। प्रारूप राजस्व बंटवारे में लाइसेंस शुल्क की गणना का आधार है। लाइसेंसधारी लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र के साथ अनुलग्नक–II के प्रारूप के अनुसार विवरण प्रदान करते हैं। टीएसपी को परिभाषा के अनुसार सकल राजस्व के सभी विवरण प्रदान करने होते हैं। लेखांकन मानक खातों को बनाए रखते समय पालन किए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों से संबंधित हैं और सकल राजस्व की परिभाषा को कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। लेखा मानक (ए. एस.–9) राजस्व की परिभाषा से संबंधित है, लेकिन यह समझौते में परिभाषित सकल राजस्व की परिभाषा पर हावी नहीं हो सकता है। कंपनी अधिनियम की धारा 211 (3 बी) के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि लेखांकन मानक नहीं हैं।

पवित्र।

34. लाभ और हानि खाते और तुलनपत्र को धारा 211 (3 ए) में दिए गए लेखांकन मानकों का पालन करना होगा। यदि वे इसका पालन नहीं करते हैं, तो किसी भी विचलन के लिए, कारणों और आर्थिक प्रभाव का खुलासा करना होगा। ए. यू. एस. पी. आई. द्वारा दायर 2003 की याचिका संख्या 7 में, घोषणा की गई थी कि ए. जी. आर. केवल भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार संचालन से सीधे उत्पन्न होने वाले राजस्व से संबंधित हो सकते हैं। [2019] 16 एस. सी. आर. को अलग रखने की प्रार्थना की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2002 और 2003 में जारी किया गया मांग पत्र, जिसमें राजस्व हिस्सेदारी का दावा किया गया था

ब्याज आय और अन्य विविध शीर्ष। की याचिका No.82 में

2005 , सकल राजस्व और ए. जी. आर. की गलत प्रविष्टि के कारण दिनांक 28.3.2003 और 13.7.2004 के अनुसार मांगों की पुनः गणना और संशोधन करने के लिए एक प्रार्थना की गई थी, डी. ओ. टी. लाइसेंस शुल्क नहीं लगा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप दो या दो से अधिक ऑपरेटरों/मंडलियों के हाथों में एक ही राजस्व पर दो बार लाइसेंस शुल्क का प्रभार होता है। डी. ओ. टी. को ए. जी. आर. की गणना प्राप्ति के आधार पर करने

का निर्देश दिया जाना चाहिए, न कि संचय के आधार पर, और ए. जी. आर. में काल्पनिक राजस्व आय को शामिल न करने का।

35. डी. ओ. टी. को सकल राजस्व की परिभाषा और लाइसेंस शुल्क के लिए ए. जी. आर. के साथ–साथ डब्ल्यू. पी. सी. शुल्कों को भी संशोधित करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी।

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4। डीओटी को सकल राजस्व, समायोजित सकल राजस्व और लाइसेंस शुल्क के विवरण के प्रारूप को संशोधित करने और सकल राजस्व और एजीआर की परिभाषा को समाप्त करने का निर्देश देने के लिए भी प्रार्थना की गई। भारत संघ बनाम में यह न्यायालय। ऑस्पी

(2011) अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरण के पास राजस्व की कुछ वस्तुओं को बाहर करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिन्हें एजीआर की परिभाषा में शामिल किया गया था। लाइसेंसधारी

लाइसेंस समझौते में ए. जी. आर. की परिभाषा में बदलाव के लिए न्यायाधिकरण से संपर्क नहीं कर सकते थे। टी. आर. ए. आई. और न्यायाधिकरण के पास लाइसेंस समझौते में ए. जी. आर. की परिभाषा की वैधता पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

अनुज्ञप्तिधारक न केवल सकल राजस्व/ए. जी. आर. की परिभाषा को चुनौती देने से वंचित हैं, बल्कि सरकार इस परिभाषा के अर्थ को भी चुन सकती है। न्यायाधिकरण ने ए. यू. एस. पी. आई. बनाम में विशिष्ट निष्कर्षों और निर्णय के विपरीत कार्य करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से परे यात्रा की है। भारत संघ।

36. श्री अरविंद दातार, श्री सी. ए. सुंदरम, श्री श्याम दीवान,

टी. एस. पी. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री गोपाल जैन, श्री रामजी श्रीनिवासन, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, श्री कविन गुलाटी, श्री बी. आदिनारायणन राव, श्री यू. हजारिका, श्री चेतन शर्मा और श्री सिद्धार्थ दवे ने कहा कि सकल राजस्व का अर्थ ए. एस.–9 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसमें केवल नकदी का सकल प्रवाह, सामान्य से उत्पन्न प्राप्तियां शामिल हैं।

दूरसंचार कंपनियों की गतिविधियाँ। सकल राजस्व की परिभाषा में, केवल राजस्व के रूप में राजस्व नकद प्रवाह को शामिल किया जा सकता है; लाभ और हानि खाते और गैर–राजस्व मदों में दर्ज सभी आयों को लेखा मानकों के दायरे में सकल राजस्व की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता है। लाइसेंस समझौते के खंड 18.2 में स्पेक्ट्रम यूनियन ऑफ इंडिया v को छोड़कर एजीआर का केवल 10 प्रतिशत लाइसेंस शुल्क प्रदान किया गया है।

शुल्क लेते हैं। खंड 19.1 के तहत सकल राजस्व सकल आय या सकल प्रवाह या सकल प्राप्तियां नहीं है। 37. लाइसेंसधारियों की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि लाइसेंस के तहत राजस्व को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान के खंड 20.6 और 22

लाइसेंस समझौते में यह बताया गया है कि कैसे लाइसेंसधारक अपने खाते तैयार करने के लिए बाध्य हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3 सी) के साथ पठित धारा 211 (3 ए) कंपनियों पर अनुशंसित लेखा मानकों का पालन करते हुए अपने लेखा बही को बनाए रखने का दायित्व डालती है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा सनदी लेखाकार अधिनियम के तहत गठित।

38. उन्होंने जे. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में निर्णय के आधार पर उचित मूल्यांकन विधि अपनाने पर जोर दिया है। भारत संघ (2007) 13 एस. सी. सी.

40. यह लाइसेंसधारियों की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। कि समायोजित सकल राजस्व की गणना करने के लिए (क) यह राजस्व होना चाहिए; (ख) यह सकल है और शुद्ध राजस्व नहीं है; और (ग) यह समायोजित राजस्व होगा, लेकिन समायोजन केवल कटौती द्वारा किया जा सकता है जैसा कि खंड 19.2 के तहत प्रदान किया गया है। राजस्व की व्याख्या वाणिज्यिक और वित्तीय भाषा को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। अनुबंध स्वयं खंड 20.6 और 22.7 से स्पष्ट लेखा मानकों की प्रयोज्यता को मान्यता देता है। लेखा मानकों के अनुसार खातों का रखरखाव किया जाना चाहिए। लेखांकन मानकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्पष्टता हो, ऐसी वित्तीय अभिव्यक्तियों को निश्चितता और स्पष्टता देने के लिए वित्तीय शर्तों से निपटने में एकरूपता। लेखांकन मानक हैं –

अनिवार्य है। वाणिज्यिक अनुज्ञप्ति समझौते में राजस्व को परिभाषित नहीं किया गया था और यह एक वाणिज्यिक अनुबंध होने के कारण और लेखांकन मानकों को अनुज्ञप्ति समझौते में संदर्भ द्वारा इस आधार पर शामिल किया गया है कि जिसके आधार पर अनुज्ञप्ति शुल्क तय किया जाना है, वही प्रबल होगा।

41.यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सभी रसीदें इसका हिस्सा नहीं होंगी

एजीआर। खंड 19.2 के तहत समावेशी शब्द का उपयोग [2019] 16 एस. सी. आर. नहीं बनाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. जी. आर. विस्तार की परिभाषा हालांकि परिभाषा संपूर्ण नहीं है क्योंकि मूल्य वर्धित सेवाओं का प्रावधान अलग है और अन्य खंडों में प्रदान किया गया है और सेवा का अर्थ लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में सेवा है। इस प्रकार, लाइसेंस के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए किए गए व्यवसाय के संबंध में लाइसेंस शुल्क को सीमित करना होगा। एक एकल कंपनी के पास पाँच अलग–अलग सेवा क्षेत्रों के लिए पाँच लाइसेंस हो सकते हैं। उसी राजस्व पर 10 प्रतिशत पर लाइसेंस शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

लाइसेंस शुल्क एक से अधिक बार, जैसा कि अनुबंध–II के परिशिष्ट–II के साथ पठित लाइसेंस के खंड 20.4 से स्पष्ट है, जो लाइसेंसकर्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप है जो एक लाइसेंसधारी द्वारा प्रकट किए जाने के लिए आवश्यक राजस्व की धाराओं को दर्शाता है। प्रत्येक शीर्ष के तहत प्रदान की गई विविध रसीदें किसी भी और प्रत्येक रसीद को शामिल करने के लिए नहीं हैं।

कंपनी।

42.यह माना जाना चाहिए कि गैर–लाइसेंस प्राप्त राजस्व से ऐसा राजस्व एजीआर का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम नियम के लिए खंडों की आवश्यकता होती है 19.1 और 19.2 निर्माता के खिलाफ व्याख्या की जाए और उस व्याख्या को प्राथमिकता दी जाए जो लाइसेंसधारियों के लिए अनुकूल हो।

43. सेवा प्रदाताओं ने कहा कि यह तय करने के लिए कि राजस्व क्या है, बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना होगा। रसीद होनी चाहिए

राजस्व की प्रकृति होना, और इसे दोगुना नहीं किया जा सकता है शुल्क लेते हैं। कोई भी स्वयं से राजस्व उत्पन्न नहीं कर सकता है, और किसी और के राजस्व को दूसरों के राजस्व के रूप में नहीं माना जा सकता है।

44. जब हम प्रस्तुतियों पर विचार करते हैं, जैसा कि देखा गया है, तो 1999 की दूरसंचार नीति में निर्धारित लाइसेंस शुल्क से एक आदर्श बदलाव आया था। राजस्व बंटवारे के आधार पर व्यवस्था, जो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए फायदेमंद थी। नई व्यवस्था के तहत, केंद्र सरकार ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के तहत विशेषाधिकार को टीएसपी के साथ साझा किया। यह उच्च लाइसेंस शुल्क के खिलाफ एक राहत के रूप में आया, जो 1999 की नीति के तहत लिया जाता था। प्रवास पैकेज में यह शर्त थी कि राजस्व के बंटवारे के बारे में कोई विवाद नहीं उठाया जाएगा। लेखांकन के क्षेत्र में विशेषज्ञों से परामर्श किया गया था, और यह उनकी सलाह थी कि वास्तविक आंकड़े सरल और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए ताकि राजस्व बंटवारे की एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा सके जो उतनी कठिन और मुकदमेबाजी वाली न हो। राजस्व को व्यापक, व्यापक और समावेशी तरीके से परिभाषित किया गया है ताकि व्याख्या की समस्याएं पैदा न हों और लेखांकन की बाजीगरी से बचाया जा सके। सकल राजस्व को विशिष्ट वस्तुओं को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।

खंड 19.1 में उल्लिखित और भारत संघ के बिना कोई अन्य विविध राजस्व।

खर्च आदि की संबंधित वस्तुओं के लिए कोई छूट। सभी लाइसेंसधारियों ने प्रवास पैकेज को स्वीकार कर लिया है और समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह लाइसेंसधारियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहन साबित हुआ है जैसा कि ऊपर उल्लिखित उनके द्वारा अर्जित सकल राजस्व के आंकड़ों से स्पष्ट है। जब पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत, सकल राजस्व और ए. जी. आर. को प्रारूप और अनुबंधों के साथ अर्थ दिया गया है जो अनुबंध का हिस्सा हैं। प्रारूप में निहित है

अनुलग्नक–II का परिशिष्ट जो उस समझौते का हिस्सा है जिसमें अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की जानी है। सकल राजस्व के खंड 19 का अर्थ और ऊपर उल्लिखित प्रारूप प्रबल होना चाहिए।

45. इसमें कोई संदेह नहीं है कि खातों को प्रासंगिक समय पर प्रचलित ए. एस.–9 व्यवस्था के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए। अनुबंध की परिभाषा प्रबल होनी चाहिए न कि आम तौर पर राजस्व, जैसा कि ए. एस.–9 में परिभाषित किया गया है।

46. यह सवाल कि सकल राजस्व क्या है, टी. एस. पी. एस. द्वारा उत्तेजित किया गया है, हालांकि 2011 में पहले के निर्णय में निष्कर्ष निकाला गया था। पुनः यह निवेदन करते हुए कि हमें ए. एस.–9 में परिभाषित राजस्व की परिभाषा का पालन करना है, यह लाइसेंस के तहत गतिविधियों द्वारा उत्पन्न राजस्व होगा; जबकि सकल राजस्व की परिभाषा में गैर–लाइसेंस गतिविधियों से आय भी शामिल है जो सकल राजस्व के हिस्से के रूप में है, जिसे हमें त्यागना होगा।

47. खंड 19.1 में 'सकल राजस्व' की परिभाषा समावेशी है, और इसमें स्पष्ट रूप से शामिल हैंः

(i) स्थापना शुल्क;

((ख) विलंब शुल्क;

(iii) हैंडसेटों की बिक्री से प्राप्त आय;

((iv) किसी अन्य अंतिम उपकरण आदि की बिक्री से प्राप्त आय।

((v) ब्याज के आधार पर राजस्व;

((च) लाभांश के आधार पर राजस्व;

(vii) मूल्य वर्धित सेवाएँ;

(viii) निश्चित शुल्क के रूप में पूरक सेवा;

((ix) अभिगम या परस्पर संपर्क शुल्क;

(x) रोमिंग शुल्क; [2019] 16 एस. सी. आर.

(xi) बुनियादी ढांचे के अनुमेय बंटवारे से राजस्व; और

(xii) कोई अन्य विविध राजस्व।

48. समावेशी परिभाषा में ऊपर उल्लिखित किसी भी वस्तु पर खर्च आदि की संबंधित वस्तुओं के लिए किसी भी छूट का दावा नहीं किया जा सकता है।

विविध राजस्व।

49. समझौते के खंड 19.2 में एजीआर के आंकड़े तक पहुंचने के लिए सकल राजस्व से कुछ वस्तुओं को बाहर रखा गया है, जो हैं (ए) पीएसटीएन /

पी. एल. एम. एन. संबंधित शुल्क (अभिगम शुल्क) वास्तव में भारत के भीतर अन्य योग्य सेवा प्रदाताओं को भुगतान किया जाता है; (बी) रोमिंग राजस्व को हस्तांतरित किया जाता है टी. एस. पी. सेवा कर के माध्यम से सरकार को भुगतान किया जाता है, यदि सकल राजस्व था

इसमें सेवा कर और बिक्री कर के घटक शामिल थे।

लाइसेंस समझौते में राजस्व, अनुबंध का हिस्सा है। अकेले केंद्र सरकार को राजस्व को परिभाषित करने का अधिकार है और उसने टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के तहत विशेषाधिकार को अलग कर दिया है। लाइसेंस दिया गया टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अनुबंध की प्रकृति है।

केंद्र सरकार और लाइसेंसधारी के बीच। ट्राई अधिनियम के प्रावधान दूरसंचार गतिविधियों को जारी रखने के लिए केंद्र सरकार के विशिष्ट विशेषाधिकार को प्रभावित नहीं करते हैं, न ही करते हैं।

सिफारिश पर केंद्र सरकार अंतिम निर्णय लेगी। ट्राई अधिनियम की धारा 11 (1) (ए) (ii) के तहत। टी. आर. ए. आई. के पास सिफारिश करने का कार्य होगा। के बीच अंतर

विशेष शर्तों के संबंध में ट्राई और केंद्र सरकार या

लाइसेंस की शर्तें, ट्राई की सिफारिश प्रबल नहीं हो सकती है, और यह केंद्र सरकार का निर्णय है, जो अंतिम और बाध्यकारी होना है। न्यायाधिकरण के पास लाइसेंस में शामिल नियमों और शर्तों की वैधता पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है; इसके पास लाइसेंसकर्ता और लाइसेंसधारक के बीच किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है।

सरकार के पास क्षमता है। लाइसेंस शुल्क सकल राजस्व का एक प्रतिशत होगा, जो कुल राजस्व होगा। लाइसेंसधारी कंपनी।

भारत संघ v. भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

51. इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम में निर्णय दिया है। ए. यू. एस. पी. आई. (2011) कि लाइसेंस देने वाली कंपनी ने दिनांकित 22.7.1999 पत्र में स्वीकार किया था कि

लाइसेंस शुल्क सकल राजस्व का एक प्रतिशत होगा, जो लाइसेंसधारी कंपनी का कुल राजस्व होना चाहिए। लाइसेंसधारी

इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सरकार को न केवल राजस्व हिस्सेदारी के प्रतिशत के संबंध में अंतिम निर्णय लेना है, बल्कि इसकी परिभाषा भी तय करनी है –

इस उद्देश्य के लिए राजस्व। अनुज्ञप्तिधारी समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा की वैधता पर सवाल उठाने के लिए न्यायाधिकरण से संपर्क नहीं कर सकता था

लाइसेंस समझौते में इस आधार पर कि समायोजित सकल राजस्व

लाइसेंस से परे की गतिविधियों से राजस्व शामिल नहीं हो सकता है।

52. लाइसेंसधारियों की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि लाइसेंस के तहत राजस्व शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार, यह पता लगाना आवश्यक होगा कि ए. एस.–9 में राजस्व का क्या अर्थ है। द.

प्रस्तुत करना कि राजस्व लाइसेंसधारी कंपनी की गतिविधियों से संबंधित होना चाहिए, राजस्व की परिभाषा के लिए एक संदर्भ बनाया गया है ए. एस.–9 के खंड 4 में दिया गया है, जो निम्नानुसार हैः

" 4.1 राजस्व किसी उद्यम की सामान्य गतिविधियों के दौरान वस्तुओं की बिक्री से, सेवाओं के प्रदान से और ब्याज, रॉयल्टी और लाभांश देने वाले अन्य उद्यम संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली नकदी, प्राप्तियों या अन्य प्रतिफल का सकल प्रवाह है। राजस्व को मापा जाता है। आपूर्ति की गई वस्तुओं और उन्हें प्रदान की गई सेवाओं के लिए ग्राहकों या ग्राहकों को किए गए शुल्कों और उनके द्वारा संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न शुल्कों और पुरस्कारों द्वारा। एक एजेंसी में

इस संबंध में, राजस्व कमीशन की राशि है न कि नकदी, प्राप्य या अन्य प्रतिफल का सकल प्रवाह।

53. राजस्व मान्यता से संबंधित ए. एस.–9 के खंड 5 में निहित स्पष्टीकरण नीचे दिया गया हैः

" स्पष्टीकरण

राजस्व मान्यता मुख्य रूप से समय से संबंधित है

किसी उद्यम के लाभ और हानि के विवरण में राजस्व की मान्यता। लेन–देन पर उत्पन्न होने वाले राजस्व की राशि आमतौर पर लेन–देन में शामिल पक्षों के बीच समझौते द्वारा निर्धारित की जाती है। जब राशि या उससे जुड़ी लागतों के निर्धारण के संबंध में अनिश्चितताएं मौजूद होती हैं, तो ये अनिश्चितताएं राजस्व के समय को प्रभावित कर सकती हैं, "[2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

54. लाइसेंस समझौते के खंड 20.6, 20.7 और 22 में कहा गया है –

संदर्भित किया गया। इन्हें नीचे निकाला गया हैः

" 20.6 वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क का अंतिम समायोजन होगा –

द्वारा विधिवत प्रमाणित सकल राजस्व आंकड़ों के आधार पर किया गया

प्रावधान के अनुसार लाइसेंसधारी के लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 1956।

20.7 में दिखाई देने वाले आंकड़ों के बीच एक सुलह के खंड 20.4 के संदर्भ में प्रस्तुत त्रैमासिक विवरण

वार्षिक खातों में आने वालों के साथ समझौता होगा

प्रकाशित वार्षिक खातों की एक प्रति के साथ प्रस्तुत किया गया

7 के भीतर लेखापरीक्षा रिपोर्ट और विधिवत लेखापरीक्षित तिमाही विवरण

(सात) लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख के कैलेंडर दिन।

वार्षिक वित्तीय खाता और विहित विवरण

उपरोक्त में निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए तैयार किया जाएगा। संलग्नक।

एक्स एक्स एक्स

22. लेखा तैयार करना। 22.1 एल. आई. सी. एन. एस. ई. स्वतंत्र रूप से तैयार करेगा, रखेगा और प्रस्तुत करेगा।

सेवा के लिए खाते और पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे,

द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश या विनियम

जैसा भी मामला हो, लाइसेंसर या टी. आर. ए. आई. 22.2 लाइसेंसधारी निम्नलिखित के लिए बाध्य होगाः

क) लेखांकन अभिलेखों को संकलित और बनाए रखें, जो लाइसेंस अवधि की प्रत्येक पूरी की गई तिमाही या ऐसी कम अवधि के संबंध में अपने लेनदेन को दिखाने और समझाने के लिए पर्याप्त हैं, जिन्हें एल. आई. सी. ई. एन. एस. ओ. आर. उचित रूप से निर्दिष्ट कर सकता है।

एल. आई. सी. ई. एन. एस. ई. के तहत एल. आई. सी. ई. एन. एस. ई. के व्यवसाय की लागत (पूंजीगत लागत सहित), राजस्व और वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करना जिसमें एल. आई. सी. ई. एन. एस. ई. के व्यवसाय में नियोजित परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्यांकन शामिल है, साथ ही साथ मात्रा निर्धारण के लिए भी।

राजस्व या कोई अन्य उद्देश्य।

ख) उन लेखांकन में से प्रत्येक के संबंध में खरीद

एक पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में तैयार किए गए विवरण, एल. आई. सी. एन. एस. ई. के लेखा परीक्षक द्वारा एल. आई. सी. एन. एस. ओ. आर. द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत का आई. ओ. एन. बनाम.

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

उनकी राय में कथन इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। इस शर्त का और उसके बाद वितरित करने के लिए

लाइसेंसधारक प्रत्येक लेखांकन की एक प्रति

बयान के अंत में तीन महीने से अधिक नहीं

लेखांकन अवधि जिससे वे संबंधित हैं।

ग) एल. आई. सी. ए. एन. एस. ओ. आर. को कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा एक शपथ पत्र पर एक प्रमाणित विवरण भेजें, जिसमें राजस्व का पूरा लेखा हो जैसा कि में परिभाषित किया गया है।

प्रत्येक तिमाही के लिए अलग से शर्त 19

तिमाही के लिए भुगतान।

22.3 (क) लैसेन्सर या ट्राई, जैसा भी मामला हो, को कॉल करने का अधिकार होगा और लैसेन्सी को

एल. आई. सी. एन. एस. ई. किसी भी समय बिना किसी रिकॉर्ड के लाइसेंस के तहत सेवा (ओं) प्रदान करने के लिए किए गए व्यवसाय के संबंध में किसी भी लेखा पुस्तक की आपूर्ति और जांच के लिए प्रदान करने के लिए बाध्य है। इसके कारण।

22.3 (ख) लाइसेंसधारी हमेशा सभी बिलिंग और सभी को संरक्षित करेगा।

अन्य लेखा अभिलेख (इलेक्ट्रॉनिक के साथ–साथ तीन वर्षों की अवधि के लिए हार्ड कॉपी)

कंपनी के विधिवत लेखापरीक्षित और अनुमोदित खातों का प्रकाशन और उनकी किसी भी लापरवाही को इस प्रकार माना जाएगा –

किसी भी अन्य उल्लंघन से स्वतंत्र एक भौतिक उल्लंघन, जो लाइसेंस को रद्द करने का कारण देने के लिए पर्याप्त है।

22.4 अनुज्ञप्तिधारक के अभिलेख इस प्रकार के अधीन होंगे

एल. आई. सी. एन. एस. ओ. आर. द्वारा निर्धारित जांच ताकि –

देय राशि के स्वतंत्र सत्यापन की सुविधा प्रदान करें

राजस्व के अपने हिस्से के रूप में लाइसेंसर।

22.5 अनुज्ञप्ति देने वाला यह राय बना सकता है कि

प्रस्तुत किए गए बयान या खाते गलत या भ्रामक हैं,

एल. आई. सी. एन. एस. ई. की नियुक्ति करके उनके खातों की लेखा परीक्षा का आदेश दें।

एल. आई. सी. एन. एस. ई. की कीमत पर लेखा परीक्षक और ऐसे लेखा परीक्षक

समान शक्तियाँ हैं जो वैधानिक लेखा परीक्षकों के पास हैं

एल. आई. सी. ई. एन. एस. ओ. आर. द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक, इसका वहन लाइसेंसधारक द्वारा किया जाएगा।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22.6 एल. आई. सी. एन. एस. ओ. "विशेष लेखा परीक्षकों" द्वारा एल. आई. सी. एन. एस. ई. कंपनी के खातों/अभिलेखों का एक विशेष लेखा परीक्षा भी करा सकता है, जिसके लिए एल. आई. सी. एन. एस. ओ. द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान एल. आई. सी. एन. एस. ई. द्वारा वहन किया जाएगा। यह ऊपर पैरा 22.5 में वर्णित लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा की प्रकृति में होगा। विशेष लेखा परीक्षकों को भी वही सुविधा प्रदान की जाएगी जो कंपनियों के लेखा परीक्षकों को दी गई है।

कंपनी अधिनियम, 1956। 22.7 एल. आई. सी. एन. एस. ई. समय-समय पर निर्धारित लेखा सिद्धांतों और एल. आई. सी. एन. एस. ओ. आर. या टी. आर. ए. आई. द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कंपनी के वार्षिक वित्तीय खातों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

55. ऊपर उल्लिखित खंडों में यह बताया गया है कि कैसे लाइसेंसधारी खाते तैयार करने के लिए बाध्य हैं। कंपनी अधिनियम के तहत एक वैधानिक दायित्व है। कंपनी अधिनियम की धारा 211 (3 सी) के साथ पठित धारा 211 (3 ए) लेखांकन मानकों का पालन करते हुए उनकी लेखा पुस्तकों को बनाए रखने का प्रावधान करती है और जिसके लिए जम्मू-कश्मीर उद्योग बनाम पर निर्भरता रखी गई है। भारत संघ (उपर्युक्त) जिसमें न्यायालय ने उचित मूल्यांकन सिद्धांतों पर जोर दिया है। वे.

निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया हैः

" 124. दूसरी ओर, उचित मूल्यांकन के सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं।

व्युत्पन्नों और अन्य निवेशों के मूल्यांकन के संदर्भ में। यदि पिछले कुछ वर्षों में लेखांकन अभ्यास में एक एकल परिवर्तन का वर्णन किया जाए, तो यह उचित मूल्यांकन सिद्धांतों का उपयोग होगा। आज, ए. एस. के अधिनियमन के पीछे का उद्देश्य, जो

अब कंपनी अधिनियम की धारा 211 (3-ए) के तहत अनिवार्य बना दिया गया है, लेखांकन की ऐतिहासिक विधि से उचित मूल्यांकन की ओर बढ़ना है। विलय और अधिग्रहण के मामले में, जो आज वैश्वीकरण की दुनिया में आम है, उचित मूल्यांकन सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विलय और अधिग्रहण कभी-कभी मिलान अवधारणा को लागू करके भविष्य के वर्षों में राजस्व व्यय को स्थगित करने के लिए किए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप

काल्पनिक परिसंपत्तियों को बैलेंस शीट पर रखा जाता है। यह एक कारण है कि उचित मूल्यांकन सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता है।

125. ए. एस. मान्यता से संबंधित स्थापित नियम हैं,

माप और प्रकटीकरण, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनका पालन करने वाले सभी उद्यम तुलनीय हैं और उनके वित्तीय विवरण "सही और निष्पक्ष" हैं।

भारत का मापन और संघ v. भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

उचित मूल्य पर आधारित प्रकटीकरण तेजी से हो रहे हैं महत्वपूर्ण है। उचित मूल्यांकन का उपयोग आम तौर पर मूल्यांकन में किया जाता है और

वित्तीय साधनों, व्युत्पन्नों, रूपांतरणों का प्रकटीकरण,

सेवानिवृत्ति दायित्व, परिसंपत्तियों के आदान-प्रदान से जुड़े लेनदेन मौद्रिक विचार, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण आदि के बिना।

56. लेखांकन मानकों का पालन करना अनिवार्य है

कंपनियों और डीओटी ने 2003 की याचिका 7 में 11.7.2003 के जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया है कि समझौते में राजस्व शब्द की परिभाषा लेखांकन मानकों के तहत एएस-9 के अनुरूप है। इस प्रकार, वे अनुमोदन और खंडन नहीं कर सकते। इस प्रकार, राजस्व की पहचान सकल राजस्व के दायरे में आएगी, यह एकमात्र परीक्षा है कि इसे ए. एस.-9 में प्रदान की गई राजस्व की परिभाषा के अनुरूप होना चाहिए, और सुनहरा धागा उद्यम की सामान्य गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाला वाक्यांश है।

57. अध्याय 4.08 किम के अनुसार राजस्व एक 'कला शब्द' है।

लेविसन, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्वीट एंड मैक्सवेल, 1997, जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गया हैः

" जहाँ किसी दस्तावेज़ में कला का एक कानूनी शब्द होता है, वहाँ अदालत को चाहिए इसे कानून में इसका तकनीकी अर्थ दें, जब तक कि इसमें कुछ न हो।

इस धारणा को विस्थापित करने के लिए संदर्भ कि इसका इरादा था

इसका तकनीकी अर्थ है "।

(जोर दिया गया)

58. सकल अभिव्यक्ति राजस्व के रूप में तकनीकी अर्थ

इसका मतलब यह नहीं है कि प्रवाह जो राजस्व नहीं है और अन्य विविध राजस्व का व्यापक अर्थ नहीं हो सकता है। इसे राजस्व के रूप में अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। यह विविध प्रवाह और विविध प्राप्तियाँ नहीं हैं। राजस्व की वस्तुओं की व्याख्या एजुस्डेम जेनरिस के सिद्धांत के अनुसार की जानी चाहिए, जैसा कि महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाम में देखा गया है। सचिकित्सा प्रसारक मंडला, (2010) 3 एस. सी. सी. 786। निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

" 27. लैटिन अभिव्यक्ति "एजुस्डेम जेनरिस" जिसका अर्थ है "का"

एक ही प्रकार या प्रकृति "निर्माण का एक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है

इस प्रकार जब किसी सांविधिक पाठ में सामान्य शब्दों को

प्रतिबंधित के अर्थ के साथ निहितार्थ द्वारा प्रतिबंधित किया जाए शब्द। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो भाषाई [2019] 16 एस. सी. आर. से उत्पन्न होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निहितार्थ जिसके द्वारा शाब्दिक रूप से एक व्यापक अर्थ वाले शब्दों (जब अलग से लिया जाता है) को मौखिक संदर्भ द्वारा दायरे में कम माना जाता है। इसे दीर्घवृत्त या निहितार्थ पर निर्भरता का एक उदाहरण माना जा सकता है। यह सिद्धांत तब तक लागू माना जाता है जब तक कि कोई विपरीत संकेत न हो [ग्लैनविल विलियम्स, द ओरिजिन्स एंड लॉजिकल इम्प्लिकेशंस ऑफ द एजुस्डेम जेनरिस रूल, 7 कॉन्व (एनएस) 119 देखें]।

59. इस प्रकार, लाइसेंसधारियों के अनुसार विविध राजस्व राजस्व होना चाहिए जैसा कि एएस-9 में परिभाषित किया गया है। विविध राजस्व केवल सेवा प्रदान करता है।

ऐसे अन्य राजस्व पर कब्जा करने का उद्देश्य जो पूर्ववर्ती शब्द की सामान्य विशेषताओं को संतुष्ट करता है।

60. लाइसेंसधारियों के अनुसार, राजस्व केवल लाइसेंस प्राप्त गतिविधियों से संबंधित था और लाइसेंस समझौते के तहत गतिविधियों के लिए विशिष्ट था

ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर निर्दिष्ट क्षेत्र में। वाणिज्यिक अनुबंध की व्याख्या का नियम यह है कि जब प्रावधान को विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया जाता है, तो यह देखना है कि पक्ष कैसे करेंगे। इसे उनके बाद के आचरण से समझें जैसा कि गोधरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड v. में देखा गया है। गुजरात राज्य (1975) 1 एस. सी. सी. 199 इस प्रकार है:

" 11. एक अनुबंध की शर्तों की व्याख्या की प्रक्रिया में, अदालत अक्सर पक्षों द्वारा स्वयं दिए गए व्याख्यात्मक बयानों से या इसके तहत प्रस्तुत करने या प्रदर्शन प्राप्त करने में उनके आचरण से बड़ी सहायता प्राप्त कर सकती है। पार्टियाँ, आपसी समझौते से, अपने स्वयं के अनुबंध कर सकती हैं; वे आपसी समझौते से भी उनका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। हालाँकि, व्यावहारिक व्याख्या और अनुप्रयोग की प्रक्रिया को पक्षकारों द्वारा अनुबंध के

पुनर्निर्माण के रूप में नहीं माना जाता है और न ही अदालतें इसे ऐसा मानती हैं। इसके बजाय, यह केवल पक्षों द्वारा उस अर्थ की एक और अभिव्यक्ति है जो वे देते हैं और अपनी शर्तों को दिया है

पहले किया गया अनुबंध। ऐसा कोई उचित कारण नहीं है कि अदालतों को पक्षकारों द्वारा इन आगे की अभिव्यक्तियों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनके पास अभी भी अनुबंध की वही स्वतंत्रता है जो उनके पास मूल रूप से थी। अमेरिकी न्यायालय व्याख्या में स्वीकार्य मार्गदर्शक के रूप में बाद के कार्य प्राप्त करते हैं। यह सच है कि एक पक्ष अपने मामले का निर्माण नहीं कर सकता है अपने पक्ष में व्याख्या। यह सहमति है कि ऐसा पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ उपयोग कर सकता है। यह सहमति आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया बनाम द्वारा दूसरे पक्ष की स्पष्ट सहमति से प्रमाण हो सकती है।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

उसके अनुसार कार्य करना, उसकी रसीद द्वारा बिना किसी आपत्ति के प्रदर्शन जो इसे इंगित करते हैं, या कुछ नहीं कहना जब वह जानता है कि पहला पक्ष उस पर निर्भरता पर कार्य कर रहा है व्याख्या (कॉर्बिन ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉल्यूम देखें। 3 , पीपी। 249 & 254 56) .

12. अन्य क्षेत्राधिकारों में प्राप्त होने वाला नियम भी वही है:

" फ्रांस में एक अनुबंध का निर्माण तथ्य के न्यायाधीशों के एकमात्र प्रांत के भीतर होता है जो पूरी तरह से उस सामग्री का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो उन्हें प्रासंगिक लगती है। जर्मनी में भी यही नियम है, जहां 1888 से, यह स्थापित किया गया है कि अनुबंध करने वाले पक्षों में से एक द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को संविदात्मक इरादों की सामग्री के बारे में दिए गए बयान भी व्याख्या के लिए स्वीकार्य मार्गदर्शक हैं। इटली में, अनुच्छेद 1362 (2) प्रभावशाली रूप से संक्षिप्त भाषा में प्रदान करता है। कानून पर वियना समझौता

1969 की संधियाँ (जो काफी हद तक केवल पहले की अंतर्राष्ट्रीय प्रथा को संहिताबद्ध करती हैं) एक संधि के दुभाषिया को संधि के अनुप्रयोग में किसी भी बाद की प्रथा को ध्यान में रखने का आदेश देती हैं जो संबंधित पक्षों के समझौते को स्थापित करती है।

इसकी व्याख्या ': अनुच्छेद 31 (3) (बी) [एल. शुलर ए. जी. बनाम पर पी. ए. मान द्वारा टिप्पणियाँ देखें। विकमैन मशीन टूल सेल्स लिमिटेड, (1973)

2 डब्ल्यू. एल. आर. 683, लॉ क्वार्टरली रिव्यू, वॉल्यूम। 89 , पीपी। 464–65] . पक्षों के बाद के आचरण को ध्यान में रखने के खिलाफ वास्तविक कारण वह नियम है जिसमें लिखित अनुबंध के निर्माण में बाहरी साक्ष्य को शामिल नहीं किया गया है।

16. हम निश्चित नहीं हैं कि यदि किसी दस्तावेज़ के तहत बाद में कार्य करने का सबूत स्वीकार्य है, तो इसका परिणाम यह हो सकता है कि एक अनुबंध का उस दिन कुछ मतलब होगा जिस दिन उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन बाद की घटना के कारण, इसका मतलब एक महीने या एक साल बाद कुछ होगा। बाद के "व्याख्या" वाले बयान हमेशा किसी शब्द या वाक्यांश के अर्थ को नहीं बदल सकते हैं। एक शब्द या वाक्यांश हमेशा स्पष्ट नहीं

होता है। जब दोनों पक्ष बाद में कहते हैं कि शब्द या वाक्यांश से, जो संदर्भ में अस्पष्ट है, उनका यह अर्थ है, तो यह केवल शब्द या वाक्यांश के अर्थ के रूप में एक शब्दावली प्रदान करता है। आखिरकार, जांच यह है कि इस्तेमाल की गई भाषा से पक्षों का इरादा क्या था। और, ऐसा क्यों है कि पक्ष बाद में व्याख्या बयान द्वारा भाषा में अव्यक्त अस्पष्टता को दूर नहीं कर सकते हैं? यदि शब्द या वाक्यांश या वाक्य का अर्थ स्पष्ट है, तो बाहरी साक्ष्य [2019] 16 एस. सी. आर. नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वीकार्य है। यह केवल तभी होता है जब अव्यक्त अस्पष्टता होती है व्याख्या कथन के रूप में साक्ष्य जिसमें दोनों

सहमत पक्षों को स्वीकार्य होना चाहिए। पार्टियां स्वयं के अर्थ के बारे में स्पष्ट नहीं हो सकता है

पक्षकारों का जो बाद में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और उनके द्वारा कोई भी बयान जो अंधेरे को रोशन करेगा

भाषा की अस्पष्टता से उत्पन्न होने को बंद नहीं किया जाना चाहिए

बाहर निकलें। एक अस्पष्ट उपकरण के मामले में, कोई कारण नहीं है

बाद में व्याख्या कथन क्यों अस्वीकार्य होना चाहिए।

" सवाल यह हैः तथ्य यह है कि पार्टियों को एक

दस्तावेज़, और विशेष रूप से एक अनुबंध के लिए, इसकी व्याख्या की है

एक विशेष तरीके से शब्द और अभिनय करने की आदत रही है

उस व्याख्या के अनुसार दस्तावेज़ पर, कोई भी

दस्तावेज़ के निर्माण के लिए स्वीकार्य गाइड? में

एक असंदिग्ध दस्तावेज़ के मामले में, उत्तर 'नहीं' है। (देखें। ऑजर्स 'कंस्ट्रक्शन ऑफ डीड्स एंड स्टैच्यूट्स, 5 वीं संस्करण। द्वारा

जी. ड्वोर्किन, पीपी। 118–19) . "

लेकिन, जैसा कि हमने कहा, एक अस्पष्ट के मामले में, जवाब

"हाँ" होना चाहिए। लैम्ब वी. गोरिंग ब्रिक कंपनी, एक बिक्री एजेंसी

अनुबंध में "कीमत पर पारस्परिक रूप से सहमति होगी" शब्द शामिल थे।

मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाए गए तरीके को दिखाने वाले दस्तावेज

बिना किसी आपत्ति के सबूत पेश किए गए। अपील की अदालत में ग्रीर एल. जे. ने कहाः

" मेरी राय में, यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि यह अनुबंध कैसे किया जाए

व्यवहार में लागू किया गया था। यदि कोई अस्पष्टता थी, और

मुकदमे में पक्षों की मंशा पर सवाल उठाया गया था, मैं लगता है कि यह माना गया होगा कि पार्टियों ने अपने

अनुबंध पर स्वयं का निर्माण और, एक पर कार्य करते हुए

कुछ दृष्टिकोण, इस प्रकार इसे सही दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हुए थे

इसका अर्थ "। " " "

(जोर दिया गया)

61. उचित मूल्यांकन विधि को अपनाने के लिए प्रस्तुत किया गया

एनजी ऑन एस. के. सिंथेटिक्स (सुप्रा) की गलत धारणा पर आधारित हैओ. डी. ए. एस.–9 पर लागू होता है। ए. एस. से छुटकारा पाने के लिए तर्क तैयार किया गया है

समझौते में सकल राजस्व की परिभाषा।

हमें भारत का संघ v. भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

लेखांकन मानकों की मूल्यांकन विधि पर विचार करें जो समय–समय पर प्रस्तुत करने का उत्तर खोजने के लिए निर्धारित की जाती हैं। आईसीएआई ने वर्ष 1985 में एएस 9 राजस्व मान्यता मानक जारी किया। शुरुआती वर्षों में, यह केवल स्तर–1 उद्यमों के लिए अनुशंसित था, लेकिन इसे बनाया गया था

1.4.1983 से सभी उद्यमों के लिए अनिवार्य। उद्यम का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में परिभाषित किया गया है। आई. एन. डी. ए. एस. 18 व्यवस्था को बाद में पेश किया गया है। ए. एस.–9 में, राजस्व मान्यता "नाममात्र" मूल्य पर है; जबकि आई. एन. डी. ए. एस.–18 में, राजस्व मान्यता "उचित" मूल्य पर है। वस्तु–विनिमय लेन–देन आई. एन. डी. ए. एस.–18 में शामिल हैं, जबकि यह पहलू ए. एस.–9 में शामिल नहीं है। ए. एस–9 राजस्व में मान्यता, ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है, जबकि इंड एएस–18 में, ब्याज आय को एक प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। ए. एस.–9 पूरा किए गए राजस्व के अनुसार राजस्व को मान्यता देता है।

सेवा विधि या प्रतिशत पूर्णता विधि, जबकि इंड एएस–18 केवल पूर्णता विधि के प्रतिशत के अनुसार राजस्व को मान्यता देता है। इस प्रकार, एक बुनियादी अंतर है। ए. एस.–9 में उचित मूल्य अवधारणा का कोई स्थान नहीं है, जिसके अनुसार सकल राजस्व के निर्धारण के लिए खातों को बनाए रखा जाना और जमा किया जाना है। ए. एस.–9 राजस्व मान्यता

विभिन्न लेखा मानक जो उचित मूल्यांकन विधि को अपनाते हैं अर्थात, इंड ए. एस.–18 और ए. एस.–9 लेखा मानक के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। 62. प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से सारहीन है। यह न केवल रचनात्मक न्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित है, बल्कि यह इंगित भी करता है

कि लाइसेंसधारक ऐसी ही आपत्तियाँ उठा रहे हैं जो उन्होंने पहले उठाई हैं और इस न्यायालय द्वारा उन पर विचार नहीं किया गया था और उन्हें खारिज कर दिया गया था। पुनः सटीक रूप से, वही प्रयास प्रस्तुत करके किया जाता है; राजस्व को समझौते के खंड 19.1 में नहीं, बल्कि ए. एस.–9 में परिभाषित के रूप में लिया जाना चाहिए। प्रस्तुतिकरण न्यायालय के निर्णय के विपरीत है, जैसा कि 2011 के निर्णय के पैरा 48 में अभिनिर्धारित किया गया है, जो पक्षकारों के बीच न्यायपालिका के रूप में कार्य करता है। राजस्व का अर्थ स्पष्ट है कि यह सकल राजस्व होना चाहिए, और लाइसेंस शुल्क उसी का प्रतिशत होगा। इस प्रकार, लाइसेंसधारियों ने यह प्रस्तुत करने का व्यर्थ प्रयास किया है कि जिस राजस्व पर विचार किया जाना है वह लाइसेंस के तहत गतिविधियों से प्राप्त होगा; जबकि 2011 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि लाइसेंस से परे की गतिविधियों से प्राप्त राजस्व को समायोजित सकल राजस्व में शामिल किया जाना है, बाध्यकारी है।

63. अन्यथा भी, योग्यता के आधार पर, उठाया गया निवेदन आधारहीन है। सकल राजस्व की संविदात्मक परिभाषा बाध्यकारी है। इस अदालत ने

यह पाया गया कि लाइसेंसधारी के लिए यह खुला है कि वह ऐसी गतिविधियाँ न करे जिनके लिए उन्हें टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और इन गतिविधियों को किसी अन्य फर्म या कंपनी को हस्तांतरित कर सकता है। हालांकि,

वे संविदात्मक परिभाषा के परिणामों से बच नहीं सकते हैं जिसे पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है, और वे सकल राजस्व के आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं, जो कि लाइसेंस देने वाली कंपनी का कुल राजस्व होगा। चूंकि सरकार ने ट्राई की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा के बिंदु पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी था। इस न्यायालय ने यह भी माना है कि टी. आर. ए. आई. और न्यायाधिकरण के पास लाइसेंस समझौते के तहत समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा की वैधता पर निर्णय लेने और राजस्व की कुछ वस्तुओं को बाहर करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जो लाइसेंसकर्ता और लाइसेंसधारक के बीच लाइसेंस समझौते में सकल राजस्व की परिभाषा में शामिल थे। न्यायाधिकरण के पास समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा की वैधता के आधार पर कुछ मदों को बाहर करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। जहां तक यह निर्णय लिया गया है कि लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस समझौते में समायोजित सकल राजस्व से बाहर रखे जाने वाले लाइसेंस से परे की गतिविधियों से प्राप्त राजस्व अधिकार क्षेत्र के बिना है और एक शून्य है। समायोजित सकल राजस्व की गणना के लिए मामले को टीडीएसएटी को वापस भेज दिया गया था। यह भी देखा गया कि यदि कोई विवाद उठाया जाता है

यह कि गणना लाइसेंस समझौते का पालन नहीं कर रही है, न्यायाधिकरण को उन तथ्यों और सामग्री में जाना होगा जिन पर मांग उठाई गई है और यह तय करने के लिए कि मांग लाइसेंस समझौते का पालन कर रही है और विशेष रूप से, समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा। यह नियम और शर्तों की व्याख्या भी कर सकता है।

लाइसेंस समझौते पर। न्यायाधिकरण ने विशेष लाइसेंस के संबंध में मांग से संबंधित तथ्यों और सामग्री में नहीं गया। न्यायाधिकरण इस सवाल पर विचार कर सकता है कि क्या मांग लाइसेंस के तहत है।

समझौता और विशेष रूप से, समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा।

64. खंड 20.6 के तहत, कंपनी अधिनियम के तहत नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा खातों का प्रमाणन लाइसेंस के तहत निर्धारित किया गया है। लाइसेंस समझौते के खंड 22 के तहत खातों की तैयारी एक स्वतंत्र प्रमुख है। खंड 19.1 में समझौते के तहत दी गई सकल राजस्व की परिभाषा और वह है कुल राजस्व। हमारी सुविचारित राय में, जब इस बारे में एक संविदात्मक परिभाषा है कि सकल राजस्व क्या होगा जो राजस्व और कुल राजस्व भी होगा, तो लेखांकन के तरीके में उल्लिखित राजस्व–9 भारत संघ v नहीं हो सकता है।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

परिभाषा को नियंत्रित करें। मोड में राजस्व की सामान्य परिभाषा लेखांकन सकल राजस्व की संविदात्मक परिभाषा को नियंत्रित नहीं कर सकता है।

65. खंड 20.4 के अनुसार, एक लाइसेंसधारी को तिमाही भुगतान करना होगा।

अनुलग्नक–II के रूप में निर्धारित प्रारूप में देय राजस्व और लाइसेंस शुल्क की गणना को दर्शाता है। प्रारूप लाइसेंस का हिस्सा है और लेखांकन मानकों से स्वतंत्र है और सकल राजस्व की परिभाषा के अनुरूप है, और लाइसेंस शुल्क की गणना के लिए आधार है। यह.

यह केवल एकरूपता के लिए है कि खाते को लेखांकन मानकों ए. एस.–9 के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए जो समय–समय पर निर्धारित किए जाते हैं। एक बार जब लाइसेंसधारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित खातों के साथ–साथ अनुलग्नक–II के प्रारूप में सरकार को विवरण प्रदान करता है, तो सुलह होनी चाहिए। लेखांकन मानक ए. एस.–9 केवल इस बात के लिए प्रासंगिक है कि क्या लाइसेंसधारी द्वारा सकल राजस्व के रूप में दिए गए आंकड़े को उचित तरीके से बनाए रखा जाता है जब सकल राजस्व समाप्त हो जाता है।

निश्चित किया गया है, फिर कुछ कटौती के बाद, समायोजित सकल राजस्व है

काम करने के लिए। ए. एस.–9 में प्रदान किया गया लेखा मानक सकल राजस्व की परिभाषा को ओवरराइड नहीं कर सकता है, जो कि लाइसेंस के लिए कुल राजस्व है और भारत संघ v. इस संबंध में ए. यू. एस. पी. आई. (2011) अंतिम, बाध्यकारी और प्रभावी है। लेखा मानक ए. एस.–9 यह स्पष्ट करता है कि यह दिशानिर्देशों के रूप में है, यह व्यापक नहीं है। और लेखांकन के अभ्यास का स्थान नहीं लेता है। यह केवल एक ऐसी प्रणाली निर्धारित करता है जिसमें खातों को बनाए रखा जाना है। लेखांकन मानक यह स्पष्ट करते हैं कि यह लेखांकन के

लिए एक सीधा सूत्र प्रदान नहीं करता है, बल्कि केवल व्यवस्थित तरीके से लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।

66. यद्यपि ए. एस. 9 के खंड 4.1 में दी गई राजस्व की परिभाषा अनुबंध को नियंत्रित नहीं कर सकती है, सकल राजस्व की संविदात्मक परिभाषा जो खंड 19.1 के तहत सकल राजस्व है और समझौते के उद्देश्य के लिए कुल राजस्व जिसके लिए एक स्वतंत्र परिभाषा है

के साथ अलग होने के दौरान वैधानिक शक्ति के तहत बनाया गया था

केंद्र सरकार द्वारा धारा 4 के तहत विशेषाधिकार, एक बार अनुबंध में प्रवेश करने के बाद, सकल राजस्व की परिभाषा बाध्यकारी है, और लाइसेंसधारक निर्णय से बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर सकते हैं।

इससे अलग होने के अस्वीकार्य प्रयास। याचिका रेस द्वारा वर्जित है

न्यायपालिका, और गुण–दोष के आधार पर आपत्ति पूरी तरह से असमर्थनीय है। ए. एस.–9 के खंड 4.1 में राजस्व की परिभाषा में यह प्रावधान है कि राजस्व सकल है।

सामान्य गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाली नकदी, प्राप्तियों या अन्य प्रतिफल का प्रवाह। जब ए. एस.–9 में राजस्व सकल अंतर्वाह [2019] 16 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नकद राशि और वह राशि जो प्राप्य है, न कि प्राप्त राशि, जिसे प्राप्त किया जाता है या जो अन्य प्रतिफल प्राप्त होता है, को भी लेखा मानक ए. एस.–9 के अनुसार ध्यान में रखा जा सकता है। ए. एस.–9 में राजस्व की परिभाषा लाइसेंसधारियों के कारण का समर्थन करने के बजाय उसे विफल कर देती है। वे खंड 4 में इस अभिव्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि किसी उद्यम की सामान्य गतिविधियों को केवल सकल राजस्व में शामिल किया जाना है क्योंकि भारत संघ v में इसे स्पष्ट रूप से नकार दिया गया है। ऑस्पी (2011)। सकल राजस्व की परिभाषा को देखते हुए, वही

इसमें लाइसेंस से परे की गतिविधियों से प्राप्त राजस्व शामिल है। ए. एस.–9 के खंड 5 के स्पष्टीकरण से यह भी स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच समझौता किसी लेन–देन पर उत्पन्न होने वाले राजस्व की राशि का निर्धारण करेगा।

67. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 से संबंधित है –

लेखा मानकों का पालन करने के लिए कंपनी का दायित्व। यदि वे इसका पालन नहीं करते हैं, तो इसे अपने लाभ और हानि खाते, विचलन, इस तरह के विचलन के कारणों और वित्तीय प्रभाव में प्रकट करना होगा। धारा 211 (3ए) और 211 (3बी) को नीचे उद्धृत किया गया हैः

" 211 (3 ए) प्रत्येक लाभ और हानि खाता और शेष–पत्र

कंपनी लेखांकन मानकों का पालन करेगी।

(3 ख) क्या लाभ–हानि खाता और तुलनपत्र

कंपनी के लेखा मानकों का पालन नहीं करते हैं, ऐसी कंपनियाँ अपने लाभ और हानि खाते में खुलासा करेंगी और

तुलनपत्र, निम्नलिखित, अर्थात्:

(क) लेखांकन मानकों से विचलन;

((क) इस प्रकार के विचलन के कारण; और ((ख) ऐसे विचलन के कारण उत्पन्न होने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो।

68. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि लेखांकन मानक ए. एस.–9 खातों को बनाए रखने की एक विधि है और यदि विचलन किया जाता है, तो इसे प्रतिबिंबित करना होगा।

अलग से।

69. ए. यू. एस. पी. आई. बनाम द्वारा दायर याचिका संख्या 7/2003 में की गई प्रार्थना। भारत संघ को यह घोषणा करनी थी कि 'सकल राजस्व' केवल भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के तहत लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार संचालन से सीधे उत्पन्न होने वाले राजस्व से संबंधित हो सकता है, और डीओटी पत्र दिनांक 1 में इंगित वस्तुओं में ब्याज आय और लाभांश आय, छूट का मूल्य, छूट, मुफ्त कॉल और यूएसओ फंड से प्रतिपूर्ति आदि को समायोजित सकल राजस्व में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह भी प्रार्थना की गई कि ब्याज आय और अन्य आय पर राजस्व का हिस्सा अलग रखा जाए।

भारत संघ v. भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

70. याचिका No.82/2005 में, मांग दिनांकित 28.3.2003 और 13.7.2004, आदि थी और गलत आवेदन के कारण धनवापसी और

ब्याज के साथ सकल राजस्व और समायोजित सकल राजस्व के कार्यान्वयन की मांग की गई थी। प्रार्थना की गई थी कि किसी भी गैर–दूरसंचार राजस्व पर लाइसेंस शुल्क या डब्ल्यू. पी. सी. शुल्क, यानी, जो राजस्व लाइसेंस/राजस्व के तहत लाइसेंस प्राप्त गतिविधियों से प्राप्त नहीं होते हैं, जो टेलीग्राफ की स्थापना, रखरखाव और कामकाज से सीधे संबंधित नहीं हैं या जिनका कोई संबंध नहीं है, उन पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। डी. ओ. टी. वह एकत्र नहीं कर सकता जो राजस्व नहीं है। डी. ओ. टी. को गणना करने का निर्देश देने के लिए भी प्रार्थना की गई थी। एक प्राप्ति के आधार पर समायोजित सकल राजस्व, न कि संचय के आधार पर, और समायोजित सकल राजस्व में किसी भी काल्पनिक राजस्व/आय को शामिल नहीं करना।

डी. ओ. टी. को सकल की परिभाषाओं को संशोधित करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गई थी

राजस्व और समायोजित सकल राजस्व, उन्हें प्रवास पैकेज के अनुरूप लाएं। सकल राजस्व, समायोजित सकल राजस्व के विवरण के प्रारूप को उपयुक्त रूप से संशोधित करने के लिए भी प्रार्थना की गई और

अन्यायपूर्ण, अनुचित और मनमाना। 71. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि शुरू से ही, लाइसेंसधारक सटीक नियमों और शर्तों और अपने दायित्वों से अवगत थे

भारत बनाम. ए. यू. एस. पी. आई. (ऊपर) और इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वस्तुओं को सकल राजस्व की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। 72. कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम की व्याख्या के नियम को भी सेवा में लगाया गया है। जैसा कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम में देखा गया है। पुष्पालय प्रिंटर्स, 2004 (3) एस. सी. सी. 694 इस प्रकार हैः

" 6. ..... यदि "प्रभाव" शब्द की व्याख्या संकीर्ण रूप से की जाती है, तो किसी भी रेल के प्रभाव का सवाल ही नहीं उठेगा क्योंकि किसी रेल के जबरन किसी इमारत या मशीनरी के संपर्क में आने का सवाल ही नहीं उठेगा। विशिष्ट बहिष्करण और संदर्भ में अधिक अर्थ रखने वाले "प्रभाव" शब्द के अभाव में, इसे केवल जबरन संपर्क तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है, जब इसके अर्थ "निकट जाना", "एक चीज़ पर दूसरी चीज़ की प्रभावी कार्रवाई" और [2019] 16 एस. सी. आर. शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ऐसी कार्रवाई का प्रभाव ", में आयोजित करना उचित और उचित है। संदर्भ कि शब्द "प्रभाव" खंड 5 में निहित है

बीमा पॉलिसी उत्तरदाता के मामले को यह कहने के लिए कवर करती है कि के कारण भवन और मशीनरी को नुकसान

बुलडोजर सड़क पर निकटता से आगे बढ़ रहा था क्योंकि इसका

अस्पष्टता या एक शब्द दो संभावित व्याख्याओं में सक्षम है, बीमित व्यक्ति के लिए लाभकारी को इसके अनुरूप स्वीकार किया जाना चाहिए –

जिस उद्देश्य के लिए नीति ली जाती है, अर्थात्, किसी घटना के घटित होने का जोखिम। हालांकि ऐसा नहीं है

तत्काल पॉलिसी में खंड 5 को इसके खिलाफ माना जाना चाहिए अपीलार्थी। जहाँ किसी दस्तावेज़ के शब्द अस्पष्ट होते हैं, वे

दस्तावेज़ तैयार करने वाले पक्ष के खिलाफ माना जाएगा।

यह नियम बीमा के अनुबंधों पर लागू होता है, और धारा 5 बीमा पॉलिसी, पूरी पॉलिसी को पढ़ने के बाद भी

वर्तमान मामले को बीमाकर्ता के खिलाफ माना जाना चाहिए। ए.

जनरल एस्योरेंस सोसाइटी में इस न्यायालय की संविधान पीठ

लिमिटेड वी. चांदमुल जैन ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1644 ने व्यक्त किया है कि

(एयर पी। 1649, पैरा 11)

" बीमा के अनुबंध में उबेरिमा की आवश्यकता होती है।

विश्वास, अर्थात, आश्वस्त और की ओर से सद्भावना

अनुबंध का अर्थ अनुबंध के विपरीत होने की संभावना है, अर्थात, अस्पष्टता या संदेह के मामले में कंपनी के खिलाफ।

(जोर दिया गया)

73. जैसा कि औद्योगिक संवर्धन और निवेश में देखा गया है

उड़ीसा लिमिटेड का वक्तव्य v. न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2016)

सी. सी. 325 इस प्रकार हैः

" 10. हम वकील द्वारा की गई प्रस्तुति से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं। विरोध प्रस्ताव के नियम के संबंध में अपीलार्थी के लिए। द.

निर्माण का सामान्य कानून नियम "वर्बा चार्टरम फोर्टियस

एकर अर्थ छैक कि एकरामे अस्पष्टता छैक।

नीति के शब्दों को उस पक्ष के खिलाफ हल किया जाना है जो

इसे तैयार करें। बीमा कानून 1 पर मैकगिलिव्रे नियम से संबंधित है।

निम्नलिखित के रूप में विरोधी प्रस्तावः

–जोन्स, लॉन्गमोर और अन्य (एड।) बीमा कानून पर मैकगिलिव्रे (9 वां संस्करण। , मीठा।

एक्सवेल, लंदन 1997) पी। 280 .

भारत का आयन बनाम। भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

" निर्माण का विरोधाभासी नियम केवल तभी उत्पन्न होता है जब खंड का मसौदा तैयार करने वालों द्वारा एक शब्द प्रयोग किया जाता है जो अदालत को व्याख्या के सामान्य सिद्धांतों द्वारा यह तय करने में असमर्थ छोड़ देता

है कि दो अर्थों में से कौन सा सही है। अस्पष्टता पैदा करने के लिए नियम का उपयोग नहीं करना चाहिए–पहले अस्पष्टता का पता लगाना चाहिए। शब्दों को उनका सामान्य होना चाहिए और प्राकृतिक अर्थ जब तक कि वह नीति के सामने या संभवतः आसपास की परिस्थितियों के बाहरी साक्ष्य द्वारा दिखाई देने वाली वास्तविक अस्पष्टता से विस्थापित न हो जाए।

(फुटनोट हटा दिए गए हैं)

11. कॉलिनवॉक्स का बीमा का कानून 2 निम्नलिखित रूप में कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम नियम का प्रस्ताव करता है:

" नीतियों में विरोधाभासी खंडों के अलावा, उनमें अस्पष्टताएं आम हैं, और यह अक्सर बहुत अनिश्चित होता है कि क्या

लेकिन एक खंड केवल वास्तविक अस्पष्टता के मामलों में विरोधाभासी होने के लिए है। किसी को भी अस्पष्टता पैदा करने के लिए नियम का उपयोग नहीं करना चाहिए। पहले अस्पष्टता का पता लगाना चाहिए। यहाँ तक कि जहाँ स्वयं एक खंड है यदि पूरी नीति को देखने से इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, तो सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए भी यदि किसी खंड का एक अर्थ दिया जाता है, तो बाकी नीति स्पष्ट हो जाती है, नीति का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

आरटी और मर्किन (एडस्.), कॉलिनवॉक्स का बीमा कानून (6 वां संस्करण, 1990) पी। 42 .

74. हमारी राय में, ऊपर उल्लिखित नियम विपरीत है

प्रस्ताव वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि समझौते में सकल राजस्व की परिभाषा में कोई अस्पष्टता या संदेह नहीं है।

75. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि राजस्व की पहचान करने के लिए, एकमात्र परीक्षा यह है कि इसे राजस्व की परिभाषा के अनुरूप होना चाहिए

ए. एस.–9 में प्रदान किया गया। प्रावधानों के दायरे की व्याख्या करने के लिए, एक समाज के सिद्धांत को लागू करना होगा जो प्रदान करता है कि जब परिभाषा में विभिन्न प्रमुख शामिल होते हैं और जबकि वे नहीं हो सकते हैं

व्याख्या के एक नियम के रूप में, परिभाषा के भीतर जो शामिल किया जा रहा है, वह प्रावधानों के दायरे की व्याख्या करने में सहायता करेगा। उक्त सिद्धांत को लागू करने के लिए, इस पर निर्भरता रखी गई है, (ए) वानिया सिल्क मिल्स बनाम। सी. आई. टी., अहमदाबाद, 1991 (4) एस. सी. सी. 22, अवलोकन पर:

" 11. यह सच है कि अधिनियम की धारा 2 (47) में "हस्तांतरण" की परिभाषा समावेशी है, और इसलिए, उन घटनाओं और लेनदेन तक फैली हुई है जो अन्यथा अपने सामान्य, लोकप्रिय और प्राकृतिक अर्थ के अनुसार "हस्तांतरण" नहीं हो सकते हैं। यह परिभाषा का यह पहलू है जिसने उच्च न्यायालय के साथ विचार किया है और इसलिए, उच्च न्यायालय ने तर्क दिया है कि यदि "हस्तांतरण" शब्द के स्थान पर "उसमें किसी भी अधिकार का उन्मूलन" शब्द रखा गया है।

धारा 45, बीमा कंपनी से प्राप्त दावा या क्षतिपूर्ति उक्त धारा द्वारा आकर्षित होगी। द.

हालाँकि, उच्च न्यायालय इस तथ्य से चूक गया है कि परिभाषा में बिक्री, विनिमय आदि जैसे लेनदेन का भी उल्लेख किया गया है, जिन पर "हस्तांतरण" शब्द अपने लोकप्रिय और प्राकृतिक महत्व में उचित रूप से लागू होगा। चूँकि वे संबंधित शब्द और अभिव्यक्तियाँ परिसंपत्ति और हस्तांतरणकर्ता के अस्तित्व को दर्शाती हैं, इसलिए नोसिटुर ए सोसाइटिस के नियम के अनुसार, अभिव्यक्ति "किसी भी संपत्ति का उन्मूलन" है।

उनमें "अधिकार" उक्त संबंधित शब्दों और अभिव्यक्तियों से रंग लेंगे, और उन्हें उनके अनुरूप अर्थ तक ही सीमित रखना होगा। यदि विधायिका अधिकार के किसी भी उन्मूलन के लिए परिभाषा का विस्तार करने का इरादा रखती है, तो इसमें हस्तांतरण के स्पष्ट उदाहरण शामिल नहीं होते, अर्थात। , बिक्री, विनिमय

आदि। इसलिए "उसमें किसी भी अधिकार का उन्मूलन" अभिव्यक्ति को अधिकारों के उन्मूलन तक ही सीमित रखना होगा।

हस्तांतरण का लेखा और हस्तांतरण के कारण से स्वतंत्र या अन्यथा किसी भी अधिकार के उन्मूलन के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है। भारत का आयन बनाम।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

(बी) स्विस रिबन बनाम। भारत संघ, 2019 (4) एस. सी. सी. 17

" 109. हमारा विचार है कि जो व्यक्ति संयुक्त रूप से या संयुक्त रूप से कार्य करते हैं

दूसरों के साथ संगीत कार्यक्रम समाधान आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े होते हैं। इसी तरह, धारा 5 (24–ए) में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियां दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्तियों को संकल्प आवेदक के साथ निम्न अर्थों में "जुड़ा" होना चाहिएः

धारा 29–ए (जे)। यह मामला होने के नाते, उक्त श्रेणियां

जिन व्यक्तियों का सामूहिक रूप से शीर्षक के तहत उल्लेख किया गया है

" स्पष्ट रूप से समाधान आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि के साथ संबंध होना चाहिए। यह दिखाने के अभाव में कि ऐसा व्यक्ति समाधान आवेदक की गतिविधि के व्यवसाय से "जुड़ा हुआ" है, ऐसा व्यक्ति संभवतः नहीं हो सकता है

धारा 29–ए (जे) के तहत अयोग्य ठहराया गया। धारा 29–ए (जे) की सभी श्रेणियां प्राकृतिक और कृत्रिम व्यक्तियों से संबंधित हैं, जो समाधान आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े हैं। इसलिए परिभाषा अनुभागों में निहित "संबंधित पक्ष" और "सापेक्ष" अभिव्यक्ति को स्पष्टीकरण । में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के साथ एक समाज के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, और इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें केवल वे व्यक्ति शामिल होंगे जो इस धारा से जुड़े हैं। समाधान आवेदक की व्यावसायिक गतिविधि।

(ग) दक्षिण गुजरात रूफिंग टाइल्स निर्माता बनाम। चूहे की स्थिति, 1976 (4) एस. सी. सी. 601,

3. यह प्रश्न प्रविष्टि 22 के स्पष्टीकरण के सही निर्माण को दर्शाता है जिसमें कहा गया है कि इस प्रवेश कुम्हार उद्योग के उद्देश्य के लिए उसमें निर्दिष्ट नौ "मिट्टी के बर्तनों की वस्तुओं" का निर्माण "शामिल" है। मिट्टी के बर्तन एक व्यापक अर्थ में अपनाएंगे। सभी वस्तुएँ जो मिट्टी से बनी होती हैं और आग से कठोर होती हैं, कच्चे मिट्टी के बर्तनों से लेकर नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तन तक। प्रतिवादी, गुजरात राज्य की ओर से पेश श्री पटेल का तर्क है कि स्पष्टीकरण से संकेत मिलता है कि प्रविष्टि 22 में मिट्टी के बर्तन उद्योग का उद्देश्य मंगलोर पैटर्न की छत की टाइलों सहित मिट्टी के बर्तनों की सभी संभावित वस्तुओं को शामिल करना है। में 'शामिल' शब्द के प्रसिद्ध उपयोग का उल्लेख करते हुए

शब्दों के अर्थ का विस्तार करने के लिए व्याख्या खंड और

कानून के मुख्य भाग में आने वाले वाक्यांश, श्री पटेल प्रस्तुत करते हैं स्पष्टीकरण, जब यह कहा जाता है कि कुम्हार उद्योग में नौ नामित वस्तुएँ शामिल हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसमें न केवल ये वस्तुएँ बल्कि मिट्टी के बर्तनों की अन्य वस्तुएँ भी शामिल हैं। यह सच है कि "शामिल" का उपयोग आम तौर पर विस्तार के शब्द के रूप में किया जाता है, लेकिन [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ तब बढ़ाया जाता है जब कहा जाता है कि इसमें ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो इसके सामान्य अर्थ में ठीक से नहीं आती हैं। हम दिलवर्थ बनाम में लॉर्ड वॉटसन के अक्सर उद्धृत अवलोकन का उल्लेख कर सकते हैं। डाक टिकट आयुक्त कि जब "शामिल" शब्द का उपयोग व्याख्या खंडों में क़ानून में शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ को बढ़ाने के लिए किया जाता है

" इन शब्दों या वाक्यांशों को समझने के रूप में समझा जाना चाहिए,

न केवल ऐसी चीजें जो वे अपने प्राकृतिक महत्व के अनुसार दर्शाती हैं, बल्कि वे चीजें भी जो व्याख्या खंड

घोषणा करता है कि वे इसमें शामिल होंगे। ” "

व्याख्या करें। यदि निर्दिष्ट वस्तुएँ भी "मिट्टी के बर्तनों की वस्तुएँ" हैं, तो ये वस्तुएँ पहले से ही अभिव्यक्ति में शामिल हैं। " मिट्टी के बर्तन उद्योग "। यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि मिट्टी के बर्तन उद्योग में मिट्टी के बर्तनों की वस्तुओं का निर्माण शामिल है, अगर इरादा किसी भी तरह से मिट्टी के बर्तन उद्योग के अर्थ को बढ़ाना था।

4. हम श्री पटेल से इस बात को लेकर भी सहमत नहीं हैं कि स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट लेखों का उल्लेख किया गया होगा।

प्रविष्टि के व्यापक चरित्र पर जोर देने के लिए प्रचुर सावधानी बरतें, यह इंगित करने के लिए कि मिट्टी के बर्तनों की सभी किस्में उसमें शामिल हैं। यह तर्क, हालांकि अधिक प्रशंसनीय है, स्वीकार्य भी नहीं लगता है। यह संभव है कि किसी को संदेह हो कि नहीं

अपवर्तक या विद्युत या कपड़ा सहायक उपकरण जैसी चीजें वर्णन मिट्टी के बर्तन के तहत गुजरती हैं क्योंकि उस शब्द का उपयोग किया जाता है

सामान्य बोलचाल है, लेकिन व्याख्या में क्रॉकरी और खिलौनों का भी उल्लेख है जिनके बारे में शायद ही कोई संदेह हो। द.

मिट्टी के बर्तनों की अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त वस्तुओं की सूची में शामिल करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विवरण प्रविष्टि में प्रचुर सावधानी के साथ नहीं जोड़ा गया था।

5. अपीलार्थियों के लिए श्री तारकुंडे का तर्क है कि स्पष्टीकरण में उल्लिखित लेखों का उद्देश्य था – प्रविष्टि 22 द्वारा कवर की गई वस्तुओं का संपूर्ण विवरण। श्री के अनुसार, भारत का आयोन बनाम।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

तारकुंडे यदि विधायिका मिट्टी के बर्तनों की सभी संभावित वस्तुओं को प्रवेश के भीतर लाना चाहती थी, तो स्पष्टीकरण के रूप में उनमें से केवल कुछ का उल्लेख करने का कोई मतलब नहीं था। इस पर श्री पटेल का जवाब है कि यह सर्वविदित है कि जहां विधायिका परिभाषित शब्द के महत्व को समाप्त करना चाहती है, वह "अर्थ" या अभिव्यक्ति "अर्थ और शामिल" का उपयोग करती है, और यदि सूची को संपूर्ण बनाने का इरादा होता, तो विधायिका ने केवल "शामिल" शब्द का उपयोग नहीं किया होता। हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई कठोर नियम हो सकता है कि 'शामिल' शब्द को संदर्भ के संदर्भ के बिना हमेशा विस्तार के शब्द के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अनुसूची में प्रविष्टि 19 को लें जिसमें एक स्पष्टीकरण भी है जिसमें "शामिल" शब्द है। प्रविष्टि 19 इस प्रकार हैः

" किसी भी तंबाकू प्रसंस्करण प्रतिष्ठान में रोजगार, नहीं

प्रविष्टि 3 के अंतर्गत आता है।

स्पष्टीकरण। इस प्रविष्टि के उद्देश्य से, 'प्रसंस्करण' अभिव्यक्ति में किसी भी तरह से तंबाकू (तंबाकू के पत्तों और तनों सहित) को पैक करना या निकालना, तोड़ना, छानना, झाड़ना, मिश्रण करना, श्रेणीकरण करना, सुखाना, उपचार करना या अन्यथा उपचार करना शामिल है।

प्रविष्टि 3, जिसे प्रविष्टि 19 संदर्भित करती है, इस प्रकार हैः

" किसी भी तंबाकू में रोजगार (बीड़ी बनाने सहित) कारखाना "।

प्रविष्टि 19 के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि उस अभिव्यक्ति में जो कहा गया है, उसके अलावा "प्रसंस्करण" का कोई अन्य तरीका या तरीका नहीं हो सकता है। हालांकि "शामिल" का उपयोग आम तौर पर व्याख्या खंडों में विस्तार के शब्द के रूप में किया जाता है, कुछ मामलों में संदर्भ एक अलग इरादे का सुझाव दे सकता है। मिट्टी के बर्तन बहुत व्यापक महत्व की अभिव्यक्ति है, जिसमें सभी वस्तुओं को शामिल किया गया है।

मिट्टी और गर्मी से कठोर। यदि यह विधायिका का इरादा था कि मिट्टी के बर्तनों की सभी संभावित वस्तुओं को प्रवेश के भीतर लाया जाए, तो स्पष्टीकरण जोड़ना काफी अनावश्यक था। हमने पाया है।

यह कि स्पष्टीकरण संभवतः मिट्टी के बर्तन उद्योग के अर्थ का विस्तार करने के लिए पेश नहीं किया जा सकता था या उसमें सूचीबद्ध वस्तुओं में प्रचुर मात्रा में कौटेल जोड़ा गया था। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि विधायिका का इरादा वह सब कुछ नहीं था जो कुम्हार उद्योग को प्रवेश द्वारा कवर किया जाता है।

फिर क्या हो सकता है [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्याख्या का उद्देश्य हो। व्याख्या में कहा गया है कि,

प्रविष्टि 22 के उद्देश्य में, कुम्हार उद्योग में निर्माण शामिल है।

उसमें नामित मिट्टी के बर्तनों की नौ वस्तुओं में से। हमें ऐसा लगता है कि

"सम्मिलित" शब्द का प्रयोग यहाँ "अर्थ" के अर्थ में किया गया है।

यह एकमात्र निर्माण है जिसे शब्द संदर्भ में सहन कर सकता है। उस अर्थ में यह विस्तार का शब्द नहीं है, बल्कि सीमा है।

कुम्हारों को दिए जाने वाले अर्थ की संपूर्णता प्रविष्टि 22 के उद्देश्य के लिए उद्योग। शब्द का प्रयोग

" प्रतिबंधात्मक अर्थ में शामिल "अज्ञात नहीं है। द.

दिलवर्थ बनाम में लॉर्ड वॉटसन का अवलोकन। के आयुक्त

डाक टिकट जिन्हें आमतौर पर "शामिल" के उपयोग पर संदर्भित किया जाता है विस्तार के शब्द के बाद ये पंक्तियाँ आती हैं:

" लेकिन 'शामिल' शब्द एक अन्य संरचना के लिए अतिसंवेदनशील है,

जो अनिवार्य हो सकता है, यदि अधिनियम का संदर्भ है

यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह केवल के लिए नियोजित नहीं था

शब्दों के प्राकृतिक महत्व को बढ़ाने का उद्देश्य या

अभिव्यक्तियाँ परिभाषित की गई हैं। यह 'मीन एंड' के बराबर हो सकता है।

उस अर्थ का स्पष्टीकरण जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इन शब्दों या अभिव्यक्तियों के साथ हमेशा जुड़ा होना चाहिए।

इसलिए यह माना जाना चाहिए कि मैंगलोर का निर्माण

पैटर्न रूफिंग टाइल्स एंट्री 22 "के दायरे से बाहर हैं।

(जोर दिया गया)

76. सकल राजस्व की परिभाषा स्पष्ट है

समझौता। समायोजित सकल राजस्व कैसे प्राप्त किया जाए, यह भी बताया गया है

राजस्व की व्याख्या रखने में देय प्रतिफल के रूप में की जानी चाहिए। वाणिज्यिक और वित्तीय बोलचाल से बचने का इरादा है। इस तरह के प्रस्तुतिकरण को बढ़ाना एक व्यर्थ प्रयास है जो सकल राजस्व की परिभाषा से बाहर निकलने के लिए किया गया है, जिसे भारत संघ बनाम में पिछले निर्णय में बाध्यकारी माना गया है। ऑस्पी (2011)।

भारत संघ v. भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

यह प्रस्तुत करना कि अनुबंध लेखांकन मानकों की प्रयोज्यता को मान्यता देता है, हमारी राय में, यह केवल पुस्तकों को बनाए रखने के लिए है

खाते। कुछ हद तक, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि स्पष्टता, एकरूपता और निश्चितता के लिए लेखांकन मानक निर्धारित किए गए हैं।

वित्तीय शर्तों के संबंध में दिशानिर्देश। लेकिन जब वित्तीय समझौते की शर्तें समझौते के खंड 19.1 द्वारा शासित सकल राजस्व की परिभाषा के रूप में स्पष्ट हैं, लेखा मानक–9 की परिभाषा इसे प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है जो एक सामान्य है।

77. यह प्रस्तुत किया गया है कि लेखांकन मानक स्वयं यह स्पष्ट करते हैं कि राजस्व के रूप में क्या शामिल किया जाना चाहिए और लेखांकन मानकों को समझौते में शामिल किया गया है और लाइसेंस समझौते में संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है। इसके लिए जनरल एस्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड पर निर्भरता रखी गई है। चांदमुल जैन, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1644, जिसमें यह कहा गया हैः

लेन–देन, और उचित भुगतान पूरा होने से पहले भी कवर नोट भेजने की एक अच्छी तरह से स्थापित वाणिज्यिक प्रथा है। प्रस्ताव या जब प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो या नीति वितरण की तैयारी में हो। एक कवर नोट एक अस्थायी और सीमित समझौता है। यह स्व–निहित हो सकता है, या यह संदर्भ द्वारा भविष्य की नीति के नियमों और शर्तों को शामिल कर सकता है। जब कवर नोट इस तरह से नीति को शामिल करता है, तो उसे नियमों और शर्तों का पाठ नहीं करना पड़ता है, बल्कि केवल एक विशेष मानक नीति का उल्लेख करना होता है। यदि प्रस्ताव एक मानक पॉलिसी के लिए है और कवर नोट इसे संदर्भित करता है, तो बीमित व्यक्ति को उस पॉलिसी की शर्तों को स्वीकार करने के लिए माना जाता है। नीति और उसके नियमों और शर्तों का संदर्भ प्रस्ताव में व्यक्त किया जा सकता है।

या कवर नोट या यहाँ तक कि स्वीकृति पत्र में, जिसमें कवर नोट भी शामिल है। पॉलिसी के नियमों और शर्तों को शामिल करना दोनों पक्षों के बीच से गुजरने वाले दो या दो से अधिक दस्तावेजों में संदर्भों के संयोजन से भी उत्पन्न हो सकता है। प्रस्ताव, कवर नोट और नीति जैसे दस्तावेज वाणिज्यिक हैं।

दस्तावेजों और उनकी व्याख्या करने के लिए, व्यावसायिक आदतों और व्यवहार को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कवर नोट के संचालन के दौरान, पक्षों के संबंध इसके नियमों और शर्तों, यदि कोई हों, द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन आमतौर पर पॉलिसी के नियमों और शर्तों के लिए और जारी किए जाने के लिए सौदेबाजी की जाती है। जब ऐसा होता है, तो पॉलिसी की शर्तें प्रारंभिक होती हैं, लेकिन [2019] 16 एस. सी. आर. की अवधि के बाद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अस्थायी आवरण, संबंध केवल शर्तों द्वारा शासित होते हैं

और पॉलिसी की शर्तें जब तक कि बीमा में अस्वीकार नहीं किया जाता है

इस बीच। पॉलिसी जारी करने में देरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी संबंध भविष्य की नीति द्वारा शासित होते हैं यदि

नोट पर्याप्त संकेत देते हैं कि ऐसा ही होगा। अन्य में

बीमा अनुबंध में कोई अंतर नहीं है।

और बीमा के अनुबंध के अलावा कोई अन्य अनुबंध उबेर्रिमा फिडेस यानी अच्छे विश्वास की आवश्यकता है

बीमाकृत और अनुबंध का हिस्सा माने जाने की संभावना है। विरोध प्रस्ताव जो कंपनी के खिलाफ है

अस्पष्टता या संदेह। एक अनुबंध तब बनता है जब एक

लिखित रूप में व्यक्त किया गया है, या यह निहित भी हो सकता है यदि बीमाकर्ता प्रीमियम स्वीकार करता है और उसे बरकरार रखता है। बीमाकृत के मामले में,

उसकी ओर से एक सकारात्मक कार्य जिसके द्वारा वह पहचानता है या चाहता है

या कवर नोट समय पर बढ़ाया गया। दस्तावेजों की व्याख्या करने में बीमा के अनुबंध के संबंध में, न्यायालय का कर्तव्य है –

उन शब्दों की व्याख्या करें जिनमें अनुबंध व्यक्त किया गया है

पक्षकारों के लिए क्योंकि यह अदालत के लिए एक नया अनुबंध करने के लिए नहीं है,

यद्यपि उचित है यदि पक्षों ने इसे स्वयं नहीं बनाया है। प्रस्ताव, स्वीकृति पत्र और कवर नोटों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि आग के लिए मानक नीति के तहत और बाढ़, चक्रवात आदि को कवर करने के लिए विस्तारित बीमा का अनुबंध आया था।

होने के लिए "।

78. एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लि. लिमिटेड वी. सोम दत्त

ers Ltd., (2009) 7 SCC 696, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 24. अधिनियम की धारा 7 (5) का दायरा और इरादा

इसलिए इसका सारांश इस प्रकार दिया जाए:

(i) किसी अन्य दस्तावेज़ में एक मध्यस्थता खंड, संदर्भ द्वारा एक अनुबंध में शामिल हो जाएगा, यदि –

निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है:

(1) अनुबंध में मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेजों का स्पष्ट संदर्भ होना चाहिए, भारत बनाम।

(2) अन्य दस्तावेज़ के संदर्भ में स्पष्ट रूप से मध्यस्थता खंड को अनुबंध में शामिल करने के इरादे का संकेत देना चाहिए,

(3) मध्यस्थता खंड उचित होना चाहिए, जो के तहत विवादों के संबंध में आवेदन करने में सक्षम है

अनुबंध और किसी भी अवधि के लिए प्रतिकूल नहीं होना चाहिए

अनुबंध से।

मध्यस्थता को शामिल करने का प्रभाव नहीं पड़ेगा निर्दिष्ट दस्तावेज़ से अनुबंध में खंड

जहां पक्षों के बीच एक अनुबंध में यह प्रावधान है कि उस अनुबंध का निष्पादन या प्रदर्शन किसी अन्य अनुबंध के संदर्भ में होगा (जिसमें प्रदर्शन से संबंधित नियम और शर्तें शामिल हैं और इसके लिए एक प्रावधान है) मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटान), फिर, निष्पादन/निष्पादन के संबंध में निर्दिष्ट अनुबंध की शर्तें

मध्यस्थता खंड भी। जहां अनुबंध यह प्रदान करता है कि एक स्वतंत्र व्यापार के नियमों और शर्तों का मानक रूप या

पक्ष उन नियमों और शर्तों से परिचित हैं या कि पक्षों ने उक्त को पढ़ा और समझा है नियम और शर्तें।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(v) जहां पक्षों के बीच अनुबंध यह निर्धारित करता है कि अनुबंध के पक्षकारों में से किसी एक के अनुबंध की शर्तें उनके अनुबंध का एक हिस्सा बनेंगी (उदाहरण के लिए सरकार के अनुबंध की सामान्य शर्तें जहां सरकार एक पक्षकार है), मध्यस्थता खंड अनुबंध की ऐसी सामान्य शर्तों का हिस्सा बनता है जो दोनों पक्षों के बीच अनुबंध पर लागू होगा।

पार्टियाँ "।

79. प्रस्तुतिकरण हालांकि आकर्षक है, लेकिन फिर से लेने का एक प्रयास है

'सकल राजस्व' की परिभाषा से छुटकारा पाने के लिए एक कठोर उपाय। इससे पहले परिभाषा की वैधता पर सवाल उठाया गया था ताकि सकल राजस्व के अर्थ को सीमित किया जा सके कि राजस्व को निम्न गतिविधियों तक कैसे सीमित रखा जाए।

ए. एस.–9 के माध्यम से लाइसेंस। यह निर्भरता डी. ओ. टी. द्वारा 2003 में दायर जवाब में दिए गए बयान पर रखी गई है कि सकल की परिभाषा

राजस्व ए. एस.–9 के अनुरूप है, यह व्याख्या के माध्यम से है और इसमें दी गई सकल राजस्व की परिभाषा को बदलने का प्रभाव नहीं हो सकता है।

समझौता। समझौते में परिभाषा स्पष्ट, स्पष्ट और संदेह के दायरे से परे है, और सकल राजस्व की परिभाषा में कोई भ्रम नहीं है, जो लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति का आधार है।

लाइसेंसधारियों ने अप्रत्यक्ष तरीके से परिभाषा से बाहर निकलने का एक व्यर्थ प्रयास किया है, जिसे पक्षों के बीच 2011 के निर्णय में सीधे खारिज कर दिया गया था और यह माना गया था कि ये ही प्रमुख इसका हिस्सा हैं।

सकल राजस्व।

80. प्रस्तुतिकरण सुजुकी परसरामपुरिया सूटिंग्स प्राइवेट पर निर्भर अनुमोदन और खंडन के आधार पर उठाया गया है।

सीमित वी। महेंद्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का आधिकारिक परिसमापक, (2018) 10 एस. सी. सी. 707। की गई टिप्पणियों को नीचे निकाला गया हैः

" 12. एक वादी अलग-अलग समय पर अलग-अलग रुख ले सकता है लेकिन एक ही मामले में विरोधाभासी रुख नहीं ले सकता है। एक पक्ष को समान तथ्यों पर अनुमोदन और खंडन करने और असंगत परिवर्तनकारी रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक की असमर्थता

अमर में इसी मामले में असंगत स्थिति पर विचार किया गया था।

सिंह बनाम। भारत संघ, (2011) 7 एस. सी. सी. 69, निम्नानुसार अवलोकन करता हैः (एस. सी. सी पी. 86, पैरा 50)

" 50. यह न्यायालय यह स्पष्ट करना चाहता है कि कानूनी कार्रवाई शतरंज का खेल नहीं है। एक वादी जो अदालत में आता है और

इसके रिट अधिकार क्षेत्र को स्वच्छ हाथों के साथ आना चाहिए। वह पूर्वनिर्धारित नहीं कर सकता और असंगत पद नहीं ले सकता। एन ऑफ इंडिया बनाम।

भारत के एकीकृत दूरसंचार प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

. वायु सेना की संयुक्त कार्रवाई समिति में भी ऐसा ही विचार रखा गया था

एन. ई. पायलट एसोसिएशन। भारत का वी। डी. जी. सी. ए. (2011) 5 एस. सी. सी. 435,

परोसनाः (एस. सी. सी पी. 443, पैरा 12)

" 12. चुनाव का सिद्धांत के नियम पर आधारित है रोक-वह सिद्धांत जिसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता और

इसमें इनहेरेस को रिप्रोबेट करें। चुनाव द्वारा बहिष्कार का सिद्धांत

पेस (या न्यायसंगत) में एस्टोपेल्स की प्रजातियों में से एक है

एस्टोपेल), जो इक्विटी में एक नियम है। ..... असंगत लेना

किसी पक्ष की दलीलें उसके आचरण को संतोषजनक नहीं बनाती हैं।

इसके अलावा, पार्टियों को ले कर गर्म और ठंडा नहीं उड़ाना चाहिए असंगत स्थिति और कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लंबा करना।

. जल महल रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। केपी शर्मा,

एस. सी. सी. 866, न्यायालय ने कहाः

" 4. हालाँकि, विशेष अनुमति याचिकाओं को वापस लेने के बावजूद, यदि याचिकाकर्ता राज्य एक बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहा है जो उसने उच्च न्यायालय के समक्ष और इस न्यायालय के समक्ष भी लिया था जब दलीलें समाप्त हो गई थीं, तो हमें निश्चित रूप से विद्वान वरिष्ठ वकील को अब विपरीत रुख अपनाने की अनुमति देने में आपत्ति है।

और पहले के वकील अटॉर्नी जनरल के माध्यम से उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष जो प्रस्तुत किया गया था, उसके ठीक विपरीत तर्क प्रस्तुत करते हैं।

5. हालांकि, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि राज्य अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं में भी प्रतिवादी है जिन्हें अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा पसंद किया गया है और,

इसलिए, उसमें एक प्रत्यर्थी के रूप में, वे पात्र हैं

अपने तर्कों को आगे बढ़ाएँ।

6. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रेरित उत्तरदाता हो सकता है

न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि उन्हें एक पक्ष–प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन आगे की दलीलों की आड़ में उच्च न्यायालय के समक्ष पहले लिया गया एक रुख विशेष अनुमति याचिका के चरण में बदल दिया जाता है, विशेष रूप से तब अनुमति नहीं दी जा सकती है जब वकील, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, ने राज्य द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिकाओं को वापस ले लिया हो। हालाँकि, वह अन्य मामलों में प्रतिवादी के रूप में अग्रिम प्रस्तुतियाँ दे सकता है, [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसे वह दो सप्ताह की अवधि के भीतर बनाने के लिए स्वतंत्र है, जो, हालांकि, इसकी स्वीकृति के अधीन होगा।

82. ए. पी. डेयरी विकास निगम संघ बनाम बी. नरसिम्हा रेड्डी, (2011) 9 एस. सी. सी. 286, निम्नलिखित टिप्पणियां की गईः

" 40. किसी राज्य की सरकार के मामले में, उत्तराधिकारी

सरकार का कर्तव्य है कि वह पिछली सरकार के अधूरे काम को जारी रखे और उसे जारी रखे, क्योंकि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "राज्य" की है, जो अभी भी बनी हुई है और इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि नई सरकार किसी विशेष विषय के संबंध में पिछली सरकार द्वारा की गई राज्य कार्रवाई के विपरीत अनुरोध कर सकती है। एक निरंतर निकाय होने के नाते राज्य को किसी मामले में अपना रुख बदलने से रोका जा सकता है, लेकिन जहां जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं थी, तो रोक का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इस प्रकार, जब तक पिछली सरकार द्वारा किया गया कार्य वैधानिक प्रावधानों के विपरीत, अनुचित या नीति के खिलाफ नहीं पाया जाता है, तब तक राज्य को केवल इसलिए अपना रुख नहीं बदलना चाहिए क्योंकि दूसरा राजनीतिक दल सत्ता में आया है। किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल का राजनीतिक एजेंडा कानून के शासन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। द.

सरकार को निहित स्वार्थ और भाई-भतीजावाद आदि की सांठगांठ से ऊपर उठना होगा क्योंकि शासन के सिद्धांतों का परीक्षण न्याय, समानता और निष्पक्षता की कसौटी पर किया जाना चाहिए। निर्णय सद्भावना से लिया जाना चाहिए और वैध होना चाहिए। (वीडियो ओंकार लाल बजाज बनाम। भारत संघ, (2003) 2 एस. सी. सी. 673, भारत का राज्य कर्नाटक बनाम. अखिल भारतीय निर्माता संगठन, (2006)

4 एस. सी. सी. 683 और टी. एन. राज्य बनाम के. श्याम सुंदर, (2011) 8 एससीसी

737.) "

83. हमारी सुविचारित राय में, यह नहीं कहा जा सकता है कि डीओटी ने एक ही मुकदमे के विभिन्न चरणों में असंगत रुख अपनाया है। उनके स्थिति स्पष्ट है कि सकल राजस्व को समझौते में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। दलों ने विभिन्न समावेशनों पर सहमति व्यक्त की है

समझौता किया और 1999 की नीति के तहत स्वेच्छा से राजस्व-साझाकरण व्यवस्था में बदल गए हैं और यह 2003 और 2005 में दायर याचिकाओं में अनुरोध किए गए रुख और राहत से स्पष्ट है। अनुज्ञप्तिधारक भारत संघ बनाम में विशेष रूप से शामिल वस्तुओं के बारे में जानते थे।

गिरा दिया जाए। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि लाइसेंस के तहत गतिविधियों से राजस्व को सकल राजस्व में शामिल नहीं किया जा सकता है, जिसे 2011 में इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, यह माना गया था कि सकल राजस्व में गैर-लाइसेंस गतिविधियों से उत्पन्न राजस्व शामिल होगा। लाइसेंसधारियों को अनुमोदन और खंडन करने और असंगत रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वे सकल में शामिल नहीं हैं। ए. एस.-9 के अनुसार राजस्व। उनके द्वारा उठाई गई दलीलों को बल देने के बजाय लिया गया रुख, उनके अपने हितों के खिलाफ काउंटर और विद्रोह करता है और डीओटी के पक्ष में मार्ग प्रशस्त करता है।

84. एक निवेदन उठाया गया है कि सकल की परिभाषा

राजस्व संपूर्ण नहीं है। इसमें केवल वे धाराएँ शामिल हैं जो विशेष रूप से एजीआर की परिभाषा में शामिल हैं। यदि यह समावेशी है

संचालन, जो सकल राजस्व की परिभाषा को नहीं बदलेगा जो स्वयं राजस्व का अर्थ है, वही सकल प्रवाह है नकद, और वह राशि जो ए. एस.–9 में दी गई है, प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार, निवेदन में कहा गया है कि परिभाषा व्यापक नहीं है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसे खारिज कर दिया गया है। खंड 22.1, 22.2 और 22.3 ने लाइसेंसधारी पर सेवा के लिए स्वतंत्र खाते बनाने, रखने और प्रस्तुत करने का दायित्व डाला। खंड 22.1 और 22.2 के तहत, लाइसेंसधारक को तिमाही रिकॉर्ड बनाए रखना होता है। लेखाओं का लेखापरीक्षा की जानी चाहिए और खंड 22.3 में दिए गए प्रावधान के अनुसार, लाइसेंसकर्ता या टी. आर. ए. आई. द्वारा इन्हें मंगाया जा सकता है। सकल राजस्व का प्रारूप समझौते में परिभाषित सकल राजस्व की परिभाषा का समर्थन करता है। खंड 22 अनुज्ञप्तिधारक पर गतिविधियों के अभिलेख और वित्तीय स्थिति जैसे अन्य मामलों को बनाए रखने का अधिकार रखता है।

85. समझौते के खंड 18.1 को भी लागू किया गया है। प्रस्तुतिकरण में कहा गया कि एक एकल कंपनी के पास 5 हिस्सेदारी हो सकती है

86. डी. ओ. टी. ने आग्रह किया है कि केंद्र सरकार को टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के तहत विशेष विशेषाधिकार प्राप्त है; इस प्रकार, यह प्राकृतिक संसाधनों के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए बाध्य है। राजस्व साझेदारी व्यवस्था के तहत विशेष विशेषाधिकार के साथ भाग लेना के लिए बेहद फायदेमंद है लाइसेंसधारी। इस प्रकार, राज्य को अनुच्छेद 14 के तहत अनिवार्य अपने मूल्यवान अधिकार की कीमत मिलनी चाहिए। हमारी राय में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों का न्यासी है और नागरिकों के लाभ के लिए इसे रखने के लिए बाध्य है, लेकिन साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य है। प्राकृतिक संसाधन आबंटन, 2012 (10) एससीसी 1. देश में सभी संसाधनों का एकमात्र भंडार होने के नाते, सरकार के पास उन लाइसेंस शर्तों को निर्धारित करने की भी विशेष शक्ति है जिन पर वह संसाधनों के विशेष अधिकार के साथ भाग लेती है। सरकार को अपने मूल्यवान अधिकारों के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने का प्रयास करना होगा और उन्हें फेंक नहीं सकता है, और इसमें कोई मनमानेपन नहीं होगा जैसा कि उड़ीसा और अन्य राज्यों में देखा गया है। वी. हरिनारायण जयस्वाल और अन्य। , (1972) 2 एससीसी 36, इस प्रकारः

" 13. धारा 22 और 29 के तहत सरकार को दी गई शक्तियों के अलावा, हम यह देखने में विफल हैं कि शक्ति कैसे बनी रही।

सरकार द्वारा अपने 6 जनवरी, 1971 के आदेश के खंड (6) के तहत असंवैधानिक माना जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने कूवरजी बी. भरुचा मामले में कहा था, एक महत्वपूर्ण थोक या खुदरा में शराब बेचने के

विशेष अधिकार को बेचने का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है। उत्पाद शुल्क राजस्व प्रत्येक राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार संरक्षक है

राज्य की वित्तीय स्थिति। इससे राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा होने की उम्मीद है। इसलिए स्वाभाविक रूप से, विधानमंडल ने सरकार को यह देखने का अधिकार दिया है कि आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया बनाम में कोई रिसाव न हो।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

उसका राजस्व। यह सरकार को तय करना है कि क्या कीमत

नीलामी बिक्री में पेश किया जाना पर्याप्त है। स्वीकार करते समय या

बोली को अस्वीकार करना, यह केवल एक कार्यकारी कार्य कर रहा है। द.

इसके निष्कर्ष की शुद्धता न्यायिक समीक्षा के लिए खुली नहीं है। हम.

यह देखने में विफल रहता है कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) के उल्लंघन की याचिका कैसे या इन मामलों में अनुच्छेद 14 उत्पन्न हो सकता है। सरकार की शक्ति

धारा 22 में निर्धारित अनन्य विशेषाधिकारों को बेचने से इनकार नहीं किया गया था।

यह भी विवादित नहीं था कि उन विशेषाधिकारों को उनके द्वारा बेचा जा सकता था

सार्वजनिक नीलामी। सर्वोत्तम संभव प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक नीलामी आयोजित की जाती है। कीमत। एक बार जब इन पहलुओं को पहचाना जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है

यह तर्क देने का कोई आधार नहीं है कि विचाराधीन विशेषाधिकारों का मालिक

बोली यदि वह सोचता है कि प्रस्तावित कीमत अपर्याप्त है। वहाँ कोई नहीं है जब तक बोली स्वीकार नहीं हो जाती, तब तक अनुबंध पूरा किया जाता है। इससे पहले कि एक

अनुबंध समाप्त हुआ, यह बोलीदाताओं के लिए खुला था कि वे अपनी बोली वापस ले लें

बोलियाँ–देखें भारत संघ बनाम। भीमसेन वलीती राम, (1970) 2

एससीआर 594। केवल बोलियां देने से बोलीदाताओं ने अधिग्रहण नहीं किया था

कोई भी निहित अधिकार। तथ्य यह है कि सरकार विक्रेता थी

सौदा करने के अपने अनन्य अधिकार के बाद कानूनी स्थिति को नहीं बदलता है

उन विशेषाधिकारों के साथ स्वीकार किया जाता है। अगर सरकार

संपत्तियों में व्यापार करने या व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार या सरकार से संबंधित अधिकार–और न ही कोई हो सकता है

अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, यदि सरकार सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने की कोशिश करती है

अपने मूल्यवान अधिकारों के लिए उपलब्ध मूल्य। ... ...

(जोर दिया गया)

87. इसी तरह का मामला कानून हर शंकर बनाम में निर्धारित है। उत्पाद शुल्क

राज्य आयुक्त, 1975 (1) एस. सी. सी. 737; ए. पी. सरकार अबेशाही वाइन एंड डिस्टिलरीज (पी) लिमिटेड, (1988) 2 एस. सी. सी. 25; उत्पाद शुल्क निशनर बनाम। इसाक पीटर, (1994) 4 एस. सी. सी. 104; उड़ीसा राज्य बनाम। प्रसाद (1996) 5 एस. सी. सी. 740, एम. पी. राज्य बनाम। के. सी. टी. ड्रिंक लिमिटेड, 3) 4 एस. सी. सी. 748 और पंजाब राज्य बनाम। देवन्स मॉडर्न ब्रुअरीज

(2004) 11 एससीसी 26.

88. धारा 4 (1) के तहत दिया गया लाइसेंस एक प्रकार का होता है –

अभिनय करें। डी. ओ. टी. ने खारदाह कंपनी लिमिटेड पर भरोसा किया है। रेमंड 5. (भारत) प्रा. लिमिटेड, 1963 (3) एस. सी. आर. 183 जिसमें यह

वेद ने कहा कि एक बार अनुबंध को लेखन तक सीमित कर दिया गया है, तो शर्तों में [2019] 16 एस. सी. आर. होते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुज्ञप्ति की शर्त का उल्लेख है। सकल के प्रावधानों के बारे में राजस्व के बारे में दोनों पक्षों के बीच सर्वसम्मति थी। लाइसेंसधारक इसके लिए बाध्य हैं क्योंकि उन्होंने लाइसेंस समझौते को लागू कर दिया है।

एक पक्ष किसी राज्य के साथ अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र है, कोई बाध्यता नहीं है, यह दोनों पक्षों के लिए स्वैच्छिक और बाध्यकारी है और इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है जैसा कि सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त और अन्य में देखा गया है। वी. आइज़ैक पीटर्स और ओआरएस। (1994) 4 एससीसी 104, इस प्रकारः

" 26. ..... इसलिए, हमारी राय है कि राज्य के साथ स्वतंत्र रूप से किए गए अनुबंधों के मामले में, वर्तमान अनुबंधों की तरह, निष्पक्षता के सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई जगह नहीं है और

अनुबंध (राज्य) के लिए एक पक्ष के खिलाफ तर्कसंगतता, अनुबंध के नियमों और शर्तों को बदलने या जोड़ने के उद्देश्य से, केवल इसलिए कि यह राज्य होता है। ऐसे मामलों में, पक्षों के आपसी अधिकार और देनदारियां

अनुबंधों की शर्तों (जो कुछ मामलों में वैधानिक हो सकती हैं) और अनुबंधों से संबंधित कानूनों द्वारा शासित होती हैं। यह याद रखना चाहिए कि ये अनुबंध सार्वजनिक नीलामी, निविदाओं के प्रवाह या बातचीत के अनुसार किए जाते हैं। इन अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए किसी पर कोई बाध्यता नहीं है। यह दोनों तरफ से स्वैच्छिक है। इस तरह के अनुबंधों में राज्य शक्ति के शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। यह कहना दोहराया जाता है कि राज्य ऐसे अनुबंधों में लाइसेंसधारियों को लाभ की गारंटी नहीं देता है। होने वाले नुकसान के लिए कोई वारंटी नहीं है। यह एक व्यवसाय है

लाइसेंसधारी। वे लाभ कमाते हैं या हानि पहुँचाते हैं, यह राज्य की चिंता का विषय नहीं है। कानून में, यह अनुबंध के तहत अपने धन का हकदार है। ऐसा नहीं है कि लाइसेंसधारक पर्याप्त लाभ कमाने की स्थिति में राज्य को अधिक भुगतान करने जा रहे हैं। हम दोहराते हैं कि हमने यहां ऊपर जो कहा है वह सार्वजनिक नीलामी, निविदाओं के प्रवाह या बातचीत के अनुसार राज्य और उसके नागरिकों के बीच किए गए अनुबंधों के संदर्भ में है। इन मामलों के उद्देश्य के लिए इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक नीलामी, निविदा जारी करने या बातचीत के अलावा किए गए अनुबंधों के मामले में क्या स्थिति होगी, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है।

इसमें कोई भी राय व्यक्त करें। " भारत का आयन बनाम।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

89. जिन लाइसेंसधारियों ने सीई के तहत लाभ उठाया है, वे कुछ दायित्वों को निभाते हैं। प्रवास के लाइसेंस के तहत लाभ लेते समय लाइसेंसधारी आशीर्वाद का निर्वहन करने के लिए बाध्य है

आयु, इस उद्देश्य के लिए जैसा कि श्याम टेलीलिंक लिमिटेड v. में आयोजित किया गया है। संघ, 2010 (10) एस. सी. सी. 165, इस प्रकारः

" 21. पैकेज की शर्तों की बिना शर्त स्वीकृति और अपीलार्थी को उसी के तहत प्राप्त लाभ, अपीलार्थी को पैकेज के तहत बकाया की वसूली या उसके निर्धारण की प्रक्रिया को चुनौती देने से रोक देगा। बकाया लाइसेंस शुल्क या उस पर देय ब्याज के भुगतान के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया गया है और यह सही है।

विवाद परिसमापन की गणना तक सीमित है।

मांग की गई राशि का भुगतान जो भुगतान करने के दायित्व की अपनी ओर से स्पष्ट स्वीकृति का संकेत देता है। यदि अपीलार्थी ने माँग करने की अपनी चुनौती जारी रखने का प्रस्ताव रखा है, तो कुछ भी नहीं उसे अपने विकल्प का प्रयोग करने से पहले उचित कार्यवाही का सहारा लेने और निर्णय प्रक्रिया को अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने से रोका। ऐसा करने के बजाय, अपीलार्थी ने हार मान ली

छूट की याचिका और जमा की गई राशि जो स्पष्ट रूप से भुगतान करने के अपने दायित्व की स्वीकृति का संकेत देती है, विशेष रूप से जब यह केवल इस तरह के भुगतान पर था कि उसे प्रवास पैकेज का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती थी। इस स्तर पर अपीलार्थी को प्रवास पैकेज के तहत उठाई गई मांग पर सवाल उठाने की

अनुमति देना अपीलार्थी को जो उसके लिए अनुकूल था उसे स्वीकार करने और जो नहीं था उसे अस्वीकार करने की अनुमति देने के बराबर होगा। अपीलार्थी ऐसा नहीं कर सकता है

स्वीकार करें और अस्वीकार करें।

23. मैक्सिम क्वि अप्रूबेट नॉन रिप्रोबेट (जो अनुमोदन करता है वह खंडन नहीं कर सकता) अंग्रेजी सामान्य कानून में दृढ़ता से सन्निहित है और अक्सर इस देश में अदालतों द्वारा लागू किया जाता है। यह लाभ और बोझ के सिद्धांत के समान है जो अपने सबसे बुनियादी स्तर पर प्रदान करता है कि एक व्यक्ति एक ऐसे साधन के तहत लाभ उठाता है जो लाभ प्रदान करता है और बोझ लगाता है, वह बाद वाले का पालन किए बिना पहले वाले को नहीं ले सकता है। एक व्यक्ति अनुमोदन नहीं कर सकता है और उसी साधन को अस्वीकार करें या स्वीकार करें और अस्वीकार करें।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. यहाँ ऊपर हमारे द्वारा निर्धारित कारणों के लिए, हमारे पास नहीं है यह अभिनिर्धारित करने में संकोच कि अपीलार्थी प्रश्न करने का हकदार नहीं था

बिना शर्त स्वीकार करने के बाद प्रवास पैकेज की शर्तें

और उसी पर कार्य करना।

90. प्रवास पैकेज नीति, 1999 की शुरुआत के बाद,

दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारती सेल्युलर लिमिटेड बनाम। भारत संघ, 2010 (10) एस. सी. सी. 174, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पैकेज के तहत लाभों की स्वीकृति उन्हें उसी की शर्तों पर सवाल उठाने से रोकती है। न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 8. हमारी राय में, लिए गए दृष्टिकोण में कोई कानूनी कमजोरी नहीं है। न्यायाधिकरण द्वारा। एक बार अपीलार्थी–याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से और

प्रवास पैकेज को स्वीकार करने के लिए बिना शर्त सहमत हुए और दिया गया तक की अवधि के लिए लाइसेंस समझौते से संबंधित सभी विवाद

31–7–1999 , यह पलटने और आंदोलन करने के लिए खुला नहीं था

प्रवास पैकेज का लाभ उठाने के बाद ऐसा विवाद। एक पार्टी

स्वीकृति उन शर्तों को अस्वीकार करती है जिनके अधीन लाभ पैकेज के तहत इसे बढ़ाया गया था। यह अस्वीकार नहीं कर सकता कि क्या है

जो फायदेमंद है उसे स्वीकार करते समय असुविधाजनक और कठिन

उनके हित। पैकेज की पेशकश की गई है जिसके अधीन शर्तों के लिए कि लाइसेंस समझौते से संबंधित सभी विवाद

समाप्त होने वाली अवधि 31–7–1999 द्वारा छोड़ दी जाएगी

संचालकों, उस पर वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं थी

प्रतिनिधित्व "।

(जोर दिया गया)

91. नियम और शर्तों को दमनकारी नहीं कहा जा सकता है

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के बल पर लाइसेंसधारियों की ओर से प्रस्तुत किया गया। ब्रोजो नाथ गांगुली, 1986 (3) एस. सी. सी. 156, यह नहीं कहा जा सकता है कि डी. ओ. टी. एक प्रमुख स्थिति में था, या पूरी तरह से असमान और असमान सौदेबाजी की शक्ति रखता था। वाणिज्यिक अनुबंधों के मामले में, असहनीय का सिद्धांत

एस. के. जैन बनाम में प्रवासन पैकेज के संबंध में सौदेबाजी लागू नहीं होती है। हरियाणा राज्य, 2009 (4) एससीसी 35, इस प्रकारः

" 8. हमारी राय में, लिए गए दृष्टिकोण में कोई कानूनी कमजोरी नहीं है।

न्यायाधिकरण द्वारा। एक बार अपीलार्थी–याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से और

प्रवास पैकेज को स्वीकार करने के लिए बिना शर्त सहमत हुए और दिया गया

भारत के आई. ओ. एन. v तक की अवधि के लिए लाइसेंस समझौते से संबंधित सभी विवादों को दूर करना।

31–7–1999 , यह पलटने और आंदोलन करने के लिए खुला नहीं था प्रवास पैकेज का लाभ उठाने के बाद ऐसा विवाद। एक पार्टी

जिसने बिना शर्त पैकेज को स्वीकार कर लिया है, उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता है।

स्वीकृति उन शर्तों को अस्वीकार करती है जिनके अधीन लाभ

पैकेज के तहत इसे बढ़ाया गया था। यह अस्वीकार नहीं कर सकता कि क्या है

जो फायदेमंद है उसे स्वीकार करते समय असुविधाजनक और कठिन

उनके हित। पैकेज की पेशकश की गई है जिसके अधीन शर्तों के लिए कि लाइसेंस समझौते से संबंधित सभी विवाद

समाप्त होने वाली अवधि 31–7–1999 द्वारा छोड़ दी जाएगी

संचालकों, उस पर वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं थी

प्रतिनिधित्व "।

(जोर दिया गया)

92. एक बार लाभ लेने के बाद, लाइसेंसधारी इनकार नहीं कर सकते हैं।

अनुबंध का प्रभाव या बाध्यकारी प्रभाव। कावेरी कॉफी व्यापारियों में,गुलोर वी। हॉर्नर रिसोर्सेज (इंटरनेशनल) कंपनी लिमिटेड, (2011) 10

420) यह देखा गयाः

" एक पार्टी को "गर्म और ठंडा उड़ाने", "तेज़ और तेज़" की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

लूज़ "या" अप्रूबेट एंड रिप्रोबेट "। जहाँ कोई जानबूझकर

उस पर इस तरह की वैधता या बाध्यकारी प्रभाव से इनकार करने के लिए अलग किया गया अनुबंध या परिवहन या आदेश। यह नियम इक्विटी करने के लिए लागू किया जाता है,

" 10. कानून किसी व्यक्ति को अनुमोदन और खंडन दोनों की अनुमति नहीं देता है। यह सिद्धांत चुनाव के सिद्धांत पर आधारित है जो यह मानता है कि कोई भी दल एक ही साधन को स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता है और 'एक व्यक्ति एक समय में यह नहीं कह सकता है कि लेन–देन वैध और इस प्रकार कुछ लाभ प्राप्त करता है, जिसके लिए वह केवल इस आधार पर हकदार हो सकता है कि यह वैध है, और फिर मुड़कर कहता है कि यह किसी अन्य लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से शून्य है।

94. विभिन्न राजस्व के संबंध में प्रस्तुतियाँ की गई हैं।

राजस्व न होने को सकल आय के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है। हम उनमें से प्रत्येक से अलग–अलग शीर्षों के तहत निपटने का प्रस्ताव करते हैं।

पुनः में – छूट और कमीशनः

95. न्यायाधिकरण ने 3 शीर्षों के तहत छूट और कमीशन पर विचार किया हैः (i) अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पर छूट की अनुमति; (ii) पूर्व–भुगतान किए गए वाउचर की बिक्री पर वितरकों को कमीशन और छूट की अनुमति; (iii) सद्भावना छूट, छूट और छूट।

96. न्यायाधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पर अनुमत छूट के संबंध में निर्णय दिया कि यदि छूट कम बिलिंग के रूप में है और लाभ और हानि खाते में बुक की गई राशि उठाए गए चालान के आधार पर है और छूट के कारण कोई कटौती नहीं दिखाई गई है, तो इस आधार पर कोई जोड़ नहीं किया जा सकता है कि बिलिंग रियायती मूल्य पर थी। न्यायाधिकरण ने आगे कहा है कि यदि बिल की गई राशि अधिक राशि के लिए है और छूट अलग से दी गई मात्रा छूट के रूप में है, तो बिल की गई राशि को राजस्व के रूप में लिया जाना चाहिए, और छूट को एक ऐसे व्यय के रूप में माना जा सकता है जो खंड 19.1 के तहत कटौती के लिए खुला नहीं है। बिलिंग के बाद दिए गए क्रेडिट नोट को भी खर्च माना जा सकता है। यदि लाभ और हानि खाते में बुक किया गया राजस्व किसी भी छूट के कारण शुद्ध लाभ दिखाता है, तो शुद्ध की गई राशि को सकल की गणना के लिए जोड़ा जा सकता है। राजस्व।

97. न्यायाधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पर छूट से संबंधित दो अलग–अलग मानदंडों को अपनाया है। आयोग के संबंध में और

न्यायाधिकरण ने कहा है कि यदि बिक्री और चालान अधिकतम खुदरा मूल्य (एम. आर. पी.) पर है और यदि कोई छूट अलग से दी जाती है तो खंड 19.1 के संदर्भ में, ऐसी छूट कटौती योग्य नहीं है, भले ही लाभ और हानि खाते में बुक किया गया राजस्व छूट प्राप्त करने के बाद हो। दूसरी ओर, यदि बिक्री एक निर्दिष्ट/सहमत मूल्य पर है, तो उस सहमत मूल्य पर चालान किया जाता है और तदनुसार लाभ और हानि खाते में राजस्व के तहत बुक किया जाता है, बिना किसी छूट के, तब वास्तविक बिक्री मूल्य राजस्व होगा और एमआरपी और इस बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को सकल राजस्व में नहीं जोड़ा जा सकता है।

98. सद्भावना माफी, छूट और छूट के संबंध में, न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया है कि खंड 19.1 के तहत, आइटम सकल राजस्व का हिस्सा होंगे।

बिना किसी खर्च के राजस्व अर्जित करना। इस आधार पर लाइसेंसधारियों का मामला स्वीकार नहीं किया गया है। गलत बिलिंग और इसके संशोधन के मामले में, सही अंतर राशि को सकल के हिस्से के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

राजस्व।

भारत संघ v. भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

99. लाइसेंसधारियों की ओर से यह आग्रह किया गया है कि छूट खर्चों की तरह नहीं है। छूट को व्यय माना जाता है –

लेखांकन के मौलिक सिद्धांत के विपरीत। खर्च हमेशा नकदी के बहिर्वाह के रूप में होते हैं। दूरसंचार क्षेत्र में ग्राहकों को बहुत कम राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट दी जाती है। यही एक दूरसंचार कंपनी में नकदी के सकल प्रवाह को प्रेरित करता है। इसलिए, छूट को कभी भी खर्च के रूप में नहीं माना जा सकता है।

100. लाइसेंसधारियों की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए. एस.–9 के बाध्यकारी और अनिवार्य सिद्धांत के अनुसार, आई. सी. ए. आई. ने घोषणा की है

छूट, छूट, कटौती, लागत मूल्य की कम प्राप्ति को व्यय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पक्षों के बीच एक समझौता एक लेनदेन पर उत्पन्न होने वाले राजस्व को निर्धारित करता है। इसे प्रतिफल की राशि पर विचार करते हुए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी भी छूट या मात्रा–आधारित छूट और मात्रा छूट की राशि के रूप में नहीं माना जाता है

राजस्व।

101. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि लाइसेंसधारियों को छूट दी गई है जो इसके चालान में पारदर्शी रूप से दिखाई देती है। अपीलार्थी को केवल रियायती राशि प्राप्त होती है, जो कि प्राप्त राजस्व या उनके हाथों में नकदी प्रवाह है। इस पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाता है।

राशि।

102. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि लाइसेंसधारी "व्यापार छूट" और "ग्राहक छूट" देते हैं, और दोनों को इससे छूट दी जाती है।

राजस्व के रूप में मान्यता क्योंकि सबसे पहले ए. एस.–9 के अनुसार, व्यापार छूट को राजस्व की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे लागत में कमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वित्तीय मामलों में उपयोग किए जाने वाले शब्दों पर मार्गदर्शन टिप्पणी 5 बयान यह पुष्टि करते हैं कि व्यापार छूट एक आपूर्तिकर्ता द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की सूची मूल्य से दी गई कमी है और डीओटी ने दिनांकित 11.7.2003 के हलफनामे के पैरा 47 में उल्लेख किया है कि चालान में दिखाई गई व्यापार छूट को सकल राजस्व में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये

वितरक पर उठाए गए चालान में छूट पारदर्शी रूप से दिखाई देती है।

103. "ग्राहक छूट" के संबंध में, यह लाइसेंसधारियों की ओर से प्रस्तुत किया जाता है कि ये छूट ग्राहकों को दी जाती हैं।

या ग्राहक शुल्क योजना का हिस्सा हैं। अभिदाता के पास अपीलकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली विभिन्न किराये की योजनाओं का विकल्प होता है, जिसमें कुछ छूट होती है। कुछ मुफ्त मिनट/कॉल/एस. एम. एस./वी. ए. एस./मूल्य के माध्यम से पेश किए जाते हैं। एक बार जब कोई ग्राहक एक योजना का चयन करता है, तो वह [2019] 16 एस. सी. आर. के साथ एक अनुबंध में प्रवेश कर रहा है।

प्रचालक, सेवाओं और छूट का हकदार है, जैसा कि योजना में बताया गया है। आमतौर पर, ये मुफ्त कॉल या अतिरिक्त डेटा के रूप में होते हैं, और कोई राजस्व संग्रहणीय नहीं होता है। इसलिए लाइसेंस शुल्क निर्धारित करने के लिए इसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। डी. ओ. टी. इन मुफ्त कॉल/एस. एम. एस./वी. ए. एस. मिनट/डेटा के लिए काल्पनिक राजस्व पर लाइसेंस शुल्क मांग रहा है जब अपीलकर्ता इस खाते पर कोई राशि एकत्र नहीं करते हैं। छूट की ये राशियाँ हैं – ज्ञापन के रूप में अभिदाता पर उठाए गए चालान में पारदर्शी रूप से परिलक्षित होता है।

कर, लाइसेंसधारी प्रभारित सकल राशि को व्युत्पन्न मानते हैं और सेवा कर अधिनियम, 1994 की धारा 67 के तहत अनिवार्य, जिसमें केवल लाइसेंसधारियों द्वारा प्राप्त राशि शामिल है, न कि काल्पनिक राशि।

परिपत्र No.23/3/97/– S. T. दिनांक 13.10.1997, अनिवार्य करता है कि सेवा कर देयता केवल सेल्युलर कंपनियों द्वारा प्राप्त रियायती मूल्य से संबंधित है। लाइसेंसधारी अक्सर छूट देते हैं क्योंकि वे इनका उपयोग लंबे समय में व्यवसाय बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी उपकरणों के रूप में किया जाता है। वे अपरिहार्य थे क्योंकि एक ही भूगोल में 8 से 10 ऑपरेटर काम कर रहे थे, और लाइसेंसधारियों को विशेष रूप से नए प्रवेशकों द्वारा दी गई अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों से मेल खाना पड़ता था। छूट व्यवसाय को जीवित रखने और बढ़ाने और राजस्व बढ़ाने में मदद करती है, जो डीओटी के लाभ के लिए है।

105. डी. ओ. टी. की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि सहमत शुल्क से अधिक छूट समग्र वाणिज्यिक का हिस्सा है।

व्यवसाय को बढ़ाने की रणनीति। इसलिए, ये छूट खर्चों की तरह हैं।

समझौते के खंड 19.1 में "सकल राजस्व" की परिभाषा के अनुसार, राजस्व के खिलाफ इन मात्रा–आधारित छूटों को निर्धारित करने की अनुमति नहीं है क्योंकि खर्चों को शुद्ध करने की अनुमति नहीं है।

यह राजस्व का हिस्सा है; अन्यथा, यह लेखांकन बाजीगरी की ओर ले जाएगा, जिसे उद्देश्यपूर्ण रूप से "समावेशी" शब्दों में एजीआर परिभाषा का मसौदा तैयार करके बहुत सचेत रूप से टाला जाता है। अन्यथा, छूट का उपयोग कंपनी द्वारा अपनी लागत को कम करने के लिए किया जा सकता है, और कंपनी की लाभप्रदता अप्रभावित रह सकती है, लेकिन एजीआर की गणना के लिए सकल राजस्व कम किया जा सकता है। चूंकि कंपनी वितरकों के साथ अनुबंध कर सकती है और उन्हें कम बिलिंग के रूप में भारी छूट प्रदान कर सकती है। यह कहने के लिए (i), कंपनी के साथ अनुबंध कर सकते हैं

वितरक Rs.70 के लिए Rs.100 के पूर्व–भुगतान किए गए वाउचर बेचेंगे। छूट के खिलाफ, कंपनी वितरकों के साथ कंपनी की लागत को कम करने के लिए आगे समझौता कर सकती है, जैसे कि भारत के संविदात्मक संघ की आपूर्ति।

कार्यबल, पेपर वाउचर की छपाई, आदि। इस प्रकार, यह कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित किए बिना लाइसेंस शुल्क से बचने का कारण बनेगा। इस प्रकार कमीशन आय का हिस्सा बनते हैं। द. कमीशन लाइसेंसधारियों के व्यवसाय में वृद्धि के लिए "खर्च" के अलावा और कुछ नहीं है, इसे सकल राजस्व की गणना करते समय जमा नहीं किया जा सकता है। टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष, जहां तक इसके विपरीत है, सकल राजस्व की संविदात्मक परिभाषा के लिए अपमानजनक है। डी. ओ. टी. ने यह भी प्रस्तुत किया कि छूट का सवाल आदेश में पहले उठाया गया था।

दिनांक 30.8.2007 टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा। इस न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया; इस तरह, यह न्यायपालिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छूट के सवाल द्वारा वर्जित है। टी. डी. एस. ए. टी. से पहले रोमिंग और अन्य छूटों के बारे में सवाल नहीं उठाए गए थे। इस प्रकार, छूट के संबंध में इन आपत्तियों की अनुमति दी गई

पूर्व–भुगतान किए गए वाउचरों की बिक्री पर वितरकों को रचनात्मक बचाव न्यायिकता के सिद्धांत द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। 106. जब हम प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते हैं तो दिनांक 26.7.2001 के संचार में यह उल्लेख किया गया है कि ब्याज

आय, लाभांश आय, छूट का मूल्य, छूट, मुफ्त कॉल और यू. एस. ओ. निधियों से प्रतिपूर्ति को समायोजित सकल राजस्व में शामिल करना होगा। नतीजतन, एक प्रार्थना को अलग करने के लिए किया गया था

2003 की याचिका संख्या 7 में दिनांक 26.7.2001 का संचार। प्रार्थना है यह इस आधार पर मंजूर नहीं किया गया है कि सरकार ने ट्राई की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है और सरकार का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक है जैसा कि इस न्यायालय ने ए. यू. एस. पी. आई. में कहा है।

(2011) . निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि पक्ष उपरोक्त स्थिति पर सहमत हुए हैं जैसा कि दिनांकित 26.7.2001 संचार में परिलक्षित होता है।

107. जब हम लाइसेंस समझौते के खंड 19 में "सकल राजस्व" की परिभाषा पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि

खर्च की संबंधित वस्तुओं के लिए बिना किसी रोक–टोक के राजस्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, परिभाषा के अनुसार, सकल राशि, सकल राजस्व है, बिना किसी कटौती के, को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जिसमें दी गई छूट भी शामिल है। पार्टियाँ शुरू से ही समझती थीं कि सकल राजस्व में छूट, कमीशन, छूट आदि शामिल नहीं हैं और 2011 में इसके लिए की गई विशिष्ट चुनौती को स्वीकार नहीं किया गया था। अब एक बार फिर परिपथ विधि द्वारा सकल राजस्व की परिभाषा को फिर से लिखने का अस्वीकार्य प्रयास किया गया है। 'सकल राजस्व' की परिभाषा ए. एस.–9 से स्वतंत्र है क्योंकि ए. एस.–9 में राजस्व की परिभाषा लाइसेंस समझौते के खंड 19.1 में परिभाषा को नियंत्रित नहीं कर सकती है। ए. एस.–9 में जिसे परिभाषित किया गया है वह राजस्व है, जबकि [2019] 16 एस. सी. आर. के लिए।

लाइसेंस शुल्क, सकल राजस्व राजस्व है। यह कहना सबसे बड़ा भ्रम होगा कि जबकि सकल राजस्व को संविधान के खंड 19.1 में परिभाषित किया गया है।

लाइसेंस समझौते में राजस्व को परिभाषित नहीं किया गया है। जिसे सकल राजस्व के रूप में परिभाषित किया गया है, वह वास्तव में राजस्व की व्यापक परिभाषा है और इसे लाइसेंस समझौते के लिए राजस्व की परिभाषा के रूप में लिया जाना चाहिए। की कठोरता से बाहर निकलने का प्रयास किया गया है

ए. एस.–9 में राजस्व की परिभाषा पर बैंकिंग द्वारा सकल राजस्व की परिभाषा भारत संघ बनाम में पिछले निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए है। ऑस्पी (2011)। समझौते में परिभाषित सकल राजस्व नहीं हो सकता है ऊपर उल्लिखित प्रस्तुतिकरण के आधार पर किसी भी तरह से कमजोर किया जाए, क्योंकि ए. एस.–9 केवल लेखांकन की विधि और राजस्व की विशिष्ट परिभाषा के लिए है, यानी लाइसेंस समझौते के तहत सकल राजस्व को प्रबल होना चाहिए। हमारी सुविचारित राय में, 'सकल राजस्व' वह राजस्व है जो 2011 के निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है जो लाइसेंस समझौते के तहत लाइसेंस शुल्क के निर्धारण के लिए पक्षों पर बाध्यकारी है और ए. एस.–9 में राजस्व की परिभाषा को नियंत्रित नहीं कर सकता है। की ओर से दायर हलफनामे पर भरोसा

डी. ओ. टी. पूरी तरह से गलत धारणा है। सकल राजस्व की परिभाषा का क्या अर्थ है, यह अंत में 2011 के फैसले के माध्यम से अंतर–पक्षीय रूप से तय किया गया है। इस प्रकार, गलत धारणा वाले प्रस्तुतिकरण पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हालाँकि कलात्मक रूप से सरलता के साथ डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसे गहराई से जांचने पर गलत समझा जाता है।

108. जे. के. इंडस्ट्रीज (ऊपर) पर भरोसा करने वाले लाइसेंसधारियों की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि उचित मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

छूट आदि को कम करने पर विचार। उचित मूल्य की अवधारणा लेखा मानक–9 का आधार नहीं है। उचित मूल्य परिचालन अवधारणा है।

आई. एन. डी. ए. एस.–18. ए. एस.–9 में, राजस्व मान्यता नाममात्र मूल्य पर है और यह दो लेखा मानकों के बीच मौलिक अंतर है। इस प्रकार, नाममात्र मूल्य को एएस–9 के लिए प्रासंगिक मान के रूप में लिया जाना चाहिए। ए. एस.–9 व्यवस्था के तहत, राजस्व मान्यता को नकद, प्राप्य या प्राप्त अन्य प्रतिफल के सकल प्रवाह के रूप में मापा जाएगा। एएस–9 के तहत उचित मूल्यांकन की कोई अवधारणा नहीं है।

109. आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, व्यावसायिक लेन–देन का तरीका बदल गया है। ऑनलाइन खरीद और बिक्री की संख्या लगातार बढ़ रहा है, और ग्राहकों को ऑनलाइन बनाए रखने की तकनीकें

उपयोग किया जा रहा है। ऑफ़लाइन लेन–देन के मामले में बिक्री संवर्धन योजनाओं के विपरीत, बिक्री के ऑनलाइन लेन–देन में नकद वापसी पुरस्कार, छूट कूपन और पुरस्कार अंक होते हैं। प्रोत्साहनों में नकद कूपन, छूट कूपन, नकद छूट, नकद वापसी और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम शामिल हो सकते हैं।

क्रेडिट अंक, आदि। विभिन्न प्रोत्साहन मान्यता प्राप्त करने के लिए राजस्व की राशि को प्रभावित करते हैं। आई. एन. डी. ए. एस.–18 राजस्व या आई. एन. डी. ए. एस.–115 के तहत, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व में कहा गया है कि ग्राहकों को प्रदान किए गए विभिन्न प्रोत्साहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर राजस्व को मापा जाएगा।

110. रिलायंस को भारत संघ बनाम पर रखा गया है। बॉम्बे टायर्स इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड, (2005) 3 एस. सी. सी. 787, जिसमें इस न्यायालय ने कहा है कि व्यापार छूट को बिक्री मूल्य से काटने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह निर्णय केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के संदर्भ में लिया गया है। लाइसेंस समझौते के तहत सकल राजस्व की अवधारणा पर विचार करने के लिए इस निर्णय की कोई प्रासंगिकता नहीं है। रिलायंस ने भी बिक्री कर उपायुक्त (विधि), राजस्व बोर्ड (कर), एर्नाकुलम बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर रखा गया। एम/एस। आडवाणी ओरलिकॉन (पी) लिमिटेड, (1980) 1 एस. सी. सी. 360, जिसमें इस न्यायालय ने कर योग्य कारोबार और बिक्री कर अधिनियम के तहत बिक्री मूल्य की अवधारणा पर विचार किया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि थोक विक्रेता द्वारा खुदरा विक्रेता को दी गई सूची मूल्य पर व्यापार छूट कर योग्य कारोबार में शामिल नहीं है। व्यापार छूट नकद छूट से अलग है। नकद छूट शीघ्र भुगतान पर दी जाने वाली छूट है। व्यापार छूट अनुमत वस्तुओं के सूची मूल्य से कटौती है।

थोक विक्रेताओं से लेकर व्यापार में लगे खुदरा विक्रेताओं तक। मेसर्स में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भी रिलायंस को रखा गया है। यूनाइटेड एक्सपोर्ट्स बनाम। आयकर आयुक्त, दिल्ली (2009) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2566 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40–ए (2) (बी) के प्रावधानों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। कुछ व्यापार छूट दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह प्रावधान किसी व्यय की अस्वीकृति से संबंधित है, जो निर्धारिती द्वारा व्यय के रूप में खर्च की गई राशि है। इसके लिए वास्तविक भुगतान किया जाना चाहिए। प्रावधान लागू होने से पहले एक खर्च होना चाहिए। व्यापार छूट को एक खर्च नहीं माना गया था क्योंकि यह खर्च किया जाता है जिसके लिए भत्ता दिया जा सकता था।

धारा 40 (ए) (2) के तहत दावा किया गया है। सकल राजस्व की परिभाषा को देखते हुए उपरोक्त निर्णय पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं और विभिन्न कानूनों के संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं।

111. रिलायंस को आई. एफ. बी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम पर भी रखा गया है। केरल राज्य (2012) 4 एस. सी. सी. 618। सवाल उठ रहा है

1963 के नियमों के नियम 9 (ए) के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करने पर छूट पर विचार किया गया। पूर्व निर्धारित बिक्री लक्ष्य को प्राप्त करने पर विक्रेताओं के लिए व्यापार छूट दी गई थी। यह माना गया था कि [2019] 16 एस. सी. आर. पर छूट के लिए।

उक्त नियमों के नियम 9 (ए) के तहत कटौती के लिए अर्हता प्रदर्शित की जानी चाहिए।

चालान में, और यह कि यह बिक्री के बाद जारी किए गए क्रेडिट नोट का उपयोग करते हुए दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह निर्णय गणना की विधि पर है जब केरल सामान्य बिक्री कर नियम, 1963 के तहत बिक्री–कर और वैट पर छूट की अनुमति दी जा सकती है और इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मद्रास बनाम। एडिसन & कं. लिमिटेड, (2016) 10 एस. सी. सी. 56, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11–बी के तहत कारोबार छूट का सवाल विचार के लिए आया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि व्यापार छूट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे प्रत्येक चालान के समय देय नहीं होते हैं या चालान से कटौती नहीं की जाती है

वाणिज्यिक कर और अन्य के आयुक्त। , (2018) 2 एस. सी. सी. 756 पर इस बात पर भी भरोसा किया गया है कि कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के संदर्भ में सभी नियमित व्यापार छूटों के संबंध में कर योग्य कारोबार की गणना का प्रश्न विचार के लिए आया था और यदि उचित प्रमाण दिखाया जाता है तो वे अनुमेय कटौती के रूप में स्वीकार्य हैं। 112. विभिन्न कानूनों के प्रावधानों के तहत दिए गए निर्णयों की कोई प्रासंगिकता नहीं है और इसकी परिभाषा का अर्थ है –

लाइसेंस समझौते के तहत सकल राजस्व, जो प्रबल होना चाहिए।

113. रिलायंस को सेवा कर परिपत्र दिनांक 13.10.1997 पर रखा गया है, जो प्रदान करता है कि सेवा कर देयता केवल संबंध में है।

सेल्युलर कम्पनियों द्वारा इस प्रकार प्राप्त रियायती मूल्य का। सेवा कर देयता के प्रश्न का निर्धारण के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है –

लाइसेंस शुल्क जिसके लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषा तैयार की गई है, जिस पर लाइसेंसधारियों द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है क्योंकि यह पहले की निर्धारित शुल्क व्यवस्था की तुलना में उनके लिए फायदेमंद था। उन्होंने अपने द्वारा अर्जित राजस्व को प्रतिशत के आधार पर साझा करने की नई व्यवस्था की ओर रुख किया है। सकल राजस्व की परिभाषा के पीछे उद्देश्य है और यह लंबे समय तक चलने वाले अभ्यास का परिणाम था और इसे पहले ही बरकरार रखा जा चुका है, और इस प्रश्न को अप्रत्यक्ष तरीके से एक बार फिर से नहीं खोला जा सकता है।

भारत संघ v. एकीकृत दूरसंचार का संगठन

भारत के सेवा प्रदाता [अरुण मिश्रा,

जे.]

114. व्यापार छूट को सकल से नहीं काटा जा सकता है।

राजस्व केवल इस आधार पर कि वे लागत में कमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाइसेंसधारियों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन नोट पर निर्भरता कि छूट एक आपूर्तिकर्ता द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के सूची मूल्य से दी गई कटौती है, सकल राजस्व की परिभाषा के कारण कोई लाभ नहीं है। समझौते के खंड 19.1 के तहत व्यापार छूट की अनुमति नहीं है।

राजस्व के विरुद्ध क्योंकि खर्चों को जमा करने की अनुमति नहीं है।

115. नकद छूट के संबंध में, यह स्पष्ट है कि नकद छूट

इसका उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। यह ग्राहकों के लिए एक प्रोत्साहन है। ग्राहक नकद छूट की राशि में कटौती करने के बाद भुगतान करता है, यदि वह इकाई और ग्राहक के बीच समझौते के अनुसार इसका लाभ उठाने के लिए पात्र है। ए. एस.–9 के तहत, राजस्व को सकल पर मान्यता दी जाती है।

राशि और नकद छूट को एक खर्च के रूप में माना जाता है जब विक्रेता को शुद्ध भुगतान प्राप्त होता है और छूट की अनुमति नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यदि ए ने 90 दिनों की क्रेडिट अवधि में जेड को Rs.1000 के लिए सामान बेचा है, लेकिन यदि जेड 50 दिनों के भीतर भुगतान करता है, तो ए द्वारा 10 प्रतिशत की नकद छूट प्रदान की जाएगी। ए. एस. व्यवस्था में, राजस्व को Rs.100 0 पर दर्ज किया जाना चाहिए, और जब जेड Rs.900 का भुगतान करता है, तो Rs.100 की नकद छूट की राशि को व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह ए. एस.–9 के तहत सकल राशि के रूप में मान्यता प्राप्त राजस्व का प्रभाव है। मात्रा–आधारित छूट के संबंध में, ए. एस.–9 व्यवस्था के तहत, ग्राहकों से प्राप्त या प्राप्य सकल राशि पर राजस्व को मान्यता दी जाती है। हालांकि, व्यापार छूट और प्राप्त मात्रा छूट का मूल्य सकल राजस्व से नहीं काटा जा सकता है।

खंड 19.1 में परिभाषा के कारण। ग्राहक की छूट मुफ्त कॉल के रूप में भी हो सकती है, कुछ मुफ्त मिनटों का एस. एम. एस. मूल्य।

116. डी. ओ. टी. ने उचित रूप से काल्पनिक आधार पर लाइसेंस शुल्क मांगा है।

मुफ्त कॉल, एस. एम. एस., वी. ए. एस. मिनट/डेटा का राजस्व। जब ये राशियाँ स्वीकार्य रूप से अभिदाता पर उठाए गए चालान में दिखाई देती हैं

ज्ञापन, यह सकल राजस्व है। यह सकल राजस्व का हिस्सा है और इसकी कटौती नहीं की जा सकती है। इसे मुकदमेबाजी और लेखांकन बाजीगरी से मुक्त करने और लेखांकन बाजीगरी के चंगुल से लाइसेंस शुल्क के मुक्त निर्धारण के लिए परिभाषा तैयार करने का यही उद्देश्य था।

117. अंतरराष्ट्रीय रोमिंग, कमीशन पर छूट की अनुमति,

और पूर्व–भुगतान वाउचर की बिक्री पर वितरकों को दी जाने वाली छूट सकल राजस्व का हिस्सा है और राजस्व की परिभाषा और ए. एस.–9 मानकों के कुछ नोटों पर भरोसा करके कटौती नहीं की जा सकती है; जबकि वे स्पष्ट रूप से सकल राजस्व की परिभाषा में शामिल हैं।

118. पूर्व–भुगतान विकल्पों के बारे में, परिशिष्ट–II के परिशिष्ट–II में निहित राजस्व और लाइसेंस शुल्क के विवरण का प्रारूप निम्नलिखित प्रदान करता हैः

पूर्व–भुगतान विकल्पों के मामले में, पूर्व–भुगतान किए गए सिम कार्डों की बिक्री जिसमें उसमें लगाए गए घटकों का पूरा मूल्य शामिल है। मोबाइल सामुदायिक फोन सेवा से प्राप्त सभी घटकों के पूर्ण मूल्य सहित राजस्व पर विचार किया जाना चाहिए, सभी कमीशन और छूट आदि सहित फ्रेंचाइजी/पुनर्विक्रेताओं से प्राप्त राजस्व को सकल राजस्व का हिस्सा बनाना होगा। पार्टियों ने सकल राजस्व का भुगतान करने के लिए कैसे समझा और सहमति व्यक्त की है, यह 22.7.2001 दिनांकित पत्राचार और पत्र से स्पष्ट है और

लाइसेंस समझौते के खंड 19.1 में उल्लिखित अंतिम परिभाषा और सरकार द्वारा ट्राई की सिफारिशों को अस्वीकार करना।

119. टी. डी. एस. ए. टी. ने यह ठहराने में गलती की है कि यदि छूट कम बिलिंग के रूप में है, तो सकल राजस्व में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। इसका मतलब होगा सकल राजस्व की परिभाषा का उल्लंघन करना जहां कोई सेट नहीं है।

छूट की अनुमति है। डी. ओ. टी. द्वारा यह उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है कि सहमत शुल्कों से अधिक छूट व्यवसाय को बढ़ाने के लिए समग्र वाणिज्यिक रणनीति का हिस्सा है, और इसलिए, ये छूट खर्चों की तरह हैं। खंड 19.1 के तहत लाइसेंस समझौते के तहत सकल राजस्व से खर्च को शुद्ध करने की अनुमति नहीं है। इसी तरह, टीडीएसएटी ने

आयोग रखने और उससे संबंधित निष्कर्ष देने में गलती की और

छूट यदि चालान रियायती मूल्य पर है, जो Rs.100 के बजाय Rs.90 पर है। इसी कारण से, टी. डी. एस. ए. टी. की खोज टिकाऊ नहीं है।

120. टीडीएसएटी ने लाइसेंसधारियों के मामले को खारिज कर दिया है। जहाँ बिल अधिक राशि के लिए है और छूट अलग से दी गई मात्रा छूट के रूप में है, वहाँ बिल की राशि को राजस्व के रूप में लिया जाना चाहिए, और छूट को व्यय के रूप में माना जा सकता है। खोज के उस हिस्से को परेशान नहीं किया जाता है। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पर दी जाने वाली सभी छूटों और कमीशनों के लिए, और पूर्व–भुगतान किए गए वाउचरों की बिक्री पर वितरकों के लिए, व्यापार छूट, ग्राहकों की छूट और मात्रा में छूट सकल राजस्व का हिस्सा हैं।

121. लाइसेंसधारियों की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि छूट की पेशकश का उपयोग अक्सर लंबे समय में व्यवसाय बढ़ाने के लिए किया जाता है।

रन/टर्म। ये अपरिहार्य हैं क्योंकि 8 से 10 ऑपरेटर एक ही भूगोल में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर काम कर रहे थे। छूट व्यवसाय को जीवित रखने और बढ़ाने और राजस्व बढ़ाने में मदद करती है। इस प्रकार यह लाभ अर्जित करने के लिए व्यय की प्रकृति में है और इस विधि से यह स्वीकार किया जाता है कि व्यवसाय में वृद्धि हुई

है और राजस्व में वृद्धि हुई है, इसलिए व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक रणनीति का हिस्सा होने के कारण, इसमें भारत का संघ v है।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

सकल राजस्व। 122. इस प्रकार, हमें छूट, कमीशन, पूर्व–भुगतान वाउचर, सद्भावना माफी के विभिन्न रूपों के दावे को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है

आदि, लाइसेंसधारियों की ओर से उठाए गए और टी. डी. एस. ए. टी. के निष्कर्ष को इस हद तक दरकिनार कर दिया कि यह डी. ओ. टी. द्वारा लिए गए रुख के विपरीत है, और हम मानते हैं कि सभी छूट और कमीशन आदि, जैसा कि चर्चा की गई है, लाइसेंस शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से सकल राजस्व का हिस्सा हैं।

पुनः में – विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से होने वाले लाभः

123. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास विदेशी मुद्रा में उपकरण खरीदने या रोमिंग शुल्क आदि का निपटान करने का लेनदेन होता है। लेन–देन की तारीख से निपटान के समय तक विदेशी मुद्रा की तुलना में विनिमय दर में परिवर्तन से लाभ हो सकता है।

या रुपये की विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के आधार पर नुकसान। टी. डी. एस. ए. टी. ने 2007 के फैसले में कहा था कि विदेशी मुद्रा दर में उतार–चढ़ाव का देश की लाइसेंस प्राप्त गतिविधियों से कोई लेना–देना नहीं है।

दूरसंचार सेवा प्रदाता। टी. डी. एस. ए. टी. ने 2015 में विवादित निर्णय और व्यवस्था में कहा है कि विदेशी मुद्रा लाभ दो प्रकार के होते हैं। पूँजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए भुगतान के प्रति देयता में कमी

पूर्व–भुगतान और शुल्क या आउटरोमर के भुगतान से और दूसरा इनरोमर से रसीद में। पहले मामले में, लागत में कमी आती है, जिसे एजीआर निर्धारित करने के उद्देश्य से राजस्व के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

कटौती के मामले में, कटौती को आगे बढ़ाने के लिए शुल्क के भुगतान की अनुमति केवल भुगतान के आधार पर दी जाती है। इसलिए, संचय और भुगतान के आधार के बीच के अंतर को एजीआर गणना के लिए राजस्व के रूप में नहीं लिया जा सकता है, और दूसरे मामले में, राजस्व को संचय के आधार पर दर्ज किया जाता है। किसी भी

भुगतान किए जाने तक के शुल्क, अनुमानित आय हैं, जिन्हें एजीआर आधार पर राजस्व के रूप में नहीं लिया जा सकता है। वास्तविक भुगतान पर चूंकि कोई छूट नहीं दी जाती है और वास्तविक रसीद कम है, इसलिए यदि वह अधिक है तो कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। इस प्रकार, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव के कारण होने वाले किसी भी लाभ या हानि का लाइसेंस शुल्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

समायोजित सकल राजस्व की गणना में लिया जाना है, आय इसे परिसंपत्तियों की वृद्धि से अंतर्वाह के रूप में आर्थिक लाभ में वृद्धि या देयता में कमी के रूप में समझा जाता है जिसके परिणामस्वरूप इक्विटी में वृद्धि होती है। आय की परिभाषा में राजस्व और लाभ दोनों शामिल हैं। विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से होने वाले लाभ को जोड़ा जाना चाहिए [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेन–देन की तारीख और वर्ष–अंत दरों के बीच विनिमय भिन्नता को लाभ या हानि के अवास्तविक विनिमय के रूप में दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित लेन–देन लेन–देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं और प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार, लाभ या हानि का परिणाम तब होता है जब दोनों के बीच विनिमय दर में परिवर्तन होता है। लेन–देन की तारीख और वस्तुओं के निपटान की तारीख।

126. लाइसेंसधारियों की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि काल्पनिक लाभ नकदी का प्रवाह नहीं है और राजस्व का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जब वहाँ

न तो उपार्जित है और न ही आय की प्राप्ति, कोई राजस्व परिणाम नहीं कहा जा सकता है। उच्च विदेशी मुद्रा दर के कारण पुस्तकों में दिखाई गई संपत्ति की उच्च लागत को वर्तमान स्थिति को दर्शाने के लिए कम किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा दर और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्राप्त या प्राप्य कोई राजस्व नहीं होता है। यदि विदेशी मुद्रा लाभ व्यय की किसी वस्तु पर है, तो इसे सकल राजस्व की गणना में दर्ज नहीं करना चाहिए क्योंकि खर्च हैं

सकल राजस्व की गणना करते समय कटौती योग्य नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एएस–9 के पैरा 3 (iii) में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन और विदेशी मुद्रा वित्तीय विवरणों के लेन–देन पर उत्पन्न समायोजन के परिणामस्वरूप प्राप्त या अवास्तविक लाभ को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है।

127. जब हम प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि

वहाँ अर्जित किया जा सकता है और साथ ही अवास्तविक विदेशी मुद्रा लाभ/नुकसान जो इस बात पर निर्भर करता है कि लेन–देन किया गया है या नहीं लेखा अवधि के अंत तक पूरा किया गया। अर्जित लाभ या हानि वे लाभ या हानि हैं जो प्राप्त किए गए हैं। इसका मतलब है कि ग्राहक लेखा अवधि समाप्त होने से पहले ही चालान का निपटान कर चुका है। उदाहरण के लिए, यह कहने के लिए कि एक ग्राहक ने विदेश में स्थित एक विदेशी विक्रेता से 1000 डॉलर मूल्य की वस्तुएँ खरीदीं, और चालान का मूल्य चालान दर पर 1100 डॉलर है। जब ग्राहक कुछ दिनों के बाद चालान का निपटान करता है, मान लीजिए कि चालान भेजे जाने की तारीख के चार सप्ताह बाद, और वर्तमान विनिमय दर पर अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित होने पर चालान का मूल्य 1200 डॉलर होता है। इसका मतलब है कि विक्रेता को 100 डॉलर का वास्तविक लाभ होगा। विदेशी मुद्रा लाभ भारत संघ v के आय खंड में दर्ज किया गया है।

एकीकृत दूरसंचार का संगठन

भारत के सेवा प्रदाता [अरुण मिश्रा,

जे.]

आय विवरण। जब चालान का निपटान किया जाता है तो अवास्तविक लाभ या हानि होती है, लेकिन यदि ग्राहक लेखा अवधि के अंत तक चालान का भुगतान करने में विफल रहता है। विक्रेता उन लाभ या हानि की गणना करता है जो अर्जित किए जाएंगे यदि ग्राहक लेखा अवधि के अंत में चालान का भुगतान करता है। वित्तीय विवरण तैयार करते समय, चालान का मूल्य 200 डॉलर होने की स्थिति में लेनदेन को 100 डॉलर के अवास्तविक नुकसान के रूप में दर्ज किया जाएगा। लेखा अवधि की अंतिम तिथि पर, चालान का मूल्य $100 है। इस प्रकार, अवास्तविक नुकसान 100 डॉलर का होगा। अवास्तविक लाभ या हानि को तुलनपत्र में दर्ज किया जाता है। वास्तविक वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनियों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है

सभी वित्तीय विवरणों को समझने में आसानी के लिए घरेलू मुद्रा में लेनदेन। इसका मतलब है कि विदेशी मुद्रा में किए गए सभी लेनदेन को वर्तमान विनिमय दर पर घरेलू मुद्रा में परिवर्तित किया जाना चाहिए जब व्यवसाय लेनदेन को मान्यता देता है। अनिवार्य वस्तुओं को शुरू में दर्ज की गई दर से अलग दर पर रिपोर्ट करने पर जो विनिमय अंतर उत्पन्न होता है, उसे आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इस प्रकार, ए. जी. आर. की गणना में विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से लाभ लिया जाना चाहिए, और यही वास्तविक राजस्व है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

128. इसी तरह, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से होने वाले लाभ को संचय के आधार पर जोड़ा जाना चाहिए। यदि बाद में, राशि पर खर्च किया जाना है

उपकरणों की खरीद या विदेशी मुद्रा में रोमिंग शुल्क का निपटान, यह भी एक लाभ है और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक लाभ होता है और सकल राजस्व का निर्धारण करते समय इसका हिसाब रखा जाना चाहिए क्योंकि देयता में कमी से लाभ होगा। जो भी खर्च हो, चाहे वह बढ़ा हो या घट गया हो, उसका हिसाब रखा जाना चाहिए क्योंकि यह इसका हिस्सा है। सकल राजस्व।

129. सकल राजस्व की परिभाषा में, किसी भी अन्य विविध राजस्व को शामिल किया गया है, और जब एक बार वस्तु को इसमें दिखाया जाना है

तुलनपत्र या लाभ और हानि खाता, जाहिर है, इसे सकल राजस्व के लिए, यहां तक कि एक काल्पनिक आंकड़े के रूप में भी गिना जाना चाहिए। एक बार जब राशि प्राप्य हो जाती है, तो इसे सकल राजस्व के हिस्से के रूप में लिया जाना चाहिए। टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए इसके विपरीत निष्कर्ष को इस प्रकार दरकिनार किया जा सकता है। चाहे राशि का भुगतान उपकरण की खरीद के लिए किया गया हो, इसका हिसाब रखा जाना चाहिए और उस पर खर्च किए गए मूल्य के अनुसार इसका हिसाब रखा जाना चाहिए। बैंकिंग लेन–देन की तारीख, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से होने वाले लाभ को इसमें जोड़ा जाना चाहिए

सकल राजस्व की गणना, अन्यथा, वह लाभ जो [2019] 16 एस. सी. आर.

नजरअंदाज किया जाएगा। जहाँ विदेशी मुद्रा के मूल्यवृद्धि के कारण लाभ या हानि होती है, वहाँ इस तरह के लाभ या हानि को व्यवसाय या हानि से लाभ का हिस्सा बनाना पड़ता है। चाहे वह व्यापार के कारण लाभ हो या हानि। या परिसंपत्ति के कारण, इसे लाभ और हानि खाते का हिस्सा बनाना पड़ता है, इस प्रकार, इसे सकल राजस्व के लिए जिम्मेदार होना पड़ता है। विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव का हिसाब उस समय खाते में रखा जाना चाहिए जब

राशि प्राप्त की जाती है या लेखा वर्ष के अंत में। इस प्रकार, इस निष्कर्ष से बचने का कोई रास्ता नहीं है कि विदेशी मुद्रा लाभ का हिसाब रखा जाना चाहिए

सकल राजस्व के हिस्से के रूप में। जब नुकसान को व्यय के रूप में दावा किया जा सकता है, तो विदेशी मुद्रा की दर में उतार–चढ़ाव के कारण होने वाले लाभ या लाभ को भी सकल प्राप्ति के रूप में गिना जाना चाहिए, जो कि सकल राजस्व है।

पुनः में – शेयरों की बिक्री पर मौद्रिक लाभः

130. यह टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड की ओर से प्रस्तुत किया जाता है और

अन्य लाइसेंसधारक जो शेयरों की बिक्री से लाभ प्राप्त करते हैं, उन्हें सकल राजस्व की समावेशी परिभाषा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। पूँजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ और स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त रसीद। यह मुद्दा तब उत्पन्न होता है जब किसी परिसंपत्ति/स्क्रैप को उसके बही मूल्य से अधिक में बेचा जाता है, तो शुद्ध बिक्री आय और बही मूल्य के बीच का अंतर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ की राशि होती है। क्या इसे सकल राजस्व का हिस्सा बनाना है? न्यायाधिकरण ने माना है कि पूंजीगत लाभ दो प्रकार के होते हैं। ((i) लाभ उठाएँ। और परिसंपत्तियों के सकल बही मूल्य (लागत) पर, यानी जब बिक्री आय परिसंपत्तियों की मूल खरीद लागत से अधिक होती है; और (ii) शुद्ध पुस्तक मूल्य से अधिक लाभ, अर्थात जब बिक्री

आय

ये प्रारंभिक खरीद लागत से कम हैं लेकिन परिसंपत्ति के शुद्ध मूल्य से अधिक हैं। न्यायाधिकरण ने माना है कि पहले मामले के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ, यानी जब वृद्धि बही के ऊपर और ऊपर होती है।

परिसंपत्ति का मूल्य, यह सकल राजस्व की गणना का हिस्सा होगा।

131. लाइसेंस में सकल राजस्व की परिभाषा को देखते हुए

चालू परिसंपत्ति और लाइसेंसधारी कंपनी के पास आती है, बिना कमाई के सकल राजस्व की गणना के लिए विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए कारण कि शुद्ध पुस्तक मूल्य से अधिक और उससे अधिक कोई लाभ, यानी जब बिक्री की आय मूल खरीद लागत से कम होती है, लेकिन परिसंपत्तियों के निवल मूल्य से अधिक, जिसे सकल राजस्व से बाहर रखा जाना है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान के लिए सकल राजस्व

वर्ष का निर्धारण पूँजीगत परिसंपत्तियों के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी भी वर्ष के लिए सकल राजस्व को उद्घाटन के आलोक में माना जाता है।

वर्ष के अंत में वक्तव्य और समापन वक्तव्य भी।

भारत संघ बनाम क्या है? भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

प्रश्नगत वर्ष में बही मूल्य से अधिक लाभ को प्राप्त सकल राजस्व के प्रति ध्यान में रखा जाना चाहिए। लाइसेंसधारियों की ओर से इसके विपरीत की गई प्रस्तुति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम इस निवेदन को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं कि शेयरों की बिक्री आदि पर एकत्र किया गया धन राजस्व रसीद की तरह नहीं है, बल्कि एक पूंजी रसीद है। पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ, जिसमें शुद्ध बही मूल्य और स्क्रैप से अधिक की वृद्धि शामिल है, न कि पूरी आय को सकल राजस्व की गणना में राजस्व के रूप में लिया जाना चाहिए और यह बिना किसी आपत्ति के सकल राजस्व की परिभाषा के दायरे में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, ए. जी. आर. के लिए लाभ तब प्राप्त होगा जब बिक्री आगे बढ़ेगी या माल का वर्तमान स्वभाव मूल्य Rs.60 होगा, और यदि इसे Rs.70 पर बेचा जाता है, तो उस स्थिति में, Rs.10 का लाभ होगा। इसे एजीआर गणना के लिए लाभ के रूप में लिया जाएगा। परिणाम वही होगा यदि Rs.100 मूल्य की संपत्ति का मूल्य Rs.60 मूल्य के बुक वैल्यू में गिर गया है और इसे Rs.70 पर बेचा जाता है, जैसा कि डीओटी की ओर से अनुरोध किया गया है, रु। 10 यह सकल राजस्व का हिस्सा होगा। किस उद्देश्य के लिए और

आय कर देना उचित होगा, यह हमारे विचार का विषय नहीं है।

132. प्रस्तुतिकरण में कहा गया है कि शेयरों की बिक्री एक सामान्य व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, जैसा कि ए. एस.–9 के पैरा 4 में दिया गया है। यहां तक कि ए. एस.–9 का पैरा 3 (i) भी 'राजस्व' के दायरे से बाहर है, जिसमें गैर–चालू परिसंपत्तियों के निपटान के परिणामस्वरूप प्राप्त या अवास्तविक लाभ, यानी अचल परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि शामिल नहीं है। एक बार फिर, सकल राजस्व की परिभाषा से छुटकारा पाने के लिए एक व्यर्थ प्रयास किया गया है, और सामान्य व्यावसायिक गतिविधि द्वारा भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है, जो है

ए. एस.–9 के पैरा 4 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति। इसके विपरीत, खंड 19.1 में सकल राजस्व की परिभाषा में गैर–लाइसेंस प्राप्त से सकल राजस्व शामिल है।

गतिविधियाँ भी। इस प्रकार, समर्पण पूरी तरह से सारहीन है और पीछे हट जाता है। प्रारंभिक लागत को ध्यान में रखते हुए टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए विपरीत निष्कर्ष को अलग रखा जाता है। इसे बिक्री की तारीख के अनुसार पुस्तक मूल्य के रूप में देखा जाना चाहिए। परिसंपत्तियों/स्क्रैप, शेयरों आदि के संबंध में इस संबंध में टी. डी. एस. ए. टी. के रुख को मंजूरी दी गई है।

पुनः में – पूँजीगत परिसंपत्तियों के संबंध में बीमा दावाः

133. जहाँ किसी संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है और बीमा दावा उसके बही मूल्य से अधिक के लिए प्राप्त किया जाता है। के बीच का अंतर प्राप्त बीमा दावा और बही मूल्य को डी. ओ. टी. द्वारा ए. जी. आर. की गणना के

लिए राजस्व के रूप में माना जाता है। विवाद शुरू में लाइसेंसधारियों द्वारा नहीं उठाया गया था, जबकि वर्ष 2007 में आदेश पारित किया गया था।

यह [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्ष 2011 में इस न्यायालय द्वारा मामले को टी. डी. एस. ए. टी. को भेजे जाने के बाद यह मुद्दा उठाया गया है। टी. डी. एस. ए. टी. ने माना है कि यदि नष्ट की गई संपत्ति को तुरंत बदल दिया जाता है और प्राप्त दावा उपकरण को बदलने की वास्तविक लागत से अधिक है, तो अंतर को इस प्रकार लिया जाएगा

आय; और ऐसे मामले में जहां नष्ट की गई संपत्ति को तुरंत प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, सकल बही मूल्य से अधिक लाभ को आय माना जाता है। समय के साथ परिसंपत्ति में वृद्धि हुई है, फिर कुल लागत से अधिक प्राप्त बीमा दावा, हालांकि वास्तविक लाभ है, लाइसेंस समझौते के खंड 19.1 के लिए राजस्व के रूप में नहीं माना जाता है।

134. डी. ओ. टी. की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायाधिकरण ने राजस्व का वर्गीकरण करने में गलती की है। बीमा दावे के मामले में

प्राप्त राशि पुस्तक मूल्य से अधिक होती है, इसे राजस्व माना जाता है। खंड 19.1 में दी गई परिभाषा के अनुसार, चालू वर्ष के लिए बही मूल्य से अधिक नकदी के सकल प्रवाह को सकल राजस्व माना जाना है। किसी संपत्ति को कब नष्ट किया जाता है और बाद में कब बदला जाता है, इसके बारे में कोई वर्गीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अवमूल्यन किए गए बही मूल्य से अधिक प्राप्त बीमा दावे को किसी अन्य आय के तहत लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाना चाहिए, वह भी एक लाभ है, इसलिए, यह गणना में सकल राजस्व का हिस्सा होगा, बिना जमा किए और उपार्जित आधार पर। यह कहने के लिए कि क्या सकल राजस्व का हिस्सा बनने वाले राजस्व को केवल बीमा दावा प्राप्त होने पर ही माना जाएगा यह पुस्तक मूल्य से अधिक है। इसलिए, बही मूल्य से अधिक प्राप्त अतिरिक्त राशि को सकल राजस्व की गणना के लिए राजस्व के रूप में लिया जाएगा। लेखांकन के उपयोग के लिए, बीमा से लाभ

दावा, आकस्मिकताओं द्वारा किया गया विभाजन, अनावश्यक था और इसे सकल राजस्व की परिभाषा से नहीं निकाला जा सकता है, जो लाइसेंस शुल्क के मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए था। क्या बात है? 'तुरंत' शब्द को दिए जाने का अर्थ मामले-दर-मामले और लाइसेंस शुल्क के निर्धारण से अलग होगा। प्रतिस्थापन की लागत भी विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। एक पुरानी संपत्ति को एक ब्रांड द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है

नई उच्च कीमतों में से एक। बीमा दावे से लाभ के लेखांकन के लिए, डीओटी द्वारा अपनाया गया कार्यप्रणाली वर्गीकरण उचित नहीं पाया गया है और सकल की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। राजस्व।

135. लाइसेंसधारियों की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि बीमा दावे के लिए प्राप्त राशि नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए है।

हानि की भरपाई के लिए पूंजीगत परिसंपत्ति। वानिया सिल्क में निर्णय

मिल्स वी। सी. आई. टी. अहमदाबाद, (ऊपर) को भारत संघ बनाम की सेवा में लगाया गया है।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नुकसान का भुगतान करते समय बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई करती है। बीमा दावा संपत्ति के नुकसान का मूल्य नहीं है, बल्कि केवल राशि को ध्यान में रखता है। इसे अपनी मूल स्थिति में बहाल करने की आवश्यकता है। बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति के लिए होते हैं। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दावे नहीं हैं

आय के रूप में।

136. लाइसेंसधारियों की ओर से की गई प्रस्तुति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि पुस्तक मूल्य से अधिक बीमा दावा है

इसे राजस्व के रूप में माना जाता है न कि पूंजी परिसंपत्ति के मूल्य के रूप में क्योंकि नकदी का प्रवाह प्राप्त होता है। इसका लाभ और हानि खाते में हिसाब रखा जाता है। इसे खंड 19.1 में परिभाषित सकल राजस्व का हिस्सा बनाना होगा। टीडीएसएटी द्वारा किए गए बीमा दावे के कृत्रिम विभाजन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यह सकल राजस्व की संविदात्मक परिभाषा के विपरीत है। टी. डी. एस. ए. टी. के निष्कर्ष को इस हद तक दरकिनार कर दिया जाता है कि यह राजस्व के विपरीत है।

पुनः में – पूर्व–भुगतान ग्राहक की नकारात्मक शेष राशिः

137. नकारात्मक संतुलन तब होता है जब एक पूर्व–भुगतान ग्राहक उपलब्ध वार्ता–समय समाप्त कर देता है। पॉलिसी के रूप में टी. एस. पी. कभी–कभी ग्राहक को ऋण वार्ता–समय की एक छोटी राशि प्रदान करता है, जैसे कि Rs.10 या Rs.20 का मूल्य। इस टॉक टाइम के उपयोग के परिणामस्वरूप पूर्व–भुगतान ग्राहक के खाते में नकारात्मक शेष राशि होती है। शेष राशि ग्राहक द्वारा बाद में किए गए पुनः शुल्क से वसूल की जाती है। यदि ग्राहक नई जमा राशि को फिर से लेने में विफल रहता है, तो ग्राहक के पूर्व–भुगतान खाते में शेष राशि नकारात्मक रहती है। पूर्व–भुगतान किए गए वाउचर उस कीमत पर बेचे जाते हैं जिसके लिए

ग्राहक को बातचीत की एक निश्चित अवधि मिलती है–सेवा का समय/उपयोग। जब यह समाप्त हो जाता है, और लंबे समय तक बात करने का समय उपयोग किया जाता है, तो इसका परिणाम नकारात्मक संतुलन में होता है। टी. डी. एस. ए. टी. ने माना है कि नकारात्मक संतुलन को नहीं लिया जा सकता है।

सकल राजस्व की गणना के लिए खाता क्योंकि यह काल्पनिक राजस्व है, जिसे न तो बिल किया जाता है और न ही प्राप्त किया जाता है। यह लाइसेंसधारी की गलती के कारण नहीं है, और लाइसेंसधारी को इस तरह के उपयोग से इसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।

उसके द्वारा प्राप्त राशि के लिए अनुमत अवधि। 138. डी. ओ. टी. द्वारा स्थापित मामला यह है कि नकारात्मक शेष राशि ग्राहक को सूचित की जाती है और खाते में भी दिखाई जाती है। यह संचय के आधार पर बिल किया जाता है और सकल राजस्व का हिस्सा बन जाता है। यदि इसे प्राप्त नहीं किया जाता है, तो इसका प्रभाव खराब ऋण पर पड़ता है, जिसे सकल राजस्व की परिभाषा के अनुसार कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। यदि इसे सकल राजस्व के लिए नहीं गिना जाता है, तो यह लाइसेंसधारी को [2019] 16 एस. सी. आर. के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस तरह के प्रोत्साहन से अपने सकल राजस्व को बढ़ाने के लिए छूट दें और सरकारी खजाने को लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करें।

139. यह स्पष्ट है कि नकारात्मक संतुलन की मात्रा एक है

व्यावसायिक रणनीति, और राशि को फिर से शुल्क लेने के मामले में समायोजित किया जाता है। अन्यथा भी, इसे बिल किया जाता है और ग्राहक के खाते में संचय के आधार पर दर्शाया जाता है। हालाँकि इसे खंड 19.1 के तहत लाइसेंस शुल्क के निर्धारण के लिए सकल राजस्व का हिस्सा बनाना पड़ता है, लेकिन पूर्ण मूल्य पर कॉल की संख्या को ऐसी व्यावसायिक रणनीति के बिना किसी छूट या प्रोत्साहन के मापा जाना चाहिए। यह राजस्व का एक हिस्सा है। इसे ए. एस–9 के तहत सकल राजस्व की परिभाषा के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले सकल राजस्व से नहीं काटा जा सकता है। इस प्रकार, टी. डी. एस. ए. टी. के निष्कर्ष को मामले के तथ्यात्मक पहलुओं में सकल राजस्व के अर्थ के साथ संरेखित नहीं कहा जा सकता है और इसे अलग रखा जाता है।

पुनः में – बुनियादी ढांचे के संचालन की प्रतिपूर्ति खर्च

141. लाइसेंसधारियों ने प्रस्तुत किया है कि टावरों जैसे निष्क्रिय बुनियादी ढांचे की स्थापना एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। मीनार संरचना को कभी–कभी स्वतंत्र दलों द्वारा खड़ा किया जाता है और सेवा प्रदाताओं को किराए पर दिया जाता है। इसी तरह की गतिविधि, जब एक सेवा प्रदाता द्वारा की जाती है, तो इसे लाइसेंस प्राप्त गतिविधि के हिस्से के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए, निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को किराए पर देने/पट्टे पर देने से लाइसेंसधारी द्वारा अर्जित राजस्व समायोजित सकल राजस्व का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यह भी है प्रस्तुत किया कि डार्क फाइबर टावरों आदि का किराया/पट्टे पर देना आईपी–1 ऑपरेटरों द्वारा किया जाता है। इन ऑपरेटरों को किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक गैर–अनुज्ञप्ति प्राप्त गतिविधि है और समायोजित सकल के दायरे से बाहर होनी चाहिए।

राजस्व।

142. टी. आर. ए. आई. ने किराए पर देने और पट्टे पर देने की सिफारिश की

सेवा प्रदाताओं द्वारा निष्क्रिय अवसंरचना एक नियमित दूरसंचार गतिविधि है और इसलिए, एजीआर का हिस्सा होना चाहिए।

143. टी. डी. एस. ए. टी. ने पाया है कि यदि ए. के पास किसी विशेष भवन में एक मीनार है, तो उसी मीनार को बी. द्वारा उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है. बी. इस मीनार के उपयोग के लिए ए. को किराया देगा। यदि बी ए को किराए के रूप में Rs.100 का भुगतान करता है, तो ए को रखने के लिए परिचालन खर्च उठाना होगा। टावर में उपकरण, कार्यात्मक, जिसके लिए अन्य बातों के साथ–साथ भारत संघ v की आवश्यकता हो सकती है।

डीजल जनरेटर। यदि ऐसे परिचालन खर्चों के लिए मासिक खर्च Rs.10 है, तो A और B इसे समान अनुपात में विभाजित करेंगे। इस प्रकार, बी से ए द्वारा भुगतान किए गए 5 रुपये ए (एयरटेल) के लिए एक राजस्व होगा। टी. डी. एस. ए. टी. ने सकल राजस्व से 5 रुपये की कटौती इस काल्पनिक तर्क पर की है कि 'आई. डी. 2' के किराए को 'आई. डी. 1' के साथ 5 रुपये के किराए के रूप में माना जाना चाहिए।

व्यय की प्रतिपूर्ति। इस प्रकार, टी. डी. एस. ए. टी. के अनुसार, किराया जैसी सुविधा का उपयोग सकल राजस्व में शामिल किया जाना चाहिए, और खर्च की प्रतिपूर्ति को सकल राजस्व में शामिल नहीं किया जाना चाहिए बशर्ते कि इसे चालान में अलग से दिखाया गया हो और लाभ और हानि खाते में राजस्व के रूप में नहीं दिखाया गया हो। 144. डीओटी का रुख यह है कि व्याख्या स्पष्ट रूप से खंड 19.1 के विपरीत है, जिसमें स्पष्ट रूप से "अनुमेय साझाकरण बुनियादी ढांचे से राजस्व" शामिल है। सकल राजस्व की परिभाषा खर्चों की प्रतिपूर्ति और सुविधा के उपयोग के लिए किराए के बीच अंतर की अनुमति नहीं देती है। टीडीएसएटी की व्याख्या से,

लेखांकन बाजीगरी होगी, और लाइसेंसधारी इसके तहत बुनियादी ढांचे के संचालन खर्चों की अधिकतम प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रयास करेगा

"किराया श्रेणी" के बजाय "व्यय की प्रतिपूर्ति" की श्रेणी। कंपनी कार्टेल बना सकती है और एक सामान्य समूह बना सकती है। लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय से राजस्व के विरुद्ध व्यय को शुद्ध करने का अवसर मिलेगा, जो खंड 19.1 में निषिद्ध है।

145. सकल राजस्व की परिभाषा में, वस्तु का बंटवारा

बुनियादी सुविधाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुलग्नक–II के परिशिष्ट 2 के प्रारूप में भी पूरी राशि दिखानी होगी। यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि सकल राजस्व की राशि का कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता है, और प्राप्त पूरे धन को लाइसेंस शुल्क के निर्धारण के लिए सकल राजस्व के रूप में माना जाना चाहिए। यह है।

काम करते समय बुनियादी ढांचे को सकल राजस्व में गिना जाना चाहिए। ए. जी. आर. निकालें। इस प्रकार, टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए विपरीत निष्कर्ष को दरकिनार कर दिया जाता है।

पुनः में – विलंब शुल्क में छूट

146.विलंब शुल्क एक जुर्माना है जो लाइसेंसधारी द्वारा लिया जाता है यदि ग्राहक नियत तिथि के भीतर बिल का भुगतान करने में विफल रहता है। भुगतान के समय सद्भावना के रूप में लाइसेंसधारी द्वारा कभी–कभी विलंब शुल्क माफ कर दिया जाता है।

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लाइसेंसधारक की ओर से यह निवेदन किया गया है कि लाइसेंस शुल्क प्राप्त राजस्व पर देय होना चाहिए। जिसे प्राप्त नहीं किया गया है, वह राजस्व का हिस्सा नहीं हो सकता है। 147. टी. डी. एस. ए. टी. ने 2007 में पारित आदेश में कहा था कि विलंब शुल्क की छूट की राशि को सकल राजस्व से बाहर रखा जाना चाहिए।

टी. आर. ए. आई. के खिलाफ की गई सिफारिश को दरकिनार कर दिया गया। टी. डी. एस. ए. टी. ने 2015 में पारित विवादित आदेश में कहा है कि विलंब शुल्क एक जुर्माना है और जो जुर्माना माफ किया गया है, उसे राजस्व में नहीं जोड़ा जा सकता है। सबसे पहले, जुर्माने को राजस्व नहीं कहा जा सकता है, और यदि जो जुर्माना माफ किया जाता है, उसे राजस्व में जोड़ा जाता है, तो यह अनुमानित आय के प्रभार के अधीन होने का मामला होगा। 148. डी. ओ. टी. प्रस्तुत करता है कि यदि प्रचालक विलंब शुल्क का भुगतान करता है, तो इसे सकल राजस्व के हिस्से के रूप में लिया जाएगा, चाहे वह प्राप्त हो या न हो।

149. यदि विलंब शुल्क आकर्षित किया जाता है, तो इसे बिना बंद किए सकल राजस्व के रूप में गिना जाना चाहिए, और यदि ऑपरेटर इसे माफ कर देता है, तो यह

ग्राहक को दी जा रही छूट का वही प्रभाव पड़ता है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि खंड 19.1 के तहत कोई कटौती (शुद्ध छूट) की अनुमति नहीं है। जब एक बार विलंब शुल्क राशि का बिल किया जाता है और देय तिथि के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, और विलंब शुल्क आकर्षित किया जाता है, तो केवल किसी भी कारण से इसकी वसूली न होने पर, इसकी परिभाषा के अनुसार सकल राजस्व के हिस्से से बाहर नहीं किया जा सकता है। सकल राजस्व होना चाहिए

यह लिया जाता है कि यह प्राप्त हुआ है या नहीं, और खंड 19.1 के तहत नेट ऑफ की अनुमति नहीं है। एक बार राशि का बिल जमा हो जाने के बाद, इसे प्राप्त करना लाइसेंसधारी पर निर्भर करता है। सकल राजस्व से विलंब शुल्क को हटाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। यदि सेवा प्रदाता द्वारा धन खो दिया जाता है, तो उसी नुकसान को लाइसेंस शुल्क के निर्धारण के लिए एजीआर से बाहर नहीं किया जा सकता है।

150. लेट फ्री को सकल राजस्व की परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इस प्रकार, इसकी गणना सकल राजस्व के हिस्से के रूप में की जानी चाहिए। केवल छूट देकर, इसे सकल के दायरे से बाहर नहीं किया जा

सकता है। राजस्व एक बार जब यह देय हो जाता है। इस प्रकार, टी. डी. एस. ए. टी. की खोज टिकाऊ नहीं है और इसे अलग रखा जाता है।

पुनः में – रोमिंग शुल्क और पी. एस. टी. एन. पास–थ्रू से लाभ शुल्क

151. रोमिंग शुल्क तब लागू होता है जब ग्राहक होम नेटवर्क क्षेत्र छोड़ देता है और दूसरे के नेटवर्क या कवरेज क्षेत्र में घूमता है।

सेवा क्षेत्र। पास–थ्रू शुल्क लाइसेंसधारी यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा भुगतान किए जाने वाले शुल्क हैं।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

अपने ग्राहकों के कॉल को अपने नेटवर्क पर ले जाने की अनुमति देने के लिए लाइसेंसधारक को। लाइसेंस समझौते के खंड 19.2 में वास्तव में भुगतान के आधार पर सकल राजस्व से रोमिंग शुल्क और पी. एस. टी. एन. पास–थ्रू शुल्क की कुछ कटौती का प्रावधान है। टीडीएसएटी ने शिकायत पर विचार किया

अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से कि कई बार ऐसा होता है कि अनुज्ञप्तिधारी जिसे इस तरह के शुल्क का भुगतान किया जाना है, वही कंपनी होती है। यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी के अधिकारी ऐसी कटौती की अनुमति नहीं देते हैं।

इस आधार पर शुल्क कि ऐसा कोई वास्तविक भुगतान नहीं है जो कंपनी भुगतान करने के साथ–साथ प्राप्त करती है, समान है। लेकिन

सकल राजस्व की गणना करने के लिए राजस्व को दोनों लाइसेंसों के तहत गिना जाता है, और न्यायाधिकरण ने कहा है कि कंपनी के समान होने के बावजूद, पास–थ्रू शुल्क को कंपनी द्वारा रखे गए अलग–अलग लाइसेंसों के तहत राजस्व के रूप में गिना जाता है।

152. डीओटी प्रस्तुत करता है कि केवल इसलिए कि एक कंपनी के पास है

एक से अधिक सर्कल का लाइसेंस, उस कंपनी के सामान्य खाते नहीं होंगे। लाइसेंस शुल्क अलग खाते के अनुसार प्राप्त किया जाता है। यदि दोनों लाइसेंस अलग–अलग हैं, खाते अलग–अलग हैं, और प्रत्येक सर्कल के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान अलग–अलग है, तो आइडिया (दिल्ली सर्कल) आइडिया (बॉम्बे सर्कल) को वास्तविक आधार पर भुगतान करेगा, जबकि उपार्जित आधार पर, आइडिया (बॉम्बे सर्कल) के खातों में राजस्व बन जाता है। 153. इस संबंध में, परिभाषा स्पष्ट है कि सकल राजस्व से क्या कटौती की जानी है। इस प्रकार, यह कमोबेश एक समस्या है

विशेष गणना। गणना कैसे की जाती है?

154. खंड 19.2 यह स्पष्ट करता है कि विस्तृत कॉल शुल्क का भुगतान किया गया है।

भारत के भीतर अन्य योग्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सकल राजस्व से बाहर रखा जाएगा। इसी तरह, अन्य पात्र/अयोग्य सेवा प्रदाताओं को दिए गए रोमिंग राजस्व को भी बाहर रखा गया है। उस स्थिति में, उन्हें वास्तव में विभिन्न सेवा क्षेत्रों में लाइसेंसधारियों को दिया जाना चाहिए। केवल तभी इसे सकल राजस्व से बाहर रखा जा सकता है और अन्यथा नहीं। 155. एफ. सी. सी. 214 लाइसेंस, यू. एस. ए. के संचालन से राजस्व, समस्या भारती बिलगो के मामले में उत्पन्न होती है जो एक अलग मामला है जहां इसकी यू. एस. में भारती एयरटेल की एक शाखा है।

आय, इसे भारत में भारती एयरटेल की आय में शामिल नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2007 में, टी. डी. एस. ए. टी. ने देखा है कि वी. एस. एन. एल.

1.4.2002 से पहले आई. एल. डी. सेवा के लिए एकाधिकार। वी. एस. एन. एल. का [2019] 16 एस. सी. आर. बनना बंद हो गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी। पुराने आई. एल. डी. लाइसेंस ने वी. एस. एन. एल. को आई. एल. डी. सेवा के साथ–साथ टी. वी. अपलिंकिंग दोनों गतिविधियों को करने की अनुमति दी। नई व्यवस्था के तहत, एक अलग लाइसेंस प्राप्त करना था। लाइसेंस

टीवी अपलिंकिंग सेवा के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय लिमिटेड से प्राप्त किया गया था जबकि डीओटी ने आईएलडी लाइसेंस जारी किया था। उस लाइसेंस में सेवा शब्द की परिभाषा के कारण आई. एल. डी. लाइसेंस में टीवी अपलिंकिंग सेवा प्रदान नहीं की जा सकती है। चूंकि टीवी अपलिंकिंग सुविधा के लिए एक अलग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसी सेवा आई. एल. डी. लाइसेंस के तहत प्रदान नहीं की जा सकती है। डी. ओ. टी. द्वारा जारी आई. एल. डी. लाइसेंस सकल राजस्व में से एक राजस्व साझाकरण योजना रखता है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी टी. वी. अपलिंकिंग लाइसेंस के मामले में नहीं है। प्रसारण। उक्त लाइसेंस व्यावहारिक रूप से निःशुल्क है। इसलिए, टीवी अपलिंकिंग सेवा के अन्य सेवा प्रदाताओं को लगभग कोई लाइसेंस शुल्क नहीं देना पड़ता है। टी. डी. एस. ए. टी. ने टी. आर. ए. आई. की उस सिफारिश को खारिज कर दिया था जिसके अनुसार टी. वी. अपलिंकिंग और इंटरनेट सेवा से प्राप्त राजस्व ए. जी. आर. का हिस्सा होगा क्योंकि इसे ए. जी. आर. का एक रूप माना गया था। टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इन सेवाओं से प्राप्त राजस्व को ए. जी. आर. से बाहर रखा जाना चाहिए।

156. विवादित आदेश में न्यायाधिकरण ने कहा है कि एफसीसी 214 लाइसेंस के संचालन से होने वाला राजस्व दिए गए लाइसेंस से नहीं आता है डी. ओ. टी. द्वारा लेकिन एफ. सी. सी. द्वारा। इसलिए, इस अंतर्वाह को ए. जी. आर. के हिस्से के रूप में तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि डी. ओ. टी. यह स्थापित नहीं कर सकता कि कंपनी के बीच तकनीकी, प्रबंधकीय और वित्तीय परस्पर संबंध और तालमेल है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में संचालन 214 एफसीसी लाइसेंस की सेवाओं से सकल राजस्व कंपनी के खातों में परिलक्षित होता है।

157. डी. ओ. टी. का रुख है कि यदि इसकी अनुमति है, तो प्रत्येक टी. एस. पी. /

भारत में अनुज्ञप्तिधारी के दुनिया के अन्य हिस्सों में शाखा कार्यालय होंगे और वह अनुज्ञप्तिधारी की अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय आय को देश के बाहर शाखा कार्यालय में उत्पन्न होने के रूप में मानेगा और अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान के लिए सकल राजस्व की गणना से इसे ध्यान में नहीं रखेगा। यह नहीं कहा जा सकता कि स्थिति

यह कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि राजस्व कंपनी के शाखा कार्यालय में उत्पन्न होता है, लेकिन सकल राजस्व की गणना को प्रभावित करेगा क्योंकि इसके लिए केवल एक प्रत्यावर्तित राशि ली जाएगी। गणना। भारत संघ बनाम में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा करना। ए. यू. एस. पी. आई. (2011) पैरा 49 में जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे परिदृश्य में, व्यवसाय को एक अलग कानूनी इकाई को हस्तांतरित किया जा सकता है ताकि शाखा कार्यालय के राजस्व को मुख्य कार्यालय के साथ जोड़ा न जा सके। सहायक कंपनियों की आय को भारत संघ v के मामले में शामिल किया जाना चाहिए।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

भारती एयरटेल, इसकी अलग-अलग सहायक कंपनियां हैं, जो भारत में और भारत के बाहर अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं, और इनसे उत्पन्न आय

भारती एयरटेल के समायोजित सकल राजस्व की गणना करते समय सहायक कंपनियों पर विचार या उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। चूँकि बिलगो भारती एयरटेल की एक शाखा है।

और एक अलग कानूनी इकाई नहीं, 2011 के पिछले निर्णय के कारण, जिस व्यवसाय के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, उसे सकल राजस्व की गणना से बचने के लिए एक अलग कानूनी इकाई को हस्तांतरित किया जाना चाहिए, यदि देय नहीं है तो इसे सकल राजस्व का हिस्सा होना चाहिए।

158. हमारी राय में, 2011 के फैसले का पैरा 49 प्रस्तुत करने का ध्यान रखता है। एक बार जब कोई शाखा होती है, शायद विदेश में स्थित, तो इसकी

आय और शाखा की गतिविधि के लिए किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं हो सकती है क्योंकि लाइसेंसधारी गतिविधि कर रहा है, और समायोजित सकल राजस्व गतिविधियों की परिभाषा में लाइसेंस से परे राजस्व शामिल है। इसे सकल राजस्व में शामिल करना होगा। प्रस्तुतिकरण पिछले निर्णय से समाप्त होता है, और हम प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

159. टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष, कुछ शर्तों के आधार पर, डी. ओ. टी. के विपरीत है, को दरकिनार कर दिया जाता है।

पुनः में – गैर-वापसी योग्य जमा

रियायत के आधार पर, जो प्रथम दृष्टया गलत था। हमने इस मुद्दे पर पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है कि क्या गैर–वापसी योग्य जमा लाइसेंसधारी के राजस्व का हिस्सा है। 162. लाइसेंस समझौते के अनुलग्नक–II का परिशिष्ट–II: प्रारूप की धारा डी में वस्तु संख्या 5, अभिदाताओं से गैर–वापसी योग्य जमा से संबंधित एक प्रविष्टि है। इसे सकल राजस्व के विवरण में प्रारूप के अनुसार शामिल किया जाना चाहिए। सकल राजस्व की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें गैर–वापसी योग्य जमा शामिल हैं क्योंकि गैर–वापसी योग्य जमा लाइसेंस प्राप्त गतिविधियों से अर्जित राजस्व है। गैर–वापसी योग्य

जमाओं को लाभ और हानि खाते में उपार्जित [2019] 16 एस. सी. आर. के रूप में माना जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लाइसेंस समझौते के अनुलग्नक III के अनुसार। यह स्पष्ट है कि गैर–वापसी योग्य जमा वास्तव में ग्राहकों से अग्रिम रूप से प्राप्त राजस्व है। भले ही उनका उपयोग बिलों में छूट आदि के लिए किया जाता है, वे राजस्व का हिस्सा हैं। लाइसेंसधारक स्वयं गैर–वापसी योग्य जमाओं को आयकर अधिनियम की धारा 80 आई. ए. (2ए) के तहत आय के रूप में मानते हैं। जो भी हो सकता है। गैर–वापसी योग्य जमा के बारे में टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष गलत आधार पर राजस्व का हिस्सा नहीं है। डी. ओ. टी. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा दी गई रियायत, इसके परिणामस्वरूप अलग रखी जा सकती है। टी. डी. एस. ए. टी. से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कानून का पालन करते हुए रियायत पर विचार करे, क्योंकि ऐसे मामलों को लागू नहीं किया जा सकता है।

निर्णय लिया गया है और वकील की प्रथम दृष्टया गलत रियायत के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, इसका कानूनी रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में स्वीकार किया जाता है, इसकी शुद्धता की जांच की जानी चाहिए।

पुनः में – लाइसेंस शुल्क की मांग जहां स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया है

163. उस सर्कल में लाइसेंस शुल्क की मांग के संबंध में जहां लाइसेंसधारी को स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया थाः जब स्पेक्ट्रम स्वयं जारी नहीं किया गया है, तो लाइसेंस गतिविधि नहीं हुई है, कोई राजस्व नहीं है

उत्पन्न किया। टी. डी. एस. ए. टी. ने माना है कि लाइसेंस शुल्क की मांग के आधार पर

अन्य गतिविधियाँ खराब, अनुचित, अमान्य और अस्थिर हैं। विचाराधीन अवधि के दौरान, यू. ए. एस. लाइसेंस स्पेक्ट्रम के साथ बंडल किया गया था, और यह स्पष्ट है कि स्पेक्ट्रम के बिना, लाइसेंसधारी लाइसेंस तैयार नहीं कर सकता था। टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष उपयुक्त है। एक बार जब लाइसेंस के तहत कोई गतिविधि नहीं होती है, तो केवल इस आधार पर कि लाइसेंस जारी किया गया है, कोई राजस्व अर्जित नहीं किया गया है, इसे साझा नहीं किया जा सकता है। फिर भी, लाइसेंस के तहत कोई गतिविधि नहीं है, यानी गैर–लाइसेंस गतिविधियों के आधार पर, राजस्व बंटवारे के लिए नहीं कहा जा सकता था। इस तरह के दायित्व को आगे बढ़ाना एक अनुचित और अनुचित सौदा होगा।

हम वीडियोकॉन और वीडियोकॉन के मामले में टीडीएसएटी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत हैं।

एस. टेल।

पुनः में – ब्याज और लाभांश से आय

164. ब्याज आय और लाभांश आय के बारे में भी बहस की गई है। चूंकि इन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है

खंड 19.1 में सकल राजस्व की परिभाषा। सकल राजस्व से ब्याज और लाभांश के अपवर्जन से संबंधित निवेदन पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी हो, लाइसेंस से अर्जित ब्याज और लाभांश

और गैर–अनुज्ञप्ति गतिविधियों को अनुज्ञप्ति शुल्क के निर्धारण के लिए सकल राजस्व का हिस्सा बनना पड़ता है।

भारत संघ v. भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

पुनः में – खराब–ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया

165. समायोजित सकल राजस्व की गणना करते समय डी. ओ. टी. द्वारा खराब ऋणों को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाती है, खराब ऋण को बाद में वसूल करने पर लिखा जाता है, इसे सकल ऋण में जोड़ा नहीं जा सकता है।

राजस्व। टी. डी. एस. ए. टी. ने आक्षेपित क्रम में कहा हैः

" लाइसेंसधारक प्रस्तुत करते हैं कि यदि एक खराब ऋण, जिसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, बाद में वसूल किया जाता है, तो इसे डीओटी को सूचित करने की आवश्यकता होती है, यह, लाइसेंसधारियों के अनुसार, कि खराब ऋणों को राजस्व से कटौती के रूप में अनुमति दी जा सकती है, लेकिन जब और जब बाद में उनकी वसूली की जाती है तो उन्हें राजस्व में जोड़ा जाना चाहिए। प्रस्तुतिकरण स्वीकार्य नहीं है लेकिन यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि जब किसी भी खराब ऋण की अंत में वसूली की जाती है, तो इससे फिर से लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जा सकता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप दोगुना शुल्क लगेगा। समान राजस्व पर लाइसेंस शुल्क का प्रभार "।

166. टी. डी. एस. ए. टी. ने लाइसेंसधारियों की प्रस्तुति को स्वीकार नहीं किया है। हालाँकि, साथ ही, इसने लोगों के हितों की रक्षा की है

लाइसेंसधारी। यदि बाद में इसका एहसास होता है, तो इसे फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसे केवल एक बार चार्ज किया जाना चाहिए। हम इस निष्कर्ष को उचित पाते हैं। टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

पुनः में – देयता लिखी जाती है।

167. टी. डी. एस. ए. टी. ने निम्नानुसार देखा हैः

" एक कंपनी का उदाहरण लें जो राशि के लिए सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान करती है। आयकर के लिए, इसे एक व्यय के रूप में माना जाएगा, लेकिन लाइसेंस शुल्क निर्धारित करने के लिए राशि के लिए आय से कोई छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि इस तरह की देनदारी को भविष्य की तारीख को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है और उसके अनुसार लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है तो इसे निश्चित रूप से लाइसेंस शुल्क की गणना के लिए दूसरी बार शुल्क लेने के लिए नहीं लाया जा सकता है। डी. ओ. टी. की ओर से उक्त पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है।

निष्कर्ष।

168. डी. ओ. टी. प्रस्तुत करता है कि तर्क सही है। लेकिन, टी. डी. एस. ए. टी. इस अभ्यास को प्रमुखता से नहीं कर सकता था। यह है।

अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से प्रस्तुत किया गया कि वास्तविक देयता द्वारा अंतिम रूप दिए जा रहे अस्थायी दायित्व के आधार पर कंपनी के राजस्व में काल्पनिक राजस्व को शामिल नहीं किया जा सकता है। अनंतिम देयता [2019] 16 एस. सी. आर. के रूप में रखी गई राशि।

आय के रूप में नहीं माना जा सकता है। हमारी राय में, टी. डी. एस. ए. टी. ने सही माना है कि यदि इसे एक व्यय के रूप में माना जाना है, तो देयता को एक व्यय के रूप में माना जाना चाहिए, और आय पर किसी भी छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाइसेंस शुल्क निर्धारित करने के लिए राशि। लाइसेंस शुल्क की गणना के लिए दूसरी बार शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

169. राजपूताना ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड बनाम के आयुक्त

आयकर, पश्चिम बंगाल–I, (1982) 2 एस. सी. सी. 775, यह देखा गया है कि एक बार देयता को बट्टे खाते में डालने के बाद, इसे आय के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। धारा 10 (2ए) के तहत व्यवसाय और ऐसी आय को कोई स्थानीय निवास या नाम दिया जाना चाहिए।

170. इसलिए, हम मानते हैं कि इसे एक व्यय के रूप में माना जाना चाहिए, और

लाइसेंस शुल्क निर्धारित करने के लिए छूट की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

पुनः में – अंतर–निगमित ऋण

171. कुछ लाइसेंसधारियों ने सहायक कंपनियों के लिए विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया है।

सहायक कंपनी के लिए कार्य करता है और ब्याज राशि केवल बैंक को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति है, इसे सकल राजस्व में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, यह सकल का हिस्सा नहीं है राजस्व।

172. समर्पण में खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं है, और यह स्पष्ट है

खंड 19.1 में सकल राजस्व की परिभाषा है कि ब्याज से होने वाली आय को सकल राजस्व में शामिल किया जाना है। अतः यह निवेदन आधारहीन है।

इस तथ्य से कि धारक कंपनी सहायक कंपनी को ऋण देती है और सहायक कंपनियों से ब्याज वसूल करती है, काफी अच्छा है

इसे सकल राजस्व का हिस्सा बनाएँ।

173. इस प्रकार, अंतर-निगमित ऋण से ब्याज आय को लाइसेंस शुल्क निर्धारित करने के लिए सकल राजस्व में शामिल किया जाना चाहिए।

भारत संघ v. भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

पुनः में – आईपी-1 पंजीकरण के तहत राजस्व

174. क्या इसे सी. यू. जी. लाइसेंस के तहत राजस्व के तहत दावा/जोड़ा जा सकता है? सकल राजस्व की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि अनुज्ञप्ति प्राप्त गतिविधियों और गैर-अनुज्ञप्ति प्राप्त गतिविधियों से होने वाली आय और अनुज्ञप्ति प्राप्तकर्ता के किसी भी अन्य विविध राजस्व को भी शामिल करना होगा। इस प्रकार, डी. ओ. टी. ने सी. यू. जी. लाइसेंस के तहत आई. पी. पंजीकरण से लाइसेंसधारी की आय को उचित रूप से शामिल किया है।

पुनः में – प्रबंधन परामर्श सेवाओं से आयः

175. जब हम सकल राजस्व की परिभाषा पर विचार करते हैं, तो उसे

लाइसेंस शुल्क निर्धारित करने के लिए समायोजित सकल राजस्व में शामिल किया जाए। लाइसेंसधारक के प्रबंधन सहायता और परामर्श से होने वाली आय को बाहर नहीं रखा जा सकता है। इसके विपरीत प्रस्तुत करना स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यह अस्वीकार किए जाने का परिणाम है। 176. टी. डी. एस. ए. टी. ने भारती एयरटेल के मामले में भी ठीक ही कहा है कि केबल लैंडिंग स्टेशन से होने वाले राजस्व को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

सकल राजस्व।

पुनः में – रेस जुडिकाटा

177. डी. ओ. टी. की ओर से उठाए गए निवेदन पर आते हुए कि भारत संघ बनाम में निष्कर्ष। ए. यू. एस. पी. आई. (2011) (ऊपर) रेज़ के रूप में कार्य करता है।

निपटाई गई वस्तुओं के संबंध में न्यायपालिका और रचनात्मक संबंध के रूप में कार्य करता है याचिका संख्या 7/2003 और याचिका No.82/2005 में दायर याचिका में नहीं उठाए गए प्रश्नों के संबंध में न्यायिक विवरण। जमीनी स्तर पर अधिकांश वस्तुओं के लिए चुनौती दी गई थी; उन्हें सकल राजस्व की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सका; यह लाइसेंस प्राप्त गतिविधि का हिस्सा नहीं था। हालाँकि, इस न्यायालय ने इस निवेदन को खारिज कर दिया है और ऐसी वस्तुओं को सकल राजस्व की परिभाषा में शामिल किया है। यह है।

स्पष्ट करें कि एक बार जब इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कर दिया है कि वह आय जो सकल राजस्व की परिभाषा के तहत आती है और जिसे इस आधार पर पहले बाहर रखने का दावा किया गया था कि वे सकल राजस्व का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें शामिल करने की परिभाषा अधिकार से बाहर और अवैध/अमान्य थी। उन्हीं प्रमुखों को अब इस आधार पर बाहर करने की कोशिश की जाती है कि वे ए. एस.–9 के तहत राजस्व का हिस्सा नहीं हैं। हालाँकि वे खंड 19.1 के तहत सकल राजस्व का हिस्सा हैं। इस अभ्यास के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। हालाँकि, हमने योग्यता के आधार पर उठाए गए प्रत्येक प्रश्न की फिर से जांच की है क्योंकि यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय ने उचित के रूप में प्रश्न को खुला छोड़ दिया था

व्याख्या। इस न्यायालय ने माना है कि टी. आर. ए. आई. और टी. डी. एस. ए. टी. के पास सकल राजस्व [2019] 16 एस. सी. आर. की परिभाषा की वैधता पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और लाइसेंस समझौते में समायोजित सकल राजस्व और राजस्व की वस्तुओं को बाहर करने के लिए, जो लाइसेंस समझौते में सकल राजस्व की परिभाषा में शामिल थे, चाहे वे गैर–लाइसेंस गतिविधियों से हों।

178. यह विचार करते हुए कि क्या अनुज्ञप्तिधारी समायोजित सकल राजस्व की गणना को चुनौती दे सकता है और यदि ऐसा है, तो किस स्तर पर और किस आधार पर, इस न्यायालय ने कहा है कि ऐसा एक विवाद यह हो सकता है कि अनुज्ञप्तिदाता द्वारा किए गए समायोजित सकल राजस्व की गणना और

इस तरह की गणना के आधार पर की गई मांग लाइसेंस समझौते का पालन नहीं कर रही है। उचित स्तर पर लाइसेंस समझौता किए जाने के बाद विवाद उठाया जा सकता है, जब लाइसेंसकर्ता/लाइसेंसधारी द्वारा मांग उठाई जाती है। इस न्यायालय ने कहा कि यदि विवाद उठाया जाता है, तो टीडीएसएटी को यह तय करने के लिए तथ्यों और सामग्री में जाना होगा कि मांग लाइसेंस के अनुसार है, विशेष रूप से, लाइसेंस समझौते में समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा। यह लाइसेंस समझौते के नियमों और शर्तों की भी व्याख्या कर सकता है, क्योंकि न्यायाधिकरण ने किसी विशेष लाइसेंसधारी की मांग से संबंधित तथ्यों और सामग्री पर ध्यान नहीं दिया है। यह भी कहा गया कि न्यायाधिकरण उन तथ्यों और सामग्री में जा सकता है जिनके आधार पर गणना करने की मांग की जाती है। इस प्रकार, बाद की टिप्पणियों का दायरा कुछ वस्तुओं को बाहर निकालने के लिए इतना व्यापक नहीं है, हालांकि सकल राजस्व की परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है और यह मानना है कि वे इसका हिस्सा नहीं हैं। लाइसेंस और गैर–लाइसेंस गतिविधियों से आय सकल राजस्व के दायरे में है जिसे 2011 के फैसले में निर्णायक रूप से निर्धारित किया गया था। गणना के लिए केवल तथ्य और सामग्री देखी जा सकती है।

179. यह प्रस्तुत किया गया था कि गणना में प्रक्रिया शामिल है

गणना, संख्याकरण, गणना और वितरण। कानून के शासन द्वारा अनुमान का लेखा पक्षों के मनमाने निर्माण से अलग है। यह निर्भरता हिंदुस्तान मशीन्स लिमिटेड बनाम में निर्णय पर रखी गई है। भारत संघ, 1985 (2) एस. सी. सी. 197.

180. रिलायंस को लोहिया मशीन्स लिमिटेड और ए. एन. आर. पर भी रखा गया है। वी. भारत संघ और अन्य। , (1985) 2 एस. सी. सी. 197 जिसमें आयकर के लिए गणना शब्द पर विचार किया गया है। व्हार्टन लॉ डिक्शनरी ने लोहिया मशीन्स लिमिटेड (उपरोक्त) पर आधारित गणना की परिभाषा के बारे में भी उल्लेख किया है। यह गणना की एक कानूनी प्रक्रिया है। जिन वस्तुओं को अन्यथा नियोजित पूंजी का हिस्सा माना जा सकता है, उनका समावेश और अपवर्जन, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा लोहिया मशीन्स लिमिटेड (उपर्युक्त) में व्याख्या की गई है, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

भारत का आयन बनाम। भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

" 18. ऐसा इसलिए है क्योंकि "नियोजित पूंजी" अभिव्यक्ति में एक है

" नियोजित पूंजी की गणना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 295 के तहत नियम या नियम बनाकर केंद्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी। की प्रक्रिया गणना में वस्तुओं का समावेश और बहिष्करण दोनों शामिल होंगे, जिन्हें संभवतः "नियोजित पूंजी" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने वाला माना जा सकता है। केंद्रीय राजस्व बोर्ड निर्धारित करते समय कुछ वस्तुओं को शामिल कर सकता है और कुछ अन्य को बाहर कर सकता है

"नियोजित पूँजी" की गणना का तरीका। यह वह अर्थ है जिसमें "संगणित" शब्द का उपयोग विधायिका द्वारा इस तरह के कानून को लागू करते समय लगातार किया गया है। "नियोजित पूँजी" के संबंध में "संगणित" शब्द का उपयोग किए जाने वाले प्रारंभिक विधान की ओर रुख करते हुए, हम पाते हैं कि मानक लाभ निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त लाभ कर अधिनियम, 1940 में, कुछ वस्तुओं को शामिल करने और उधार लिए गए धन और ऋणों सहित कुछ अन्य को बाहर करने के लिए प्रदान की गई दूसरी अनुसूची और दूसरी अनुसूची के अनुसार संगणित नियोजित पूँजी की औसत राशि पर वैधानिक प्रतिशत लागू करने की आवश्यकता थी। विधायिका ने स्पष्ट रूप से, इस कानून में, इस प्रक्रिया में उधार लिए गए धन और ऋणों के बहिष्करण को निहित माना है।

"नियोजित पूंजी" की गणना या इसे अलग तरीके से रखने के लिए, विधायी उपयोग के अनुसार, "पूंजी" की गणना

नियोजित "प्रक्रिया के हिस्से के रूप में वैध रूप से शामिल हो सकता है, उधार लिए गए धन और ऋण जैसी वस्तुओं का बहिष्कार। इसी तरह व्यापार लाभ कर अधिनियम, 1941 और अति कर लाभ कर अधिनियम, 1953 में भी "संगणित" शब्द का उपयोग उसी अर्थ में किया गया था जो "पूंजी" की गणना की प्रक्रिया में शामिल था।

नियोजित ", उधार लिए गए धन और ऋणों का अपवर्जन। इसी तरह, कंपनी (लाभ) अधिभार अधिनियम, 1964 में भी, शब्द

" संगणित "का उपयोग उसी अर्थ में किया गया है। बेशक यह बताया जा सकता है कि इस कानून में "संगणित" शब्द का उपयोग "कंपनी की पूंजी" के संबंध में किया गया है और "नियोजित पूंजी" के संबंध में नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहां जिस बात से चिंतित हैं वह यह है कि "संगणित" शब्द का उपयोग किस अर्थ में किया गया है और क्या इसमें [2019] 16 एस. सी. आर. शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बहिष्करण के साथ–साथ समावेशन की प्रक्रिया और उस बिंदु पर, अधिनियम समान रूप से काफी प्रकाश डालता है। वैधानिक

कटौती जो इस कानून के तहत अधिभार के प्रभार को निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रभार्य लाभ से की जानी चाहिए

इसे "दूसरी अनुसूची और दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई कंपनी की पूंजी के दस प्रतिशत के बराबर राशि" के रूप में परिभाषित किया गया है।

1976 के वित्त अधिनियम 66 द्वारा इसके संशोधन के बाद कंपनी की पूंजी की गणना में उधार लिए गए धन और ऋणों को शामिल करने का प्रावधान नहीं है, हालांकि इसमें शामिल करने का प्रावधान है –

आय की वस्तुएँ। धारा 2 खंड (45) "कुल आय" को धारा 5 में निर्दिष्ट आय की कुल राशि के रूप में परिभाषित करता है। " इस अधिनियम में निर्धारित तरीके से गणना की गई। अब, यदि हम आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को देखें, जो कुल आय की गणना के तरीके को निर्धारित करते हैं, तो यह स्पष्ट होगा कि कुल आय की गणना की प्रक्रिया में दोनों शामिल हैं।

आय की विभिन्न वस्तुओं का समावेश और बहिष्करण। धारा 10 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना करने में, उस धारा के किसी भी खंड के भीतर आने वाली किसी भी आय को कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा, हालांकि ऐसी आय जिसे बाहर रखा जाना आवश्यक है, निस्संदेह आय है और इसलिए उस अभिव्यक्ति के स्पष्ट प्राकृतिक अर्थ के अनुसार कुल आय का हिस्सा है। लेकिन कर के शुल्क को निर्धारित करने में इसे बाहर रखा जाना आवश्यक है क्योंकि "कुल आय" को परिभाषित किया गया है।

आय की कुल राशि के रूप में, "अधिनियम में निर्धारित तरीके से संगणित"। यही स्थिति धारा 11 के संबंध में भी प्राप्त होती है और इसमें आय की कुछ श्रेणियों को शामिल नहीं किया गया है।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

कुल आय। फिर, हम धारा 29 का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें प्रावधान है कि व्यवसाय और पेशे के लाभ और लाभ से आय की गणना धारा 30 से 43–ए में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। इन अनुभागों में कुल गणना में विभिन्न मदों को शामिल करने और बाहर करने का प्रावधान है। आय। धारा 80–ए से 80–वी. वी. कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौती के लिए भी प्रावधान करती है और 80–एच. एच., 80–जेजे और 80–ओ जैसी धाराओं के तहत, यहां तक कि एक वस्तु जो निर्विवाद रूप से एक निर्धारिती की आय का हिस्सा है, को भी इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

कर के लिए प्रभार्य कुल आय की गणना करना। किसी ने कभी यह तर्क नहीं दिया है और वास्तव में इस तरह के तर्क की कल्पना करना भी असंभव है कि जब धारा 2 खंड (45) कुल आय को परिभाषित करती है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई आय की कुल राशि के रूप में, जो निर्विवाद रूप से आय का हिस्सा है, उसे गणना में बाहर नहीं किया जा सकता है। हालांकि, श्री पालखीवाला का तर्क था कि "कुल आय" की परिभाषा के मामले में गणना की प्रक्रिया में आय की वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है।

यह स्वयं विधायिका द्वारा प्रदान किया जाता है और किसी भी नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित नहीं है। श्री पालखीवाला ने कहा कि विधायिका इसकी चौड़ाई और आयाम को कम कर सकती है।

अभिव्यक्ति "आय की कुल राशि" उस विशेष वस्तु या वस्तुओं को स्पष्ट रूप से प्रदान करके आय की कुल राशि की गणना में बाहर रखा जाएगा, लेकिन नियम बनाने वाला प्राधिकारी ऐसा नहीं कर सकता है।

ऐसा करना, क्योंकि ऐसा करने से यह क़ानून के प्रावधानों का अपमान होगा। अब हम पहले ही बता चुके हैं कि चूंकि "नियोजित पूंजी" अभिव्यक्ति का एक परिवर्तनीय अर्थ है जिसमें किसी मामले में उधार लिए गए धन शामिल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए केंद्रीय राजस्व बोर्ड, अपनी नियम बनाने की शक्ति का उपयोग करते हुए, "नियोजित पूंजी" की गणना में उधार लिए गए धन को बाहर कर सकता है और ऐसा करने में, यह किसी भी तरह से क़ानून के जनादेश के विपरीत कार्य नहीं करेगा। लेकिन धारा 2 खंड (45) में "कुल आय" की परिभाषा का उल्लेख करते हुए हम यहां जिस बिंदु पर जोर देना चाहते हैं, वह यह है कि " "संगणित" का उपयोग विधायिका द्वारा अपने दायरे के भीतर न केवल समावेश के रूप में किया गया है, बल्कि आय की कुछ वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया है जो निश्चित रूप से और बिना किसी संदेह के, निर्धारिती की आय का हिस्सा हैं। हम पाते हैं कि धारा 80–जे की कुछ उप–धाराओं में भी "संगणित" शब्द का उपयोग उसी अर्थ में किया गया है जिसमें समावेशन और बहिष्करण दोनों शामिल हैं।

धारा 80–जे की उप–धारा (4) के दूसरे परंतुक में यह प्रावधान है कि "जहां पहले किसी उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए किसी भी भवन या उसके किसी हिस्से को औद्योगिक उपक्रम के व्यवसाय को हस्तांतरित किया जाता है, वहां इस तरह से हस्तांतरित भवन या हिस्से के मूल्य को 'औद्योगिक उपक्रम में नियोजित पूंजी' की गणना में ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इसी प्रकार उसी उप–धारा का स्पष्टीकरण 2 भी इतने शब्दों में अधिनियमित करता है

कि इसके दायरे और दायरे में आने वाले मामले में, "इस प्रकार हस्तांतरित मशीनरी या संयंत्र या हिस्से के कुल मूल्य को गणना में ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

' 'औद्योगिक उपक्रम' में नियोजित पूंजी। फिर से, धारा 80–जे की उप–धारा (6) के स्पष्टीकरण में "भवन निर्माण मशीनरी के कुल मूल्य" के अपवर्जन के लिए एक समान प्रावधान किया गया है।

या संयंत्र या भाग इस प्रकार हस्तांतरित पूंजी की गणना में

"नियोजित पूंजी" की गणना की प्रक्रिया वैध रूप से उन वस्तुओं या वस्तुओं को बाहर कर सकती है जो स्पष्ट रूप से और निर्विवाद रूप से इसका हिस्सा हैं। "नियोजित पूंजी"। बेशक इन प्रावधानों द्वारा अधिनियमित अपवर्जन विधायिका द्वारा किया जाता है न कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा, लेकिन फिर से, अगर हम जोर दें, तो मुद्दा यह नहीं है कि कोई अपवर्जन विधायिका द्वारा किया गया है या नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा, बल्कि यह है कि क्या ऐसा अपवर्जन गणना की प्रक्रिया में निहित है ताकि उसे इसमें शामिल किया जा सके। और इस बारे में

न केवल अतिरिक्त लाभ कर अधिनियम, 1940, व्यावसायिक लाभ कर अधिनियम, 1947, अति लाभ कर अधिनियम, 1963 और कंपनी (लाभ) अधिभार अधिनियम, 1964 के प्रावधानों की ओर इशारा करते हुए, बल्कि हमारे द्वारा निर्दिष्ट आयकर अधिनियम, 1961 के विभिन्न प्रावधानों से भी स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि "संगणित" शब्द का उपयोग विधायिका द्वारा धारा 80–जे की उप–धारा (1) में न केवल समावेश के रूप में किया गया है, बल्कि उन वस्तुओं के बहिष्कार के रूप में भी किया गया है जो अन्यथा हो सकते हैं।

इसे "नियोजित पूंजी" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने वाला माना जाए। यह विधायिका द्वारा केंद्रीय राजस्व बोर्ड पर छोड़ दिया जाता है नियम बनाने वाला प्राधिकारी "नियोजित पूंजी" की गणना करने के तरीके को निर्धारित करेगा और इस तरह निर्धारित करने में, केंद्रीय राजस्व बोर्ड उन वस्तुओं को शामिल या बहिष्कृत कर सकता है जिन्हें "नियोजित पूंजी" का हिस्सा माना जा सकता है।

181. इस न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 80 जे में निहित प्रावधानों को देखते हुए इस मामले पर विचार किया है और कहा है कि सभी नियोजित लोगों के परिवर्तनशील अर्थ हैं। यह विधायी रूप से भारत का संघ v रहा है।

उन वस्तुओं के समावेश और अपवर्जन दोनों को मान्यता दी गई, जिन्हें अन्यथा नियोजित पूंजी का हिस्सा माना जा सकता है। इस प्रकार, 2011 के निर्णय में अभिव्यक्ति गणना का उपयोग नहीं किया गया है

सकल की परिभाषा के दायरे से उन्हीं वस्तुओं को शामिल करें।

राजस्व, जिसे इस न्यायालय द्वारा सकल राजस्व का हिस्सा माना गया है। 2011 के फैसले के अनुसार, क्या मांग लाइसेंस समझौते के नियमों और शर्तों में है और, विशेष रूप से, समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा देखी जा सकती थी। टी. डी. एस. ए. टी. उन तथ्यों और सामग्री को भी देख सकता है जिनके आधार पर मांग की गई है, लेकिन सकल राजस्व की परिभाषा में शामिल वस्तुओं को बाहर करने की अनुमति नहीं थी, जैसा कि

किया जाना चाहिए। जो भी हो सकता है। हमने उन सभी प्रस्तुतियों की जांच की है जो गुण–दोष के आधार पर फिर से उठाई गई हैं, जो न्यायपालिका/रचनात्मक न्यायपालिका की याचिका से अप्रभावित हैं, और जो प्रस्तुतियां की गई हैं उनमें हमें कोई योग्यता नहीं मिली है। इस प्रकार, हम न्यायपालिका के संबंध में बार में उद्धृत निर्णयों के साथ निर्णय पर बोझ डालने से बचते हैं और

रचनात्मक न्याय।

पुनः में – ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज का शुल्कः

182. खंड 20.2 में अनुज्ञप्ति शुल्क का प्रावधान किया गया है। निर्धारित अवधि से अधिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान में किसी भी देरी के मामले में उस दर पर जुर्माना लगाया जाएगा जो भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख ऋण दर (पी. एल. आर.) से 2 प्रतिशत अधिक होगी। खंड 20.5 और 20.8 के अनुसार, यदि लाइसेंसधारी मांग का भुगतान नहीं करता है, तो परिणाम सामने आएंगे। इन खंडों को नीचे निकाला गया हैः

" 20.5 देय अनुज्ञप्ति शुल्क या निर्धारित अवधि के बाद अनुज्ञप्ति के तहत देय किसी भी अन्य देय राशि के भुगतान में कोई भी देरी उस दर पर ब्याज आकर्षित करेगी जो उक्त वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुज्ञप्ति शुल्क के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक की प्रधान ऋण दर (पी. एल. आर.) से 2 प्रतिशत अधिक होगी जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में (अर्थात् 1 अप्रैल) थी। ब्याज को मासिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाएगा और गणना के उद्देश्यों के लिए महीने के एक हिस्से को पूरे महीने के रूप में माना जाएगा।

ब्याज। एक महीने को अंग्रेजी कैलेंडर महीने के रूप में माना जाएगा।

20.8 मामले में, तिमाही लाइसेंस शुल्क के रूप में भुगतान की गई कुल राशि

वित्तीय वर्ष की 4 (चार) तिमाहियों के लिए, जो देय लाइसेंस शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक कम हो जाता है, उस पर कम भुगतान की पूरी राशि का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। हालाँकि, यदि इस तरह का छोटा भुगतान [2019] 16 एस. सी. आर. के अंतिम दिन से 60 दिनों के भीतर किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि वार्षिक खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर देय होगी, ऐसा न करने पर कौन सा ब्याज देय होगा।

20. 5 की शर्तों के अनुसार आगे शुल्क लिया जाएगा।

185. टी. डी. एस. ए. टी. ने माना है कि ब्याज के साथ–साथ जुर्माना लगाना भी उचित नहीं होगा। यदि ब्याज लगाया जाना है, तो इसे मामूली राशि पर एकत्र करना होगा। टी. डी. एस. ए. टी. ने इसे निर्दिष्ट नहीं किया है। 186. डी. ओ. टी. प्रस्तुत करता है कि समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार, विलंबित भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान करना होगा। अनुबंध किया गया है और उसमें ब्याज की दर तय की गई है। इसे संशोधित करना

न्यायालय का काम नहीं है और दंड खंड भी सकल राजस्व की परिभाषा के रूप में उठाई गई आपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आकर्षित किया जाता है, जबकि पक्षों ने सकल राजस्व का अर्थ पूरी तरह से समझ लिया है और राजस्व बंटवारे की व्यवस्था अत्यधिक फायदेमंद थी, और उन्होंने राजस्व अर्जित किया है और निश्चित शुल्क व्यवस्था की तुलना में इसे साझा करने में विफल रहे हैं। इस प्रकार, लाइसेंसधारियों पर यह दायित्व था कि वे सहमति के अनुसार ब्याज और जुर्माने का भुगतान करें।

187. लाइसेंसधारियों का कहना है कि जब एक बार यह न्यायालय एक

वर्तमान अपीलों में आदेश देते हुए यह प्रभाव डालना होगा कि सकल राजस्व में किन वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है या बाहर रखा जा सकता है। यह है। केवल अगर मांग का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो ब्याज के भुगतान का सवाल उठेगा। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भारत संघ v.

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

जुर्माना निर्दिष्ट अवधि के भीतर मांग का भुगतान करने में विफलता के लिए है। दंड के लिए पुरुष अधिकार, दूषित आचरण या जानबूझकर दंड की आवश्यकता होती है।

व्यक्ति के वैधानिक दायित्व की अवहेलना। पार्टियां तब से मुकदमेबाजी में हैं

2003. टी. डी. एस. ए. टी. ने वर्ष 2007 में परिभाषा की वैधता पर निर्णय लिया। उसके बाद, इस अदालत ने 2011 में फैसला सुनाया और मामले को टी. डी. एस. ए. टी. को भेज दिया। टी. डी. एस. ए. टी. ने फिर से लाइसेंसधारियों के पक्ष में कुछ मदों के बारे में निर्णय लिया है, और मुकदमेबाजी के दौरान, इस अदालत/टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा मांगों पर रोक लगा दी गई थी। विवाद वास्तविक विवाद होते हैं। लाइसेंसधारियों ने डी. ओ. टी. द्वारा उठाई गई मांग का लगभग 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया है, और तत्काल विवाद केवल 20 प्रतिशत मांग से संबंधित है जिस पर रोक लागू थी। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 74 के तहत, क्षतिपूर्ति होनी चाहिए

केवल उचित मुआवजा। डी. ओ. टी. ने जुर्माना और जुर्माना पर ब्याज भी लगाया है। जानबूझकर भुगतान करने से इनकार करने के अभाव में, दंड जैसे कोई दंडात्मक परिणाम नहीं लगाए जा सकते हैं। यह भी कहा गया है कि ए

राजकोषीय अनुबंध/समझौते को सख्ती से समझा जाना चाहिए, और यदि कोई संदेह है, तो उसकी व्याख्या निर्धारिती के पक्ष में की जानी चाहिए। भुगतान न तो जानबूझकर किया गया था और न ही किसी कानून की अवहेलना के तहत। लाइसेंसधारियों ने इन पर निर्भरता रखी हैः

ए. हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य, 1969 (2) एस. सी. सी. 627, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैंः

" 8. अधिनियम के तहत विक्रेता के रूप में पंजीकरण करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है– अधिनियम की धारा 25 (1) (ए) के साथ धारा 9 (1) पढ़ें। लेकिन दंड का भुगतान करने का दायित्व केवल इस पर नहीं पड़ता है विक्रेता के रूप में पंजीकरण करने में चूक का प्रमाण। एक वैधानिक दायित्व को पूरा करने में

विफलता के लिए जुर्माना लगाने का आदेश एक अर्ध–आपराधिक कार्यवाही का परिणाम है, और जुर्माना आम तौर पर तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि बाध्य पक्ष ने जानबूझकर कार्य नहीं किया।

कानून की अवज्ञा या दूषित आचरण का दोषी था या

बेईमानी, या अपने दायित्व की सचेत अवहेलना में कार्य किया। जुर्माना भी केवल इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ऐसा करना वैध है। कानूनी दायित्व का पालन करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए या नहीं, यह प्राधिकरण के विवेक का विषय है जिसका उपयोग न्यायिक रूप से और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करने पर किया जाना चाहिए। यहां तक कि अगर न्यूनतम जुर्माना निर्धारित किया गया है, तो जुर्माना लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को जुर्माना लगाने से इनकार करने में उचित माना जाएगा, जब कोई तकनीकी या अवैध दंड हो।

अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन या जहां उल्लंघन एक प्रामाणिक विश्वास से होता है कि अपराधी [2019] 16 एस. सी. आर. में कार्य करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून द्वारा निर्धारित तरीका। कंपनी के मामलों के प्रभारी लोगों ने कंपनी को एक डीलर के रूप में पंजीकृत करने में विफल रहने पर इस ईमानदार और वास्तविक विश्वास के साथ काम किया कि कंपनी

व्यापारी नहीं था। यह मानते हुए कि उन्होंने गलती की है, लागू करने का कोई मामला नहीं है

दंड लगाया गया था "।

बी. अकबर बदरूद्दीन गिवानी बनाम। सीमा शुल्क कलेक्टर, 1990 (2) 203,

" 60. वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण ने स्वयं विशेष रूप से कहा है कि अपीलार्थी ने प्रामाणिक विश्वास के आधार पर कार्य किया है कि

ओ. जी. एल. के तहत माल आयात योग्य था और इसलिए, अपीलार्थी उदार व्यवहार का हकदार है। इसलिए इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या इस विशिष्ट निष्कर्ष के आलोक में

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, ज़ब्ती के बदले में जुर्माना और जुर्माने को अलग करने और रद्द करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, ज़ब्त करने के बदले में जुर्माना और जुर्माने की मात्रा अत्यधिक कठोर, अत्यधिक और अनुचित ध्यान में रखते हुए

अपीलार्थी की ईमानदारी, जैसा कि विशेष रूप से द्वारा पाया गया है अपीलीय न्यायाधिकरण।

61. हम इस संबंध में मर्क स्पेयर्स बनाम में निर्णय का उल्लेख करते हैं। कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, नई दिल्ली, (1983) 13 ई. एल. टी. 1261 (सी. ई. जी. ए. टी.), शमा इंजन वाल्व लिमिटेड बनाम। कलेक्टर सीमा शुल्क विभाग, (1984) 13 ई. एल. टी. 533 (सी. ई. जी. ए. टी.), बॉम्बे और

मधुसूदन गोरधनदास एंड कंपनी बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर,

बॉम्बे (1987) 29 ई. एल. टी. 904, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जुर्माना लगाने में अपेक्षित पुरुष अधिकार स्थापित किया जाना चाहिए। यह. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम में भी देखा गया है। की स्थिति

उड़ीसा, (1969) 2 एस. सी. सी. 627, इस न्यायालय द्वारा किः (एस. सी. आर. एच. एन पी. 753)

" जुर्माना लगाने के विवेकाधिकार का उपयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए। जुर्माना आम तौर पर उन मामलों में लगाया जाएगा जहां पक्ष जानबूझकर कानून की अवज्ञा में कार्य करता है, या दूषित या बेईमान आचरण का दोषी है, या अपने दायित्व की सचेत अवहेलना में कार्य करता है; लेकिन उन मामलों में नहीं जहां अधिनियम के प्रावधानों का तकनीकी या अनुचित उल्लंघन होता है या

जहाँ उल्लंघन एक प्रामाणिक विश्वास से प्रवाहित होता है कि अपराधी द्वारा निर्धारित तरीके से कार्य करने के लिए उत्तरदायी नहीं है

कानून "। भारत का आयन बनाम। भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

62. तत्काल मामले में, भले ही इसे तर्क के लिए माना जाए

कि घर के उपयोग के लिए आयातित पत्थर के स्लैब संगमरमर के हैं

अभी भी अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किए गए निष्कर्ष को देखते हुए

कि उक्त उत्पाद का आयात इस प्रामाणिक विश्वास पर किया गया था कि यह

संगमरमर नहीं था, इतना भारी जुर्माना लगाना बिल्कुल भी नहीं है उचित और न्यायोचित "।

(जोर दिया गया)

सी. जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम केंद्रीय आयुक्त

ई, चंडीगढ़, 2003 (1) एस. सी. सी. 67, पैरा 8।

" 8. इस मामले में, विभिन्न उच्च के बारे में एक अलग दृष्टिकोण था

न्यायालय चाहे बड़े पत्थरों को कुचलना हो या पत्थरों को छोटे में बदलना हो टुकड़े निर्माण के बराबर होते हैं। अलग–अलग विचारों को देखते हुए

विभिन्न उच्च न्यायालयों के बारे में एक प्रामाणिक संदेह था कि

पद होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ताओं ने लाइसेंस नहीं लिया और शुल्क का भुगतान नहीं किया

धारा 11–ए के प्रावधान आकर्षित हुए। कोई सबूत नहीं है

या प्रमाण कि लाइसेंस नहीं लिया गया था और/या शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था

किसी धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत कथन के कारण या तथ्य का दमन। इसलिए हम इस मांग को अलग रखते हैं –

3–5–1993 "दिनांकित कारण दिखाएँ नोटिस।

(जोर दिया गया)

डी. टेकुमसेह प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड बनाम के आयुक्त

राल् एक्साइज, हैदराबाद, 2004 (6) एस. सी. सी. 30, यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया थाः

" 7. लेकिन, सीमा की विस्तारित अवधि के अनुप्रयोग के रूप में

धारा 11–ए के तहत दिए गए प्रावधान का संबंध है, हमें नहीं लगता कि न्यायाधिकरण उचित है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि क्या

उत्पादन के लिए राशि। वास्तव में, एक विस्तृत पर न्यायाधिकरण विश्लेषण और द्वारा की गई कई प्रक्रियाओं में जाने के बाद

अपीलार्थी, इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि स्टेटर्स जो थे निर्माण में शामिल संपीड़कों की मरम्मत में उपयोग किया जाता है

गतिविधि। यह परिस्थिति ही दर्शाती है कि यह वास्तविक था

इस प्रश्न के संबंध में पक्षों के बीच विवाद कि क्या कम्प्रेसर के उपयोग के उद्देश्य से तैयार किए गए स्टेटर

इसमें कोई विनिर्माण गतिविधि शामिल है या नहीं। इसलिये, जिस हद तक अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 11–ए और [2019] 16 एस. सी. आर. को लागू किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिरोपित दंडात्मक ब्याज और अन्य दंड अलग रखे जाएँगे।

और न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश को इसमें संशोधित किया गया है

हद तक "।

(जोर दिया गया)

ई. जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, 1994

सी. सी. 276, निम्नलिखित अवलोकन किया गया हैः

" 17. आइए हम प्रश्न को थोड़े अलग कोण से देखें।

धारा 7 (1) प्रत्येक विक्रेता को आदेश देती है कि वह उसे उपलब्ध कराएगा।

निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित विवरणी

मूल्यांकन प्राधिकारी के लिए समय। परंतुक द्वारा समय हो सकता है

15 दिनों से अधिक नहीं बढ़ाया गया। अनुभाग की आवश्यकता

7 (1) निस्संदेह यह एक वैधानिक आवश्यकता है। निर्धारित वापसी

पूर्ण जमा राशि का प्रमाण देने वाली रसीद के साथ होना चाहिए

राज्य सरकार में देय 'कर' की राशि

लौटें। यही धारा 7 (2) की आवश्यकता है। धारा 7 (2–ए),

अंतिम आवश्यकता 'देय कर' की पूरी राशि जमा करना है। वापसी में दिखाया गया। जब धारा 11–बी (ए) अभिव्यक्ति का उपयोग करती है

" धारा 7 की उप–धारा (2) और (2–ए) के तहत देय कर

उपरोक्त अभिव्यक्तियों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए

उक्त दो उप–धाराओं के तहत देय 'की पूरी राशि है देय कर और 'देय कर' वह राशि है जो पूर्व में देय हो जाती है।

कारोबार और कर योग्य कारोबार पर परिकल्पना "में दिखाई गई है या

वापसी के आधार पर "। 'देय' शब्द एक वर्णनात्मक शब्द है,

जिसका आम तौर पर अर्थ है "जो भुगतान किया जाना चाहिए या देय है, या

जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है, उसे ध्यान में रखा जाता है। शब्द है अक्सर इसका अर्थ समझा जाता है कि जो हो सकता है, कर सकता है या

भुगतान किया जाना चाहिए और 'देय' के बराबर माना जाना चाहिए। इसलिए,

धारा 11–बी में केवल कर की पूरी राशि का अर्थ हो सकता है जो अधिनियम की उप–धाराओं (2) और (2–ए) के तहत देय हो जाता है जब

कारोबार संबंधी जानकारी के आधार पर मूल्यांकन और

वापसी में प्रस्तुत या दिखाया गया कर योग्य कारोबार। इसलिए, जब तक निर्धारिती उस कर का भुगतान करता है जो उसके अनुसार देय है

उनके द्वारा दाखिल विवरणी में दी गई जानकारी के आधार पर, भारत का आई. ओ. एन. v.

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

अपनी वैधानिकता को पूरा करने में उसकी ओर से कोई चूक नहीं होगी।

अधिनियम की धारा 7 के तहत दायित्व और इसलिए, यह होगा यह मानना मुश्किल है कि उसके द्वारा 'देय कर' का भुगतान नहीं किया गया है

धारा के खंड (ए) के तहत ब्याज का भुगतान करने के दायित्व के साथ

11 – बी. अगर वापसी को मंजूरी नहीं दी जाती है तो यह अलग बात होगी।

प्राधिकरण द्वारा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यह मुश्किल है

निर्धारिती अंतिम मूल्यांकन की भविष्यवाणी करेगा और उससे अपेक्षा करेगा ब्याज का भुगतान करने के दायित्व से बचने के लिए उस आधार पर कर का भुगतान करना।

यह उसे लगभग असंभव काम करने के लिए कहना होगा।

(जोर दिया गया)

एफ. कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण

आर. , 2015 (4) एस. सी. सी. 136, पैरा 40 और 43

" 40. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मौला

बक्स वी. भारत संघ, (1969) 2 एस. सी. सी. 554, तथ्यों पर, एक नहीं था

मामला जो बकाया धन से संबंधित है। नतीजतन, अवलोकन मौला बक्स में कि एक अनुबंध के तहत बकाया धन का ज़ब्त

यदि उचित धारा 74 के अंतर्गत नहीं आता है, और इसके अंतर्गत आता है

धारा 74 केवल तभी लागू होती है जब बकाया राशि को जुर्माना नहीं माना जाता है।

एक ऐसे मामले पर जो उस मामले में निर्णय के लिए सीधे उत्पन्न हुआ। कानून.

फतेह चंद बनाम में पाँच न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा निर्धारित।

बालकिशन दास, (1964) 1 एस. सी. आर. 515, यह है कि सभी शर्तें

उल्लंघन के मामले में भुगतान की जाने वाली राशि का नामकरण किया जाएगा।

धारा 74 द्वारा। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 74 नियमों में कटौती करती है।

एक समान सिद्धांत लागू करके अंग्रेजी सामान्य कानून का

उल्लंघन के मामले में भुगतान की जाने वाली सभी राशियों पर लागू होगा, चाहे

यह भूल गए कि जैसा कि ऊपर कहा गया है, बयाना का ज़ब्त फतेह चंद मामले में तथ्यों पर पैसा स्वीकार कर लिया गया था। में

परिस्थितियों में, इसलिए यह कहना सही होगा कि

बकाया राशि एक ऐसी राशि है जिसका उल्लंघन के मामले में भुगतान किया जाना है अनुबंध और अनुबंध में नामित, यह आवश्यक रूप से होगा

धारा 74 द्वारा कवर किया जाए।

(जोर दिया गया)

जी. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम रवींद्र और ओआरएस। , (2002) 1 एससीसी

पैरा 38, 55

" 38. हालाँकि "दंडात्मक ब्याज" को [2019] 16 एस. सी. आर. से अलग किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ब्याज "। दंडात्मक ब्याज एक असाधारण दायित्व है जो एक देनदार द्वारा गलत काम करने के कारण किया जाता है। जब भुगतान किया जाना चाहिए था तब उस व्यक्ति के पक्ष में भुगतान नहीं करने की गलती की गई और यह न तो नुकसान से संबंधित है और न ही उससे सीमित है। इस प्रकार, जबकि ब्याज का भुगतान करने का दायित्व मुआवजे के सिद्धांत पर आधारित है, दंडात्मक ब्याज दंडात्मक कार्रवाई के सिद्धांत पर आधारित एक दंड

है। दंडात्मक ब्याज चूक की एक अवधि के लिए केवल एक बार लिया जा सकता है और इसलिए इसे पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

55. सुनवाई के दौरान हमारे संज्ञान में लाया गया कि कई राज्यों में लागू कई ब्याज कानूनों और ऋण राहत कानूनों को देखते हुए निजी ऋण लगभग समाप्त हो गए हैं और जरूरतमंद उधारकर्ता वित्तीय सुविधाओं के लिए बड़े पैमाने पर बैंकिंग संस्थानों पर निर्भर हैं। कई अस्वास्थ्यकर अभ्यास

धीरे–धीरे प्रसार में प्रवेश करने की ओर इशारा किया गया था। बैंकिंग एक संगठित संस्थान है और अधिकांश बैंक लंबे समय से चल रहे दस्तावेजों की सेवा करते हैं जिसमें उधारकर्ता रिक्त स्थान को भरते हैं, कभी–कभी उसमें क्या प्रदान किया गया है उसे पढ़ने की परवाह किए बिना, और खुद को शर्तों से बांधते हैं। सर्वश्रेष्ठ कानूनी दिमाग द्वारा व्यक्त किया गया। निगमित क्षेत्र से संबंधित लोगों के अलावा अन्य उधारकर्ताओं के पास है अनजाने में एक जाल में फंस गया और खुद को उत्तरदायी बना दिया और

ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य जिसकी मात्रा अंत में विनाशकारी साबित हो सकती है। कभी–कभी प्रभारित और पूंजीकृत ब्याज होता है

वास्तव में अग्रिम राशि से कई गुना अधिक। दमदुपत का नियम लागू नहीं होता है। दंडात्मक ब्याज, सेवा शुल्क और अन्य ओवरहेड्स उधारकर्ता के खाते में डेबिट किए जाते हैं और

जिसकी पूंजीकृत डेबिट के बारे में उधारकर्ता को पता भी नहीं होगा। यदि तिमाही विश्राम पर ब्याज वसूलने की प्रथा को बरकरार रखा जाता है और न्यायिक मान्यता दी जाती है, तो बेईमान बैंक मासिक विश्राम पर भी ब्याज वसूलने और उसे पूंजीकृत करने का सहारा ले सकते हैं। बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को कई बार प्रदान किए गए खातों के विवरणों में डेबिट प्रविष्टियों का विवरण या विवरण नहीं होता है और जब हाथ में लिखा जाता है तो वे उधारकर्ताओं की आंखों और बुद्धि की परीक्षा करने वाले चिकित्सा निर्देशों से भी बदतर होते हैं। अनैतिक, अनुचित और अस्वास्थ्यकर लेन–देन के उदाहरण कई गुना बढ़ सकते हैं, हालांकि उन्हें सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए उन्हें खुला छोड़ना होगा।

उचित मामले जब और जब वास्तव में निर्णय के लिए उत्पन्न होते हैं और भारत v.

भारत के एकीकृत दूरसंचार प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

ऐसे मुद्दों पर कानून बनाने का साहस न करें जो हमारे सामने निर्धारण के लिए हैं। हालाँकि, हम कुछ आनुषंगिक टिप्पणियों को दर्ज करने का प्रस्ताव करते हैं, जिनके बिना, हमारा उत्तर पूर्ण नहीं होगा और हम निम्नानुसार करते हैं:

यद्यपि ब्याज को इस सादृश्य पर पूंजीकृत किया जा सकता है कि अर्जित तिथि पर देय ब्याज और अवैतनिक रहते हुए, उस तारीख को अग्रिम राशि का चरित्र भाग लेता है, फिर भी दंडात्मक ब्याज, जो है

भुगतान न करने के लिए जुर्माने के रूप में प्रभारित, पूंजीकृत नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त ब्याज अर्थात ब्याज पर ब्याज, चाहे वह साधारण हो, चक्रवृद्धि हो या दंडात्मक, दंडात्मक ब्याज की राशि पर दावा नहीं किया जा सकता है। दंडात्मक ब्याज को पूंजीकृत नहीं किया जा सकता है। यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगा।

नोवेशन, अर्थात, एक देनदार जो किसी लेनदार के साथ एक नया समझौता करता है, जो कुल राशि को मूलधन के रूप में मानते हुए ब्याज के साथ पहले से उधार ली गई मूल राशि का भुगतान करता है।

अनुबंध व्यक्त या निहित और एक एक्सप्रेस

खातों की स्वीकृति, पूँजीकरण का सबसे अच्छा प्रमाण है। लेनदार द्वारा अपनाए गए लेखांकन के तरीके में अधिग्रहण और देनदार के ज्ञान में लाए जाने से भी ब्याज को परिवर्तित किया जा सकता है। प्रमुख में। विरोध करने में केवल विफलता नहीं है

स्वीकृति।

बैंकिंग अभ्यास की व्यापकता वैध हो जाती है।

आवधिक विश्राम पर ब्याज और अनुबंधों में उनके पूंजीकरण को शामिल करने के बारे में शर्तें। इस तरह स्वेच्छा से किए गए अनुबंधों में शामिल शर्तें

पार्टियों में शामिल होना और बाध्य करना नियंत्रित करेगा

पक्षकारों के मूल अधिकार और दायित्व

वसूली और ब्याज का भुगतान। पूँजीकरण विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि उधारकर्ता भुगतान करने में विफल रहा, हालांकि वह कर सकता था और इस तरह खुद को एक चूककर्ता बना दिया। उधारकर्ता के खाते में डेबिट की गई राशि को रखना

ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि उधारकर्ता के पास प्रवेश की तारीख को या [2019] 16 एस. सी. आर. से उचित समय या अनुग्रह अवधि के भीतर भुगतान करने का अवसर था।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

डेबिट प्रविष्टि की तिथि या देय राशि जो गिरती है और जिससे पूंजीकरण से बचा जा सकता है। उधारकर्ता के खाते में किसी भी डेबिट प्रविष्टि और मूलधन होने का दावा किया जाता है ताकि मूल राशि का एक समामेलन बनाया जा सके, अदालत के संतोष के लिए दिखाया जा सकता है कि ऐसी डेबिट प्रविष्टि उधारकर्ता के ध्यान में नहीं लाई गई थी और/या उसके पास पूंजीकरण से पहले भुगतान करने का अवसर नहीं था और इस तरह

आम जनता के हित में बाध्यकारी निर्देश जारी करना, वैधानिक बल रखना और बैंकिंग मामलों को बिगड़ने और पूर्वाग्रह से रोकना और साथ ही सुरक्षा सुनिश्चित करना। सामान्यतः कोनो बैंकिंग कम्पनीक उचित प्रबन्धन। भारतीय रिजर्व बैंक एक है

राष्ट्र के वित्त और अर्थव्यवस्था के प्रहरी। यह सभी प्रासंगिक कारकों के बारे में जागरूक है और होना चाहिए, जिसमें प्रचलित ऋण शर्तें भी शामिल हैं, जो इसके लिए आमंत्रित करती हैं। नीतिगत निर्णय। आर. बी. आई. समय-समय पर निर्देश/परिपत्र जारी करता रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज की दर से संबंधित है जो ली जा सकती है और जिसके अंत में शेष अवधि को कम किया जा सकता है, उस पर ब्याज की गणना की जा सकती है और शुल्क लिया जा सकता है और पूंजीकृत किया जा सकता है। इसे इस तरह के निर्देश जारी करते रहना चाहिए। इसके परिपत्र उन लोगों को बाध्य करेंगे जो इस तरह के निर्देशों के दायरे में आते हैं। ऐसे लेन-देन के लिए जो ऐसे लेन-देन द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित नहीं होते हैं

परिपत्रों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों को यह तय करने के उद्देश्य से मानकों के रूप में माना जा सकता है कि क्या लगाया गया ब्याज अत्यधिक है, सूदखोर है या सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।

कृषि ऋणों को दूसरों से अलग आधार पर माना जाना चाहिए। के प्रभारण और पूँजीकरण भारत में कृषि ऋणों पर ब्याज की अनुमति वार्षिक या छह-मासिक विश्राम के अलावा नहीं दी जा सकती है, जो उस क्षेत्र में फसलों के आवर्तन पर निर्भर करता है जिसमें कृषक उधारकर्ता हैं।

भारत संघ v. भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

(7) आर. बी. आई. के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, ब्याज की दर के बारे में, या जिस अवधि पर शेष राशि निर्धारित की जा सकती है, उस पर लगाए गए किसी भी ब्याज की अनुमति नहीं दी जाएगी और/या उसे पूंजीगत राशि से बाहर रखा जाएगा और इसे केवल इस प्रकार माना जाएगाः

ब्याज और तदनुसार व्यवहार किया।

(8) ब्याज का पुरस्कार विचाराधीन और पोस्ट-डिक्री है

न्यायालय के साथ विवेकाधीन क्योंकि यह अनिवार्य रूप से धारा 34 सी. पी. सी. द्वारा शासित है, पक्षों के बीच अनुबंध को अस्वीकार करता है। किसी मामले में यदि न्यायालय यह पाता है कि मुकदमे की तारीख को तय की गई मूल राशि में ब्याज का घटक वास्तव में अग्रिम की गई मूल राशि के घटक के साथ असमानुपाती है, तो न्यायालय कम दर पर लंबित ब्याज और डिक्री के बाद ब्याज देने में अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर सकता है या ऐसा ब्याज देने से भी इनकार कर सकता है। द.

विवेक का प्रयोग निष्पक्ष रूप से, विवेकपूर्ण तरीके से और इसके लिए किया जाएगा

कारण और मनमाने या काल्पनिक तरीके से नहीं। "

188. उपरोक्त निर्णयों की प्रयोज्यता पर विचार करने से पहले, मामले के तथ्यात्मक सरगम पर विचार किया जाना चाहिए। यह थी मांग

वर्ष 2003 में पहली बार इस तथ्य के बावजूद कि सकल राजस्व की परिभाषा स्पष्ट थी, और जैसा कि पत्राचार और पक्षों के बीच हुए समझौते से स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं था कि सकल राजस्व क्या है। लाइसेंसधारक इस बात से अवगत थे कि जिन मदों के बारे में उन्होंने विवाद उठाया है, उन्हें सकल राजस्व की परिभाषा में शामिल किया गया था, जैसे कि उन्होंने शुरू में सकल राजस्व की परिभाषा की वैधता के आधार पर समावेश पर सवाल उठाया गया। इस न्यायालय द्वारा चुनौती को बिना किसी आधार के पाया गया था। सकल राजस्व की वैधता के बारे में उठाई गई आपत्तियां पूरी तरह से अस्थिर थीं और इसके बावजूद, खारिज किए जाने योग्य थीं, और वर्ष 2011 में इस न्यायालय द्वारा अंततः और निर्णायक रूप से खारिज कर दी गईं। उसके बाद, उन राजस्व मदों को बाहर करने के लिए फिर से आपत्तियों को दोहराया गया है जिन्हें सकल राजस्व की परिभाषा से छुटकारा पाने के प्रयास में एक बार शामिल किया गया था। जो आपत्तियाँ उठाई गई हैं, वे सकल राजस्व की परिभाषा से संबंधित हैं, जिसके लिए अदालत ने माना कि वे राजस्व का हिस्सा हैं। अब, ए. एस.–9 मानकों पर भरोसा करते हुए, वस्तुओं को बाहर करने के लिए एक अप्रत्यक्ष तरीके से प्रयास किया गया है, जिन्हें सकल राजस्व की परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। आपत्तियाँ बहुत कमजोर हैं, और, [2019] 16 एस. सी. आर. के रूप में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वास्तव में, 2003 में ही इस तरह की आपत्तियां उठाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। विभिन्न पत्राचार जो संदर्भित किए गए हैं, उनके कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी शीर्ष सकल राजस्व की परिभाषा में शामिल हैं, और लाइसेंसधारियों के लिए आपत्तियों को उठाने और उन्हें दो दशकों से अधिक समय तक लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

189. इसके अलावा, लाइसेंसधारियों का आचरण भी होना चाहिए

इस तथ्य की पृष्ठभूमि में माना जाता है कि राजस्व बंटवारे की व्यवस्था निर्धारित लाइसेंस शुल्क की पिछली व्यवस्था की तुलना में बेहद फायदेमंद थी, और उन्हें इससे बहुत लाभ हुआ है जैसा कि राजस्व के तहत लाइसेंसधारियों द्वारा अर्जित राजस्व के आंकड़ों से स्पष्ट है।

साझा करने की व्यवस्था। जब सरकार लाइसेंस के तहत बंटवारे के आधार पर राजस्व के विशेषाधिकार से अलग हो गई है, और एक समझौता किया गया है, तो इसका सटीक रूप से पालन किया जाना चाहिए था। का आचरण

लाइसेंसधारक अत्यधिक अनुचित थे, और किसी भी तरह, उन्होंने भुगतान में देरी करने का प्रयास किया था। यह समझ में आता है कि वे कैसे उन्होंने तर्क दिया है कि इस न्यायालय द्वारा निर्णय देने के बाद मांग पर काम किया जाना चाहिए। साल भर पहले मांग बढ़ाई गई थी।

2003 , जो अंततः लिस का विषय–वस्तु है। चूंकि आपत्तियाँ आधारहीन और पूरी तरह से असमर्थनीय हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि विभिन्न मदों के संबंध में एक वास्तविक विवाद था। उठाए गए विवादों को बिल्कुल भी प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है। समझौते के अनुसार देयता और भुगतान में देरी करने के लिए उन्हें उचित ठहराया गया था। इस पृष्ठभूमि में और हमारे पास क्या है, इस पर हमें विचार करना होगा ब्याज, जुर्माना और जुर्माना पर ब्याज लगाया जा सकता है या नहीं। विशेष रूप से क्योंकि यह राजस्व साझाकरण व्यवस्था है और

सरकार को राजस्व के उस लाभ से वंचित कर दिया गया है जो उसने अर्जित किया होगा, लेकिन उस विशेषाधिकार को देने के लिए जिसे उसने अलग कर दिया है।

लाइसेंसधारियों का समर्थन।

190. एम/एस में। एवरेस्ट औद्योगिक निगम और अन्य। वी. गुजरात

राज्य वित्तीय निगम, (1987) 3 एस. सी. सी. 597, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 32 के तहत पारित न्यायालय के आदेश के तहत देय मूल राशि पर देय ब्याज की दर, 1951 जैसा कि अनुबंध में निर्धारित किया गया है जैसा कि धारा 34 सी. पी. सी. के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं, धारा 32 के तहत आदेश एक डिक्री नहीं है, केवल ब्याज की संविदात्मक दर का भुगतान करने के दायित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

धारा 32 के तहत आदेश में ब्याज के भुगतान के लिए निर्देश के अभाव के कारण। इस अदालत ने फैसला सुनाया हैः

भारत का आयन बनाम। भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

" 6. यदि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा के तहत कार्यवाही शुरू की गई है

31 (1) अधिनियम के लिए एक आवेदन के समान है एक स्तर पर डिक्री के निष्पादन में संपत्ति की कुर्की

डिक्री के पारित होने के बाद कोई भी पारित करने का सवाल ही नहीं है

संहिता की धारा 34 के तहत आदेश तब से उत्पन्न होगा जब से धारा 34 संहिता केवल उस स्तर पर लागू होगी जब

डिक्री का पारित होना और इसके बाद के किसी भी चरण में नहीं

डिक्री। यहाँ यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि संहिता के तहत भी

सिविल में दायर बंधक मुकदमों में देय ब्याज का प्रश्न

न्यायालय संहिता के आदेश 34 नियम 11 द्वारा शासित होते हैं न कि

संहिता की धारा 34 जो केवल मामलों पर लागू हो सकती है

संहिता के आदेश 34 नियम 6 के तहत पारित व्यक्तिगत फरमानों की संख्या। उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि ब्याज देय होगा।

की शर्तों के अनुसार देय मूल राशि पर संपूर्ण देय राशि तक पक्षों के बीच समझौता था

अधिनियम की धारा 32 के तहत पारित आदेश के अनुसार भुगतान किया गया। हम. अभिनिर्धारित करें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय, संदर्भित है

ऊपर, जिसने संहिता की धारा 34 को एक कार्यवाही पर लागू किया है अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत स्थापित सही ढंग से तय नहीं किया गया है।

(जोर दिया गया)

191. पंजाब वित्तीय निगम बनाम। सूर्या ऑटो

धारा, (2010) 1 एस. सी. सी. 297, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब

ग्रीमेंट पर सवाल नहीं उठाया गया है, संविदात्मक ब्याज दर

इसे बदला जाए। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

" 25. उच्च न्यायालय ने भी घोषणा करने में गंभीर त्रुटि की

कि अपीलार्थी निगम सरल शुल्क लेने का हकदार होगा

समाप्ति के बाद 10 प्रतिशत डब्ल्यू. ई. एफ. 1–4–2003 की दर से ब्याज

इकाई के अधिग्रहण की तारीख से छह महीने।

निर्विवाद रूप से, प्रतिवादी ने ऋण की शर्तों को चुनौती नहीं दी थी समझौता। इसलिए, उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता था

समझौते की शर्तों को बदल दिया और अपीलार्थी को निर्देश दिया कि बकाया राशि की नई गणना करें और इसकी अनुमति दें

उत्तरदाता को नई मांग के अनुसार राशि का भुगतान बेचने के लिए बंधक की गई संपत्ति। उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण पूर्व है

यू. पी. फाइनेंशियल कॉर्प में निर्धारित कानून के विपरीत। वी.

जेम कैप (इंडिया) (पी) लिमिटेड, (1993) 2 एससीसी 299 और हरियाणा

वित्तीय निगम। वी. जगदम्बा ऑयल मिल्स (2002) 3 एस. सी. सी. 496 "।

(जोर दिया गया)

192. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम। उड़ीसा राज्य (ऊपर), लाइसेंसधारियों द्वारा भरोसा किया गया मामला एक अर्ध में जुर्माना लगाने का था

आपराधिक कार्यवाही कि जुर्माना सामान्य रूप से तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि पक्ष या तो जानबूझकर कानून की अवज्ञा में कार्य नहीं करता है या आचरण का दोषी है–अपमानजनक या बेईमान, या अपने दायित्व की सचेत अवहेलना में कार्य नहीं करता है। लगाए जाने वाले दंड का प्रयोग न्यायिक विवेक से किया जाता है। मामले का अनुपात, यह इस कारण से आकर्षित नहीं होता है कि तत्काल मामले में, यह ब्याज और जुर्माने की संविदात्मक दर है जिस पर सहमति हुई है जिसे किसी भी तरह से कठिन नहीं कहा जा सकता है। ब्याज की दर पर सहमति हो गई है और विशेष रूप से क्योंकि यह एक राजस्व साझाकरण व्यवस्था है, और लाइसेंसधारियों ने अपने दायित्व की सचेत अवहेलना में काम किया है। इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय के आधार पर भी, वे ब्याज और जुर्माने के साथ बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। कोई विवेक नहीं है

दंड को बदलने के लिए। यह उस राशि का 50 प्रतिशत है जो कम समय में आती है। इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है और वह भी, इसका भुगतान करने के लिए खंड 20.8 में दो अनुग्रह अवधि दी गई हैं। चूँकि यह सहमत अवधि है और इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है, इसलिए निर्णय का अनुपात आकर्षित नहीं होता है। अकबर बदरूद्दीन पर भी भरोसा रखा गया है।

गिवानी बनाम. सीमा शुल्क कलेक्टर (ऊपर), जिसमें विवाद वास्तविक था। यह न्यायाधिकरण द्वारा ज़ब्त करने के बजाय जुर्माना और जुर्माना लगाते हुए शक्ति के प्रयोग का मामला था। ऐसा कोई विवेकाधिकार उपलब्ध नहीं है जब पक्ष डिफ़ॉल्ट रूप से सहमत हो जाते हैं कि कितनी राशि का भुगतान किया जाना है। यह स्वचालित रूप से इस प्रकार है कि इसे एक बार फिर लाइसेंसकर्ता द्वारा निर्धारित नहीं किया जाना है। पार्टियाँ (लाइसेंसधारक और लाइसेंसधारी) अनुबंध के नियमों और शर्तों से बाध्य हैं। ब्याज की दर या उसमें प्रदान किए गए जुर्माने को बदलने के लिए कोई सक्षम खंड नहीं है और भले ही अनुमत हो, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में समझौते के तहत निर्धारित ब्याज या जुर्माने को बदलने के लिए नहीं कहा जाता है। ऊपर वर्णित निर्णय जुर्माना लगाने के विवेक से संबंधित था। यहाँ, ऐसा कोई विवेकाधिकार नहीं है, और सचेत उपेक्षा के आचरण पर विचार करते हुए, निर्णय उसी का समर्थन करने के बजाय समर्पण को नकारता है।

193. रिलायंस को जे. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. पर रखा गया है। वी. भारत संघ और अन्य। , (ऊपर) और टेकुमसेह प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड (ऊपर)। दोनों ही मामलों में धारा 11–ए के प्रावधानों के तहत शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। उच्च न्यायालयों के अलग–अलग विचार थे। यह धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों को दबाने का मामला नहीं पाया गया। इस प्रकार, धारा 11 ए और अन्य दंडों के तहत दंडात्मक ब्याज लगाने की कार्रवाई को दरकिनार कर दिया गया क्योंकि एक वास्तविक विवाद था। वर्तमान मामले में, कोई प्रामाणिक विवाद नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम।

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

उचित मुआवजा देने की अदालत की शक्ति के साथ काम कर रहा था जब अनुबंध में निर्धारित राशि जुर्माना की तरह होती है; केवल उचित मुआवजा दिया जा सकता है। वास्तविक क्षति या हानि सिद्ध होती है या नहीं, इस पर विचार करना होगा। यह केवल उन मामलों में है जहां यह संभव है। वास्तविक क्षति या हानि साबित करने के लिए, इस तरह के प्रमाण को वितरित नहीं किया जाना है। यह केवल उन मामलों में है जहां नुकसान या हानि मुश्किल या असंभव है यह साबित करना कि अनुबंध में नामित परिसमापन राशि प्रदान की जा सकती है। तत्काल मामले में, यह राशि के भुगतान में चूक के मामले में जुर्माने की काफी उचित राशि है। इस शब्द को असहनीय नहीं कहा जा सकता है। चूंकि सरकार राजस्व से वंचित रही है और लाइसेंसधारियों को राजस्व साझाकरण व्यवस्था से लाभ हुआ है,

इसके बावजूद उन्होंने राजस्व साझा नहीं किया है। वे उस शर्त से बंधे हैं, जो तथ्यों में काफी उचित पाई जाती है और

मामले की परिस्थितियाँ।

195. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम। रवीन्द्र, (ऊपर), इस न्यायालय ने ब्याज के भुगतान के अधिनिर्णय के प्रश्न पर विचार किया और कहा है कि

कि उचित दरों पर चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के लिए शर्त के रूप में पक्षकार द्वारा स्वेच्छा से लेन–देन करने में कुछ भी गलत नहीं है और लेनदारों को बकाया राशि पर राशि को पूंजीकृत करने के लिए अधिकृत करना ताकि बाद की अवधि के लिए पूंजीकृत राशि के ब्याज घटक पर उपार्जित दर पर ब्याज लिया जा सके। ब्याज, एक बार पूंजीकृत होने के बाद, अपने ब्याज का रंग छोड़ देता है और ऋण बनने के लिए मूलधन का हिस्सा बन जाता है जैसा कि इस प्रकार देखा गया हैः

[2019] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 36. अंग्रेजी निर्णयों और इस न्यायालय और देश के लगभग सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों ने ध्यान दिया है और

44. हमारी राय है कि "मूल राशि का निर्णय" अभिव्यक्ति को दिया गया अर्थ जारी रहना चाहिए। धारा 34 (1) में ऐसे अन्य स्थानों पर "मूल राशि" को निर्दिष्ट किया गया है जहां विशेषण द्वारा योग्य अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।

" जैसे ", अर्थात" ऐसी मूल राशि "। ब्याज के पूंजीकरण की विधि को पक्षों के बीच अनुबंध या स्थापित बैंकिंग अभ्यास के साथ लगातार मूलधन का हिस्सा बनाने की मान्यता तर्क, न्याय और समानता की भावना को आहत नहीं करती है। जैसा कि हमने देखा है, इस तरह की प्रणाली में एक लंबी स्थापित प्रथा है और इसे बनाए रखने वाले न्यायिक उदाहरणों की एक श्रृंखला है। दूसरा, अंतर्निहित सिद्धांत जैसा कि कई में देखा गया है

तय किए गए मामले यह हैं कि जब आवधिक विश्राम पर उधारकर्ता के खाते में ब्याज डेबिट किया जाता है, तो उस दिन बकाया होने के कारण इसे डेबिट किया जाता है। कुछ भी उधारकर्ता को देय तिथि पर ब्याज की राशि का भुगतान करने से नहीं रोकता है। यदि ब्याज की राशि का भुगतान किया जाता है तो पूंजीकरण का कोई अवसर नहीं होगा। ब्याज की राशि और इसे मूलधन में परिवर्तित करना। यदि देय तिथि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस तारीख से लेनदार धन के उपयोग से वंचित हो जाता है, और जो उसने भारत संघ v.

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन [अरुण मिश्रा, जे.]

देनदार ने देय तिथि पर ब्याज की राशि का भुगतान किया था, लेनदार को अभाव के लिए क्षतिपूर्ति की आवश्यकता है। जैसा कि आयोजित किया गया है

पझानियप्पा मुदलियार बनाम। नारायण अय्यर, ए. आई. आर. 143 मैड 157,

तथ्य स्थिति एक के समान है जैसे कि लेनदार के पास है

ऋणकर्ता को राशि के समतुल्य अग्रिम राशि ब्याज काटा जाता है। इसलिए हमारा मानना है कि

अभिव्यक्ति "मूल राशि का निर्णय" में राशि शामिल हो सकती है

ब्याज, आवधिक विश्राम पर प्रभारित, और के साथ पूंजीकृत

मूल राशि वास्तव में अग्रिम, ताकि एक समामेलन बन जाए

ऐसे मामलों में जहां यह अनुज्ञेय या अनिवार्य है, मूलधन का

ताकि अदालत ऐसा मान सके। जहाँ मूल राशि (की तारीख को)

मुकदमा) इस प्रकार निर्णय लिया गया है, उसी को "प्रधान" के रूप में माना जाएगा।

"ऐसी मूल राशि" के उद्देश्य के लिए "राशि"–अभिव्यक्ति

बाद में धारा 34 सी. पी. सी. में नियोजित। अभिव्यक्ति "मूल राशि" विभिन्न स्थानों पर अलग–अलग अर्थ नहीं दिए जा सकते हैं

उसी धारा की भाषा, अर्थात सी. पी. सी. की धारा 34।

(जोर दिया गया) "

196. दंडात्मक ब्याज के संबंध में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यह न्यायालय

भारत बनाम. रवींद्र (ऊपर) ने देखा है कि दंड दंडात्मक कार्रवाई के सिद्धांत पर आधारित है। दंडात्मक ब्याज केवल एक बार लिया जा सकता है। डिफ़ॉल्ट की एक अवधि के लिए, और इसलिए इसे पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

" 55. (1) यद्यपि ब्याज को इस सादृश्य पर पूंजीकृत किया जा सकता है कि

उपार्जित तिथि पर देय ब्याज और बकाया भुगतान, उस तारीख को अग्रिम राशि का चरित्र लेता है, फिर भी

दंडात्मक ब्याज, जो गैर के लिए दंड के रूप में लगाया जाता है

भुगतान, पूंजीकृत नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त ब्याज अर्थात ब्याज

ब्याज, चाहे वह साधारण हो, चक्रवृद्धि हो या दंडात्मक, का दावा नहीं किया जा सकता है।

दंडात्मक ब्याज की राशि पर। दंडात्मक ब्याज नहीं हो सकता है

पूँजीकृत। यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगा।

197. यह दंडात्मक ब्याज का अधिरोपण नहीं है, जो तत्काल शामिल है।

मामला। इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित निर्णय के आधार पर, हम पाते हैं कि जब संविदात्मक शर्त होती है, तो ब्याज लगाया जा सकता है और संयोजित।

198. नतीजतन, हमारी राय है कि ब्याज

और दंड उचित रूप से लगाया गया है। एक बार जब कमी की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे चूक राशि, [2019] 16 एस. सी. आर. पर जुर्माने का 50 प्रतिशत वहन करना पड़ता है।

जैसा कि सहमति हुई। इस प्रकार, हम इस निवेदन में कोई सार नहीं पाते हैं कि ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जा सकता है। यह समझौते के अनुसार है। तथ्यों और परिस्थितियों में, हमें लाइसेंसधारियों की ओर से उठाई गई असमर्थनीय आपत्तियों की प्रकृति पर विचार करते हुए इसे कम करने का कोई आधार नहीं मिलता है, जो वास्तव में या तो न्यायिक या रचनात्मक न्यायिक द्वारा वर्जित थीं, लेकिन क्योंकि इस न्यायालय ने मामले को टीडीएसएटी को यह पता लगाने के लिए भेज दिया था कि मांग की उचित व्याख्या पर आधारित थी।

लाइसेंस। सकल राजस्व की परिभाषा में विभिन्न शीर्षों को शामिल करने पर निष्कर्ष देने के बाद मामले को प्रेषित किया गया था। मामले के अनुसार भी

अनुज्ञप्तिधारियों की परिभाषा में उन्हें वैध रूप से शामिल नहीं किया गया था, अब इसका खंडन करते हुए यह रुख अपनाया गया है कि वे राजस्व का हिस्सा नहीं हैं जो अनुमेय नहीं है। किसी भी वादी को इस तरह के असंगत और असमर्थनीय स्टैंड पर कई दौरों में दशकों तक मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो इतना असामान्य नहीं है लेकिन बहुत से मामलों में परेशान करने वाला परिदृश्य है। हमने गुण–दोष के आधार पर मामले की जांच की है और फिर उपरोक्त निष्कर्ष आपत्तियों की तुच्छ प्रकृति का संकेत देता है।

199. नतीजतन, लाइसेंसधारियों की अपीलों को खारिज कर दिया जाता है और डीओटी द्वारा दायर किया जाता है, तदनुसार दर्ज किए गए निष्कर्षों को देखते हुए अनुमति दी जाती है।

200. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपीलों का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे